<u>अनुबंध-क</u>

<u>एक्सपोज़र प्रारूप</u>

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

अधिसूचना

हैदराबाद, [*दिनांक निविष्ट करें*]

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/[ ]/[ ]/[ ]. --- बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 13, 20, 27, 27ए, 27बी, 27सी, 27डी, 28, 29(3)(ए), 34(1), 64वी, और 64वीए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जी), (वाई), (जेड), (जेडए), (जेडडी) और (जेडएबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता और प्रारंभः

(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 कहलाएँगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से अथवा 1 अप्रैल 2024 से, जो भी बाद में हो, प्रवृत्त होंगे।
(3) ये विनियम एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए बीमाकर्ताओं सहित, सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।
(4) इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में इनकी समीक्षा की जाएगी, जब तक कि किसी समीक्षा, निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता इसके पहले न हो।

2. उद्देश्यः इन विनियमों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है किः

(1) बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों के प्रभावी निर्वहण और विश्लेषण के लिए सुदृढ़ और अनुक्रियाशील प्रबंधन की प्रथाएँ लागू हों, जिनमें आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन, विनियामक रिपोर्टिंग, बोनस वितरण, आस्ति-देयता प्रबंध, शोधन-क्षमता, निवेश और जोखिम-प्रबंध के क्षेत्र शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
(2) विनियामक विवरणियाँ बीमाकर्ता की परिस्थिति का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए लागू मानकों, सिद्धांतों और नीतियों के अनुसार तैयार की जाएँ और सूचित की जाएँ;
(3) पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण किया जाए; तथा
(4) व्यवसाय करने की सुगमता को सुसाध्य बनाया जाए।

3. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(i) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
(ii) "लेखांकन मानक" (एएस) से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये रूप में भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अभिप्रेत है;
(iii) "बीमांकिक व्यवहार मानक" से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये व्यवहार के मानक और मार्गदर्शी नोट्स अभिप्रेत हैं;
(iv) "बीमांकक" से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(1) में यथापरिभाषित बीमांकक अभिप्रेत है;

(v) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(vi) "उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन" से अभिप्रेत है

(क) जीवन बीमाकर्ता के मामले में, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वीकार्यता के मानदंडों के अधीन, गणितीय आरक्षित निधियों तथा पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों के मूल्य से अधिक पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में उपलब्ध आस्तियों के मूल्य का आधिक्य;

(ख) साधारण बीमाकर्ता या स्वास्थ्य बीमाकर्ता के मामले में, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वीकार्यता के मानदंडों अधीन, तकनीकी देयताओं तथा पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों की अन्य देयताओं से अधिक पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में उपलब्ध आस्तियों के मूल्य का आधिक्य;

(ग) पुनर्बीमाकर्ता के मामले में, इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्वीकार्यता के मानदंडों के अधीन, गणितीय आरक्षित निधियों, तकनीकी देयताओं तथा पालिसधारकों की और शेयरधारकों की निधियों से अधिक पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में उपलब्ध आस्तियों के मूल्य का आधिक्य;

(vii) "सक्षम प्राधिकारी" से अध्यक्ष या अध्यक्ष के द्वारा यथानिर्धारित पूर्णकालिक सदस्य या पूर्णकालिक सदस्यों की समिति या प्राधिकरण का(के) अधिकारी अभिप्रेत है;

(viii) "साधारण बीमाकर्ता" से अधिनियम में परिभाषित रूप में साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(ix) "स्वास्थ्य बीमाकर्ता" से अधिनियम में परिभाषित रूप में एकमात्र तौर पर स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(x) "जीवन बीमाकर्ता" से अधिनियम में परिभाषित रूप में जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(xi) "प्रीमियम कमी आरक्षित निधि" (पीडीआर) से अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि से अधिक धारित आरक्षित निधि अभिप्रेत है, जो ऐसी किसी प्रत्याशा की अनुमति देती है कि अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि असमाप्त जोखिम की अवधि के दौरान किये गये दावों और व्ययों की लागत को कवर करने के लिए अपर्याप्त होगी;

(xii) "पुनर्बीमाकर्ता" से अधिनियम में परिभाषित रूप में एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(xiii) "गणितीय आरक्षित निधियाँ" से जीवन बीमा (पुनर्बीमा) व्यवसाय की पालिसियों या संविदाओं के अंतर्गत या उनके संबंध में उत्पन्न होनेवाली देयताओं (देय हुई देयताओं तथा किसी पालिसी के संबंध में जमा पश्च (बैक) व्यवस्था से उत्पन्न होनेवाली देयताओं को छोड़कर, जिनके द्वारा पुनर्बीमाकर्ता के द्वारा अध्यर्पक के पास कुछ राशि जमा की जाती है) को कवर करने के लिए इन विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रावधान अभिप्रेत हैं, जिनमें उक्त सभी आधारों के प्रतिकूल विचलनों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं, परंतु इनमें शामिल हैं और जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं मृत्यु और अस्वस्थता दरें; व्यपगम दरें, ब्जाज दरें और व्यय; तथा देयताओं के मूल्यांकन में किया गया कोई सुस्पष्ट प्रावधान;

(xiv) "तकनीकी देयताएँ" से साधारण बीमा (पुनर्बीमा) व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा (पुनर्बीमा) व्यवसाय की पालिसियों या संविदाओं के अंतर्गत या उनके संबंध में उत्पन्न होनेवाली देयताओं को कवर करने के लिए इन विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रावधान अभिप्रेत हैं जिनमें बीमांकिक मूल्यांकन के सभी आधारों के प्रतिकूल विचलनों के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल है;

(xv) **"**अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन**"** से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 के अंतर्गत बताये गये रूप में न्यूनतम पूँजी की राशि के न्यूनतम पचास प्रतिशत के अधीन प्रयोज्य रूप में इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III या भाग IV या भाग V के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट तरीके से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;

(xvi) "शोधन-क्षमता अनुपात" से अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुपात अभिप्रेत है;

(xvii) "अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि" (यूपीआर) से अंकित प्रीमियम के उस भाग को निरूपित करनेवाली राशि अभिप्रेत है जो परवर्ती लेखांकन अवधियों के कारण है और उन अवधियों को आबंटित की जानेवाली है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों, अथवा नियमों अथवा विनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

4. बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों को नियंत्रित करनेवाले सिद्धांत

(1) गणितीय आरक्षित निधियाँ अथवा तकनीकी देयताएँ, जैसी स्थिति हो, सुदृढ़ बीमांकिक सिद्धांतों पर आधारित हों;
(2) बीमाकर्ता का शोधन-क्षमता मार्जिन हर समय कम से कम नियंत्रण स्तर पर सुनिश्चित किया जाए;
(3) वित्तीय विवरण बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्र निरूपित करें;
(4) निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाए कि पालिसीधारकों की देयताएँ जब भी देय हों, पूरी की जाएँ;
(5) बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य संपन्न करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

5. बीमाकर्ता की बोर्ड-अनुमोदित नीतियाँ

बीमाकर्ताओं के पास बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्यों के क्षेत्रों को नियंत्रित करनेवाली बोर्ड-अनुमोदित नीतियाँ होंगी, जैसे बोनस वितरण दर्शन, आस्ति-देयता प्रबंध, निवेश और जोखिम प्रबंध।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बीमाकर्ता नीचे निर्धारित किये अनुसार संबंधित उपबंधों का पालन करें :
(1) अनुसूची-I: बीमांकिक कार्य
(2) अनुसूची-II: वित्त कार्य
(3) अनुसूची-III: निवेश कार्य
(4) अनुसूची-IV: बीमा कंपनियों द्वारा ऋण और अग्रिम
(5) अनुसूची-V: विवरणियों का निरीक्षण और आपूर्ति

7. परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी करने की शक्ति

सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर इन विनियमों से संबंधित परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश जारी कर सकता है, यदि आवश्यक हों, जिनमें शामिल हैं परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, लाभ सहित (विद प्राफिट) समिति, नियुक्त बीमांकक के संबंध में लागू मानदंड, विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ, बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश के साथ प्रस्तुत किये जानेवाले विवरणों के संबंध में प्राप्त की जानेवाली विस्तृत सूचना, साधारण बीमा, पुनर्बीमा और जीवन बीमा व्यवसायों, जैसा लागू हो, के संबंध में किन्हीं अन्य अतिरिक्त फार्मों या विवरणों का प्रस्तुतीकरण।

8. कठिनाइयाँ दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने या उसका अर्थ-निर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी जब भी आवश्यक हो तब उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

9. निरसन

(i) ये विनियम इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निम्नलिखित विनियमों को निरस्त करेंगेः

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 और अनुवर्ती संशोधन;
2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिशेष के वितरण) विनियम, 2002;
3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016;
4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 और अनुवर्ती संशोधन;
5. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022;
6. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2016;
7. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और अनुवर्ती संशोधन;
8. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निरीक्षण और विवरणियों की प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015;
9. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016.

(ii) अन्य उपबंध जो यहाँ उपर्युक्त विनियमों में विनियम 9(i) के अंतर्गत अस्तित्व में थे और इस विनियम में शामिल नहीं किये गये हैं, उनके संबंध में इस विनियम के विनियम 7 के उपबंध के अंतर्गत जारी किये जानेवाले परिपत्र के द्वारा अलग से कार्रवाई की जाएगी।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष
[विज्ञापन.-III/4/असाधारण/XXX/2023-24]

अनुसूची-I: बीमांकिक कार्य

भाग I: परिभाषाएँ

1. सामान्यः

(1) "भारतीय बीमांकक संस्थान" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 3 के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय अभिप्रेत है
(2) "मूल्यांकन दिनांक" से वह दिनांक अभिप्रेत है जब बीमाकर्ता की आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन किया जाता है
(3) "साधारणतः भारत का निवासी" से आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार परिभाषित भारत का निवासी अभिप्रेत है

2. जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू:

(1) "अतिरिक्त प्रीमियम" से मानक प्रीमियम दरों को व्युत्पन्न करने में फैक्टरिंग किये गये जोखिम से अधिक अतिरिक्त जोखिम एक्सपोज़र के लिए संगृहीत प्रभार या प्रीमियम अभिप्रेत है
(2) "सामूहिक व्यवसाय" से वैयक्तिक व्यवसाय से इतर व्यवसाय अभिप्रेत है
(3) "गारंटियाँ" से लाभों अथवा प्रीमियमों अथवा प्रभारों से संबंधित शर्तें अभिप्रेत हैं, जिनमें पालिसी की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा
(4) "वैयक्तिक व्यवसाय" से एकल या संयुक्त जीवन के आधार पर जारी की गई वैयक्तिक बीमा संविदाएँ अभिप्रेत हैं
(5) "अंतर मूल्यांकन अवधि" से बीमाकर्ता की आस्तियों और देयताओं के दो क्रमिक बीमांकिक मूल्यांकनों के बीच की अवधि अभिप्रेत है
(6) "परिपक्वता दिनांक" से वह नियत दिनांक अभिप्रेत है जब परिपक्वता लाभ समग्र रूप में या आकस्मिक तौर पर देय हो सकता है
(7) "सममूल्येतर पालिसियाँ" अथवा "लाभों में सहभागिता से रहित पालिसियाँ" से वे पालिसियाँ अभिप्रेत हैं जो किसी अधिशेष या किन्हीं लाभों में किसी अंश के लिए पात्र नहीं हैं
(8) "लाभरहित पालिसीधारकों" से "सममूल्येतर पालिसियों" के धारक अभिप्रेत हैं
(9) "विकल्प" से किसी पालिसी के अंतर्गत पालिसीधारक के लिए उपलब्ध अधिकार अभिप्रेत हैं
(10) "सममूल्य पालिसियाँ" या "लाभों में सहभागिता से युक्त पालिसियाँ" से वे पालिसियाँ अभिप्रेत हैं जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार पालिसी की अवधि के दौरान अधिशेष या लाभों में अंश के लिए पात्र हैं
(11) "लाभों में आस्थगित सहभागिता से युक्त पालिसियाँ" से वे पालिसियाँ अभिप्रेत हैं जो पालिसी के प्रारंभ की तारीख से एक निश्चित अवधि के बाद लाभों में सहभागिता के लिए पात्र हैं
(12) "सहभागी पालिसीधारक" से "सममूल्य पालिसियों" और "लाभों में आस्थगित सहभागिता से युक्त पालिसियों" के धारक अभिप्रेत हैं
(13) "प्रीमियम भुगतान अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान प्रीमियम देय हैं
(14) "पालिसी खाते" से परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय और परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत प्रत्येक पालिसी के लिए निधियाँ अभिप्रेत हैं
(15) "जोखिम पर राशि" किसी भी समय पालिसी के संबंध में
पालिसी की (गणितीय आरक्षित निधियाँ)
की तुलना में
{`वार्षिकी भुगतानों सहित आवधिक भुगतानों के रूप में मृत्यु या किसी अन्य आकस्मिकता के कारण देय लाभों का वर्तमान मूल्य'}
और
{`कवर की गई मृत्यु या किसी अन्य आकस्मिकता पर देय एकमुश्त लाभ'}
का जोड़
का आधिक्य

3. साधारण बीमाकर्ताओं के लिए लागूः

(1) "आबंटित हानि समायोजन व्यय (एएलएई)" दावे से संबंधित व्यय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी विशिष्ट दावे के कारण हैं

(2) "दावा संबंधी आरक्षित निधियाँ" से उन दावों से संबंधित आरक्षित निधियाँ (रिज़र्व) अभिप्रेत हैं जो मूल्यांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार पहले ही घटित हो चुके हैं

(3) "उपगत परन्तु पर्याप्त रूप से सूचित न की गई (आईबीएनईआर) आरक्षित निधियाँ" से वे आरक्षित निधियाँ (रिज़र्व) अभिप्रेत हैं जो एएलएई, यदि कोई हो, सहित सूचित किये गये दावों के अनुमानों में प्रत्याशित परिवर्तन निरूपित करती हैं

(4) "उपगत परन्तु सूचित न की गई दावा (आईबीएनआर) आरक्षित निधियाँ" में आईबीएनईआर, पुनः खोले गये दावों के लिए अनुमान, उपगत परन्तु सूचित न किये गये दावों के लिए प्रावधान, मूल्यांकन की तारीख को मार्गस्थ दावों के लिए प्रावधान और एएलएई शामिल हैं

(5) "बकाया दावा आरक्षित निधियाँ (ओएस रिज़र्व)" से एएलएई सहित मूल्यांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार सूचित किये गये सभी बकाया दावों के संबंध में किया गया प्रावधान अभिप्रेत है

(6) "असमाप्त जोखिम आरक्षित निधियाँ" से असमाप्त जोखिमों के लिए देयताओं से संबंधित तथा अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) और प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) के कुल जोड़ के रूप में निर्धारित आरक्षित निधियाँ अभिप्रेत हैं

भाग II: नियुक्त बीमांकक

1. नियुक्त बीमांकक की नियुक्तिः

भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत बीमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर एक बीमांकक की नियुक्ति करेगा, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नियुक्त बीमांकक" के रूप में जाना जाएगा।

2. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाः

(1) बीमाकर्ता के लिए नियुक्त बीमांकक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र होगा, यदि वहः

(i) साधारणतः भारत का निवासी है

(ii) बीमांकक अधिनियम, 2006 के अनुसार एक फेलो सदस्य है

(iii) जीवन बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला, भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का एक फेलो सदस्य हैः

(क) जीवन बीमा के क्षेत्र में कम से कम 12 वर्ष का अनुभव और उसमें से कम से कम 7 वर्ष के लिए फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।
बशर्ते कि, यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान से अथवा किसी अन्य संस्थान या निकाय जिसके साथ आईएआई का परस्पर मान्यता करार हो, से जीवन बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग या विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय उत्तीर्ण किया है, तो ऊपर अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(1)(iii)(क) में यथाउल्लिखित फेलोशिप के बाद के अनुभव के मानदंड सहित अनुभव के मानदंड को 2 वर्ष घटाया जाएगा।

(ख) अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(1)(iii)(क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में फेलोशिप के बाद के 7 वर्ष या 5 वर्ष, जैसा लागू हो, में से कम से कम 3 वर्ष जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले भारतीय जीवन बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमा शाखा के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन अथवा उत्पाद कीमत-निर्धारण की तैयारी या समीक्षा में होंगे।

उपर्युक्त के बावजूद, जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समकक्ष (पियर) समीक्षक या स्वतंत्र बीमांकक या पैनल बीमांकक या बीमांकक के

रूप में जीवन बीमा के क्षेत्र में अनुभव अथवा जीवन बीमा व्यवसाय में बीमांकक परामर्श कार्य (कन्सल्टन्सी) में अनुभव अथवा प्राधिकरण के पास संगत अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम या वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की भूमिका में होगा।

(iv) साधारण बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करते हुए भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो सदस्यः

(क) साधारण बीमा के क्षेत्र में कम से कम 9 वर्ष का अनुभव और जिसमें से कम से कम 4 वर्ष फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान से या ऐसे किसी अन्य संस्थान या निकाय से जिसके साथ आईएआई का परस्पर मान्यता करार हो, साधारण बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग या विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय उत्तीर्ण कर लिया है, तो ऊपर अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(1)(iv)(क) में यथाउल्लिखित फेलोशिप के बाद के अनुभव के मानदंड सहित अनुभव के मानदंड को 2 वर्ष घटाया जाएगा।

(ख) यथाप्रयोज्य 4 वर्ष या 2 वर्ष में से कम से कम 2 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव, जैसा कि अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(1)(iv) (क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है, किसी भारतीय साधारण बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता या साधारण और स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाली विदेशी पुनर्बीमा शाखा के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन अथवा उत्पाद कीमत-निर्धारण की तैयारी अथवा समीक्षा में होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समकक्ष समीक्षक या पैनल बीमांकक या बीमांकक के रूप में साधारण बीमा के क्षेत्र में अनुभव अथवा साधारण बीमा व्यवसाय में बीमांकिक परामर्श कार्य (कन्सल्टेन्सी) में अनुभव या प्राधिकरण के पास संगत अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम या वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की भूमिका में होगा।

(v) स्वास्थ्य बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो सदस्यः

(क) साधारण या स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कम से कम 9 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 4 वर्ष फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान से या ऐसे किसी संस्थान या निकाय, जिसके साथ आईएआई का परस्पर मान्यता करार है, से साधारण या स्वास्थ्य बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग या विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय को उत्तीर्ण किया है, तो ऊपर अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(1)(v)(क) में उल्लिखित रूप में फेलोशिप के बाद के अनुभव के मानदंड सहित अनुभव के मानदंड को 2 वर्ष घटाया जाएगा।

(ख) अनुसूची-I II 2(1)(v)(क) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट रूप में 4 वर्ष या 2 वर्ष, जैसा लागू हो, में से कम से कम 2 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव किसी भारतीय साधारण या स्वास्थ्य बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता या साधारण या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाली विदेशी पुनर्बीमा शाखा के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन या उत्पाद कीमत-निर्धारण की तैयारी या समीक्षा में होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, साधारण या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समकक्ष समीक्षक या पैनल बीमांकक या बीमांकक के रूप में साधारण या स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में अनुभव अथवा साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में बीमांकिक परामर्श कार्य (कन्सल्टेन्सी) में अनुभव या प्राधिकरण के पास संगत अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

(ग) कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम या वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की भूमिका में होगा।

(vi) पूर्णकालिक आधार पर बीमाकर्ता का कर्मचारी हो;

(vii) एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने व्यावसायिक या अन्य कदाचार नहीं किया हो;

(viii) भारत में किसी अन्य बीमाकर्ता का नियुक्त बीमांकक न हो;

(ix) एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया व्यवहार का प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट आफ प्रैक्टिस) हो;

(x) 70 वर्ष से अधिक आयु का न हो।

3. इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार विद्यमान नियुक्त बीमांककों के लिए उपबंधः

इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को यथाविद्यमान वर्तमान नियुक्त बीमांकक संबंधित बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में जारी रहने के लिए पात्र हैं।

4. बीमाकर्ता समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करनेवाले नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

5. सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन के अंदर आवेदन को या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा।

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर देगा।

6. बीमाकर्ता जो इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(1) के अनुसार नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति नहीं कर सकता, प्राधिकरण को पात्रता की किन्हीं शर्तों से छूट देने के लिए लिखित में आवेदन प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी एक या उससे अधिक शर्तों से छूट प्रदान कर सकता है। तथापि, इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(1)(ii), 2(1)(vii) और 2(1)(ix) के अंतर्गत शर्तों के संबंध में कोई छूट नहीं होगी।

7. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख को या उसके बाद प्रभावी होगी।

8. आवेदन के अस्वीकरण का प्रभाव

बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(5) के अंतर्गत उल्लिखित आवेदन की अस्वीकृति से चार सप्ताह के अंदर इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2(5) के अंतर्गत उसके द्वारा अस्वीकृत नियुक्त बीमांकक को छोड़कर अन्य नियुक्त बीमांकक के रूप में किसी बीमांकक की नियुक्ति के लिए इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के अंतर्गत प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

9. नियुक्त बीमांकक के बिना व्यवसाय का संचालन करना

(1) कोई भी बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक के बिना बीमा/पुनर्बीमा का व्यवसाय नहीं करेगा। इस संबंध में किसी अननुपालन से अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 9(1) के अंतर्गत उपबंधों की छूट के लिए बीमाकर्ता का अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसी अवधि (एक वर्ष से अनधिक) के लिए छूट प्रदान कर सकता है, जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

(3) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 9(2) के अंतर्गत उल्लिखित छूट पर विचार करने के लिए अस्थायी उपबंधों के संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी कर सकता है।

10. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति की समाप्ति

(1) नियुक्त बीमांकक को निम्नलिखित कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन को वापस लेने की एक सूचना दी जाएगीः

  (i) वह इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के अनुसार उसका पात्र होना समाप्त हो गया/गई है।

  (ii) उसने सक्षम प्राधिकारी की राय में इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त बीमांकक के कर्तवों और दायित्वों का पर्याप्त रूप से और उचित रूप से निष्पादन नहीं किया है।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसे नियुक्त बीमांकक को नोटिस देने के बाद उसको अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा और उसके बाद अनुमोदन को वापस लेने अथवा जारी की गई नोटिस के प्रतिसंहरण के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

(3) यदि नियुक्त बीमांकक इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 10(1) में उल्लिखित कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से बीमाकर्ता का नियुक्त बीमांकक होना समाप्त होने की औपचारिक सूचना बीमाकर्ता को देता है, तो बीमाकर्ता और नियुकत बीमांकक बीमाकर्ता को ऐसी सूचना देने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर इसके लिए कारण प्राधिकरण को सूचित करेंगे।

(4) बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक के साथ परामर्श करने के बाद नियुक्त बीमांकक की सेवाओं के समापन के कारण उत्पन्न होनेवाले वार्षिक सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण में विलंब से बचने के लिए प्रयास करेगा।

11. नियुक्त बीमांकक की शक्तियाँ

(1) नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के कब्जे में या नियंत्रण में स्थित ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेजों तक पहुँच रखेगा यदि ऐसी पहुँच नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक है।

(2) नियुक्त बीमांकक इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 11(1) के प्रयोजन के लिए किसी भी सूचना की अपेक्षा बीमाकर्ता के किसी अधिकारी या कर्मचारी से कर सकता है।

(3) नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित के लिए पात्र होगाः

(i) बीमाकर्ता के निदेशकों की बैठक सहित प्रबंधक-वर्ग की बैठकों में तथा बीमाकर्ता के शेयरधारकों की अथवा पालिसीधारकों की बैठकों में उपस्थित होने, ऐसे किसी भी विषय पर बोलने और चर्चा करने के लिएः

(i) जो निदेशकों को दिये गये बीमांकिक परामर्श से संबंधित हो;

(ii) जो बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता को प्रभावित कर सकता हो;

(iii) जो पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकता हो; अथवा

(iv) जिस पर बीमांकिक परामर्श आवश्यक हो।

(4) नियुक्त बीमांकक, नियुक्त बीमांकक के रूप में अपने कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता को कोई भी वक्तव्य देने के लिए पात्र होगा। यह किन्हीं अन्य विनियमों के अंतर्गत नियुक्त बीमांकक के रूप में प्रदत्त किसी अन्य विशेषाधिकार के अतिरिक्त है।

(5) नियुक्त बीमांकक के नियुक्ति-पत्र का कोई भी उपबंध इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों, दायित्वों और विशेषाधिकारों को प्रतिबंधित या निवारित नहीं करेगा।

12. कर्तव्य और दायित्व

विशेष रूप से, पूर्वोक्त विषयों की किसी भी सामान्यता, तथा बीमा उद्योग और पालिसीधारकों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों और दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(1) यह सुनिश्चित करना कि बीमाकर्ता की देयताओं और आस्तियों के बीमांकिक मूल्यांकन को संचालित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक अभिलेख उसको उपलब्ध कराये गये हैं;

(2) बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श देना, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बीमा संविदा वाक्यरचना, निवेश और पुनर्बीमा के क्षेत्रों में;

(3) हर समय शोधन-क्षमता को बनाये रखने के लिए बीमाकर्ता के सामर्थ्य के साथ संबद्ध जोखिमों की पहचान और निगरानी करना तथा उन जोखिमों की सूचना बीमाकर्ता के बोर्ड को देना जहाँ नियुक्त बीमाकंक विश्वास करता है कि ऐसी महत्वपूर्ण चिंताएँ हैं जो बीमकर्ता की शोधन-क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं, वहाँ शोधन-क्षमता की स्थिति को सुधारने के लिए की जानेवाली कार्रवाइयों पर अपनी सिफारिशों के साथ बोर्ड को सूचना देना तथा प्राधिकरण को सूचित करना, यदि बीमाकर्ता स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम नहीं उठाता;

(4) अधिनियम की धारा 64वी के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से मूल्यांकित की गई आस्तियों और देयताओं के प्रमाणीकरण के संबंध में उक्त धारा के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(5) अधिनियम की धारा 64वीए के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से शोधन-क्षमता के मार्जिन का अपेक्षित नियंत्रण स्तर बनाये रखने के संबंध में उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन करना;

(6) बीमाकर्ता के प्रबंधन का ध्यान ऐसे किसी भी विषय की ओर आकर्षित करना जिसपर वह सोचता है या सोचती है कि अधिनियम के ऐसे स्वरूप के उल्लंघन से बचने के लिए, जो पालिसीधारकों के हितों को प्रभावित कर सकता है, बीमाकर्ता के द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित है;

(7) समय-समय पर प्राधिकरण के निदेशों का अनुपालन करना;

(8) यह सुनिश्चित करना कि बीमाकर्ता की समग्र कीमत-निर्धारण नीति बीमाकर्ता की समग्र जोखिम-अंकन और दावा प्रबध नीति के अनुरूप है;

(9) पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना;

(10) जोखिम प्रबंध प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान करना;

(11) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना के संबंध में अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों का अनुपालन करना;

(12) उपर्युक्त के अतिरिक्त, जीवन बीमा व्यवसाय करनेवावले किसी बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश तथा अन्य विवरणियों को प्रमाणित करना;

(ii) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान जिन पालिसीधारकों की पालिसियाँ मृत्यु या अन्य किसी कारण से भुगतान के लिए भुगतान हेतु परिपक्व होती हैं, उनको जीवन बीमाकर्ता द्वारा देय अंतरिम बोनस या बोनसों की सिफारिश के संबंध में अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन करना;

(iii) बीमाकर्ता के प्रबंधन व्ययों के संबंध में बीमांकिक सलाह देना;

(iv) यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;

(v) प्रमाणित करना कि गणितीय आरक्षित निधियाँ इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III में निर्धारित तरीके से तथा भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी नोट्स/बीमांकिक व्यवहार मानक और प्राधिकरण द्वारा दिये गये किन्हीं निदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई हैं;

(vi) यह सुनिश्चित करना कि देयताओं के मूल्यांकन के और सहभागी पालिसीधारकों को, जो अधिशेष के अंश के लिए पात्र हैं, अधिशेष के वितरण के विषय में पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को ध्यान में रखा गया है;

(vii) बीमा उद्योग और पालिसीधारकों के हित में बीमांकिक सलाह प्रस्तुत करना

(viii) गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन का समन्वय करना;

(ix) गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त पद्धतियों और अंतर्निहित माडलों एवं पूर्वानुमानों की उपयुक्तता को सुनिश्चित करना;

(x) गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता का निर्धारण करना;

(xi) गणितीय आरक्षित निधियों की विश्वसनीयता और पर्याप्तता के बारे में बीमाकर्ता के बोर्ड को सूचित करना;

(13) उपर्युक्त (1) से (11) तक के अतिरिक्त, साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता के नियुकत बीमांकक के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i) यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;

(ii) यह प्रमाणित करना कि उपगत परन्तु सूचित नहीं किये गये दावों के लिए आरक्षित निधियों (आईबीएनआर) सहित दावा आरक्षित निधियों और अन्य आरक्षित निधियों (उपगत परन्तु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये दावों के लिए आरक्षित निधियों सहित)(आईबीएनईआर) तथा प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) का निर्धारण बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए और इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग IV में निर्धारित तरीके से किया गया है;

(iii) बीमाकर्ता के प्रबंधन व्ययों के संबंध में बीमांकिक सलाह देना;

(iv) आईबीएनआर और अन्य आरक्षित निधियों (आईबीएनईआर और पीडीआर के लिए आरक्षित निधियों सहित) के लिए आरक्षित निधियों के परिकलन का समन्वय करना;

(v) आईबीएनआर के लिए आरक्षित निधियों तथा आईबीईएनआप और पीडीआर के लिए आरक्षित निधियों सहित अन्य आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता का निर्धारण करना;

(vi) बीमाकर्ता के बोर्ड को आईबीएनआर तथा आईईएनआर और पीडीआर के लिए आरक्षित निधियों सहित अन्य आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के बारे में बीमाकर्ता के बोर्ड को सूचित करना;

(14) एक उचित समय के अंदर अपनी राय लिखित में प्राधिकरण को निम्नलिखित की सूचना देनाः

(i) बीमाकर्ता द्वारा अधिनियम या किन्हीं अधिनियमों का किसी उल्लंघन का स्वरूप यदि ऐसा है कि वह उल्लेखनीय रूप में बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पालिसियों के पालिसीधारकों या लाभार्थियों के हितों को प्रभावित कर सकता है;

(ii) क्या बीमाकर्ता के निदेशकों ने ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उचित रूप में आवश्यक है; अथवा

(iii) क्या बीमाकर्ता के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने से उसे रोकने के लिए उद्दिष्ट आचरण में लिप्त रहा है।

(15) यदि कोई नियुक्त बीमांकक, बीमांकक के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित (डिस्क्वालिफाई) किया जाता है, तो उसका नियुक्त बीमांकक के रूप में रहना तत्काल समाप्त हो जाता है;

(16) अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करते समय नियुक्त बीमांकक सामान्य रूप से स्वीकृत बीमांकिक सिद्धांतों और व्यवहारों का उचित ध्यान रखेगा;

(17) नियुक्त बीमांकक प्राधिकरण को किसी भी संस्था के द्वारा उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की सूचना ऐसे प्रारंभ की तारीख से सात दिन के अंदर देगा।

13. हितों का संघर्ष

(1) नियुक्त बीमांकक इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा, तथा वह किसी ऐसी क्षमता में कार्य नहीं करेगा जो इन विनियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकक के रूप में अपनी भूमिका का निष्पादन करने में हितों के किसी संघर्ष के रूप में परिणत हो सकती है।

(2) बीमाकर्ता और नियुक्त बीमांकक हर समय नियुक्त बीमांकक के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग II के विनियम 13(1) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

14. बीमाकर्ता के दायित्व

(1) बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करायेगा।

(2) पर्याप्त बीमांकिक विशेषज्ञता निर्मित या विकसित करने के लिए, जीवन बीमाकर्ताओं के पास कम से कम दो बीमांकक तथा साधारण/स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के पास समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जानेवाली अवधि के अंदर कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए नियुक्त बीमांकक के अतिरिक्त कम से कम एक बीमांकक होगा।

(3) बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि बीमाकर्ता के विभिन्न कार्य नियुक्त बीमांकक को उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने में पर्याप्त समर्थन उपलब्ध कराएँगे।

(4) बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त बीमांकक एक ही समय बीमाकर्ता के मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका निष्पादित नहीं करेगा। तथापि, मुख्य जोखिम अधिकारी अधिमानतः नियुक्त बीमांकक से अलग स्वतंत्र रूप में एक बीमांकक हो सकता है।

(5) बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त बीमांकक सीधे बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

15. पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा, केवल उस स्थिति को छोड़कर जहाँ कोई विदेशी बीमाकर्ता भारत में स्थापित एक शाखा के द्वारा पुनर्बीमा व्यवसाय में सक्रिय हो। विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के संबंध में लागू मानदंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मास्टर परिपत्र के अनुसार होंगे।

भाग III: जीवन बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

1. प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग सभी जीवन बीमाकर्ताओं पर लागू होगा।

(क) आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जन

1. आस्तियों का मूल्यांकन

जीवन बीमाकर्ता की सभी आस्तियों का मूल्यांकन इन विनियमों की अनुसूची II (वित्तीय विवरणों की तैयारी) तथा निम्नलिखित आस्तियों को छोड़कर जिन्हें शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के लिए शून्य मूल्य के साथ रखी जाएँगी, अन्य प्रकार की पूँजी और निवेश संबंधी विनियमों, निदेशों और दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, सहित अन्य प्रयोज्य विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

(1) भारत में एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेष राशियाँ और बकाया प्रीमियम, तीस दिन की अवधि के अंदर उनके वसूल न की गई सीमा तक;
(2) भारत के बाहर एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेष राशियाँ और बकाया प्रीमियम, उनके वसूलीयोग्य न होने की सीमा तक;
(3) विविध कर्ज, उनके वसूलीयोग्य न होने की सीमा तक;
(4) वसूलीयोग्य न होने के स्वरूप के अग्रिम और प्राप्य राशियाँ;
(5) इन विनियमों की अनुसूची-IV के अनुसार ऋण और अग्रिम;
(6) फर्नीचर, जुड़नार, जड़वस्तु स्टाक और स्टेशनरी;
(7) आस्थगित व्यय;
(8) लाभ-हानि विनियोजन खाता शेष का नामे शेष तथा पूर्वदत्त व्ययों को छोड़कर कोई भी काल्पनिक आस्तियाँ;
(9) पुनर्बीमाकर्ता की एक सौ बीस दिन से अधिक के लिए बकाया शेषराशियाँ;
(10) पट्टाधृत सुधार;
(11) 120 दिन से अधिक के लिए बकाया अप्रयुक्त वस्तु-सेवा कर (जीएसटी) जमा;
(12) "संचित हानियाँ" के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्तियों को छोड़कर अन्य "आस्थगित कर आस्ति" का पचहत्तर प्रतिशत;
(13) **"**संचित हानियाँ**"** के कारण उत्पन्न होनेवाली **"**आस्थगित कर आस्ति**";**
(14) वसूलीयोग्य न होने की सीमा तक कोई अन्य आस्तियाँ।

2. देयताओं की राशि का निर्धारण

जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता देयताओं की राशि का मूल्यांकन नीचे निर्धारित तरीके से करेगाः

(1) गणितीय आरक्षित निधियों का निर्धारण प्रत्येक संविदा के लिए उप-पैरा (2) से (4) तक के अनुसार मूल्याकन की भविष्यलक्षी पद्धति के द्वारा किया जाएगा।

(2) मूल्याकंन पद्धति में सभी संभावित आकस्मिकताओं को हिसाब में लिया जाएगा जिनके अंतर्गत पालिसी की शर्तों के द्वारा निर्धारित रूप में पालिसी के अंतर्गत कोई प्रीमियम (पालिसीधारक द्वारा) अथवा लाभ (पालिसीधारक/ लाभार्थी को) देय हो सकता है। लाभों का स्तर पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं (बोनसों के संबंध में, अंतिम बोनसों, यदि कोई हों, सहित) तथा लाभों के भुगतान के लिए किसी बीमाकर्ता की किन्हीं स्थापित प्रथाओं को हिसाब में लेगा।

(3) मूल्यांकन पद्धति किन्हीं विकल्पों और गारंटियों की लागत को हिसाब में लेगी जो संविदा की शर्तों के अंतर्गत पालिसीधारक को उपलब्ध हो सकती है।

(4) प्रत्येक पालिसी के अंतर्गत देयता की राशि का निर्धारण सभी संगत मानदंडों के विवेकपूर्ण पूर्वानुमानों पर निर्भर होगा। ऐसे प्रत्येक मानदंड का मूल्य बीमाकर्ता के प्रत्याशित अनुभव पर आधारित होगा और इसमें प्रतिकूल विचलनों (इन विनियमों में इसके बाद एमएडी के रूप में उल्लिखित) के लिए उपयुक्त मार्जिन शामिल होगा जो गणितीय आरक्षित निधियों की राशि में किसी कमी के रूप में परिणत नहीं होगा।

(5) ऋणात्मक आरक्षित निधियों का व्यवहार और अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियाँ :

(i) किसी पालिसी के संबंध में गणितीय आरक्षित निधि की राशि जिसकी गणना उप-पैरा (4) के अनुसार निर्धारित है, ऋणात्मक हो सकती है (जो "ऋणात्मक आरक्षित निधियाँ" कहलाएँगी) अथवा मूल्यांकन की तारीख को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य से कम ("अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियाँ" कहलाएँगी) हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए अभ्यर्पण मूल्य विशेष अभ्यर्पण मूल्य और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य का उच्चतर होगा।

(ii) अधिनियम की धारा 35 के प्रयोजन के लिए नियुक्त बीमांकक किसी आशोधन के बिना ऐसी गणितीय आरक्षित निधियों की राशि का उपयोग करेगा।

(iii) नियुक्त बीमांकक अधिनियम की धाराओं 13, 49, 64वी और 64वीए के प्रयोजन के लिए, जैसी स्थिति हो, ऐसे ऋणात्मक आरक्षित निधि के मामले में ऐसे गणितीय आरक्षित निधि की राशि को शून्य के रूप में निर्धारित करेगा, अथवा ऐसी अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियों के मामले में, अभ्यर्पण मूल्य के रूप में निर्धारित करेगा।

(6) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर मूल्यांकन पद्धति "सकल प्रीमियम मूल्यांकन" होगाः

(i) सामूहिक बीमा के साथ संबद्ध राइडरों सहित एक-वर्षीय नवीकरणयोग्य सामूहिक सावधि बीमा जिसमें आरक्षित निधियाँ अनर्जित प्रीमियम, प्रीमियम की कमी और उपगत परंतु सूचित न किये गये दावों की अनुमति देंगी।

(ii) वैयक्तिक उत्पादों के साथ संबद्ध राइडर जिनमें आरक्षित निधि सकल प्रीमियम मूल्यांकन आरक्षित निधि और अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि का उच्चतर होगी।

(7) वैयक्तिक व्यवसाय के लिए, नियुक्त बीमांकक उपगत परंतु सूचित न किये गये दावों के संबंध में अतिरिक्त आरक्षित निधि को रोक सकता है।

(8) यदि नियुक्त बीमांकक की राय में मूल्यांकन की सकल प्रीमियम पद्धति को छोड़कर मूल्यांकन की अन्य पद्धति को अपनाना है, तो अन्य सन्निकटन (अप्राक्सिमेशन) पद्धतियों (उदा. पूर्वव्यापी पद्धति) का प्रयोग किया जा सकता है।

बशर्ते कि परिकलित आरक्षित निधि की राशि के संबंध में प्रत्याशित है कि वह कम से कम उस राशि के समान होगी जो सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति लागू करने के द्वारा उत्पन्न की जाएगी।

(9) देयताओं की राशि के परिकलन की पद्धति और मूल्यांकन मानदंडों के लिए पूर्वानुमान एक वर्ष से अगले वर्ष तक यादृच्छिक समाप्तियों के अधीन नहीं होंगे।

3. **पालिसी नकदी प्रवाहः** मूल्यांकन की सकल प्रीमियम पद्धति एक उपयुक्त ब्याज दर पर निम्नलिखित भावी पालिसी नकदी प्रवाहों को घटाएगी,

(1) देय सकल प्रीमियम, यदि की हों;
(2) मृत्यु, उत्तरजीविता, परिपक्वता, संविदा के स्वैच्छिक समापन अथवा पालिसी के अंतर्गत कवर की गई कोई अन्य आकस्मिकताएँ;
(3) पहले से ही मूल्यांकन दिनांक की स्थिति के अनुसार निहित बोनस, यदि कोई हों;
(4) मूल्यांकन दिनांक को मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बोनस, यदि कोई हों;
(5) अंतिम बोनसों सहित, भावी बोनस (मूल्यांकन दिनांक के एक वर्ष बाद), यदि कोई हों;
(6) कोई अन्य लाभ, जैसे लागू हों;

(7) पालिसी के संबंध में देय कमीशन और पारिश्रमिक, यदि कोई हो। देखभाल रहित (आर्फन्ड) पालिसियों के संबंध में कमीशन का भुगतान न करने के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी;

(8) पालिसी के संबंध में पालिसी रखरखाव व्यय, यदि कोई हों;

(9) शेयरधारकों को लाभ का आबंटन, यदि कोई हो, जहाँ शेयरधारकों को स्रोतजन्य लाभों और पालिसीधारकों के लिए घोषित बोनस दरों के बीच विशिष्ट संबंध है,
बशर्ते कि छूट अवश्य कर, यदि कोई हो, के लिए दी जानी चाहिए;

(10) कोई अन्य नकदी प्रवाह, जैसा लागू हो।

4. पालिसी विकल्प और गारंटियाँ: जहाँ पालिसी अंतर्निहित विकल्प उपलब्ध कराता है जिनका प्रयोग पालिसीधारक के द्वारा किया जा सकता है, जैसे परिवर्तन अथवा अच्छे स्वास्थ्य के साक्ष्य के बिना भावी दिनांक(कों) को कवरेज का परिवर्धन अथवा गारंटियाँ, जैसे संविदा की परिपक्वता पर वार्षिकी दर गारंटियाँ, निवेश गारंटियाँ आदि, वहाँ ऐसे विकल्पों अथवा गारंटियों की लागतों का अनुमान गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन में विशेष नकदी प्रवाहों के रूप में किया जाएगा।

5. मूल्यांकन मानदंडः

(1) मूल्यांकन मानदंड उन आधारों को बनाते हैं जिनपर भावी पालिसी नकदी प्रवाहों की संगणना की जाएगी और घटाया जाएगा। प्रत्येक मानदंड मूल्यांकन किये जानेवाले व्यवसाय के खंड के लिए उपयुक्त होगा। नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित को ध्यान में रखेगाः

(i) मानदंड का(के) मूल्य बीमाकर्ता का अनुभव अध्ययन पर आधारित होगा(होंगे) जहाँ उपलब्ध हो। यदि विश्वसनीय अनुभव अध्ययन उपलब्ध नहीं है, तो उक्त मूल्य उद्योग अध्ययन पर आधारित हो सकते हैं, यदि उपलब्ध और उपयुक्त हो। यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो उक्त मूल्य उत्पाद के कीमत-निर्धारण के लिए प्रयुक्त आधारों पर निर्भर होंगे। किसी मानदंड के प्रत्याशित स्तर को स्थापित करने में, अनुभव में किसी संभावित ह्रास को हिसाब में लिया जाएगा।

(ii) इस उप-पैरा में खंड (i) में निर्धारित रूप में प्रत्याशित स्तर का समायोजन प्रतिकूल विचलनों के लिए उपयुक्त मार्जिन (एमएडी) द्वारा किया जाएगा, जहाँ प्रत्येक मानदंड में ऐसे एमएडी का स्तर प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक व्यवहार मानकों / मार्गदर्शी नोट्स पर आधारित होगा।

(iii) विभिन्न मूल्यांकन मानदंडों के लिए प्रयुक्त मूल्य आपस में सुसंगत होने चाहिए।

(2) प्रयुक्त की जानेवाली **मुत्यु दरें** किसी प्रकाशित सारणी के संदर्भ द्वारा होंगी, जब तक कि बीमाकर्ता ने अपने अनुभव के आधार पर एक अलग सारणी निर्मित नहीं की होः
बशर्ते कि ऐसी प्रकाशित सारणी प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा बीमा उद्योग को उपलब्ध करायी जाएगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि व्यवसाय एक प्रकाशित सारणी के संदर्भ द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि प्रकाशित सारणी के संदर्भ के द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम हो सकती हैं यदि नियुक्त बीमांकक एक निम्नतर प्रतिशत को उचित सिद्ध कर सके।

(3) प्रयुक्त की जानेवाली **अस्वस्थता दरें** किसी प्रकाशित सारणी के संदर्भ के द्वारा होंगी, जब तक बीमाकर्ता अपने अनुभव के आधार पर एक अलग सारणी निर्मित नहीं की होः

बशर्ते कि ऐसी प्रकाशित सारणी प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा बीमा उद्योग को उपलब्ध कराई जाएगीः
परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि एक प्रकाशित दर के संदर्भ के द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होंगी।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि प्रकाशित सारणी के संदर्भ के द्वारा निर्धारित ऐसी दरें उस प्रकाशित सारणी के एक सौ प्रतिशत से कम हो सकती हैं यदि नियुक्त बीमांकक एक निम्नतर प्रतिशत को उचित सिद्ध कर सके।

(4) **पालिसी अनुरक्षण व्यय** बीमाकर्ता के वास्तविक व्यय अनुभव का ध्यान रखेंगे। सभी व्यय मुद्रास्फीति के लिए भावी वर्षों में बढ़ाये जाएँगे; अनुमानित मुद्रास्फीति दर मूल्यांकन ब्याज-दर के साथ सुसंगत होगी।

बशर्ते कि उपयुक्त अतिरिक्त प्रावधान किये जाएँगे यदि वास्तविक अनुभव पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया गया हो।

परंतु आगे यह भी शर्तो होगी कि उपर्युक्त उपबंध जीवन बीमा कंपनियों के लिए व्यवसाय के प्रारंभ की तारीख से प्रथम पाँच वर्ष के लिए लागू नहीं होगा।

(5) **मूल्यांकन ब्याज दरः-**

(i) सर्वोत्तम अनुमान ब्याज दर का निर्धारण सर्वप्रथम जीवन बीमा व्यवसाय के खंडों के कारण वर्तमान आस्तियों से वर्तमान और प्रत्याशित प्रतिफलों तथा उन प्रतिफलों के आधार पर होगा जो बीमाकर्ता भविष्य में निवेश की जानेवाली राशियों से प्राप्त करने की प्रत्याशा करता है, तथा ऐसा निर्धारण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा-

(क) देयताओं का समर्थन करनेवाली आस्तियों, हाथ में विद्यमान निवेशों से प्रत्याशित नकदी प्रवाहों, मूल्यांकन की जानेवाली पालिसियों के खंड से नकदी प्रवाहों, संभावित भावी निवेश परिस्थितियों, तथा भावी निवल नकदी प्रवाहों के साथ व्यवहार करने में प्रयुक्त की जानेवाली पुनर्निवेश और विनिवेश रणनीति की संरचना;
(ख) ऐसे निवेश या मूल धन की चुकौती पर आय की प्राप्ति के संबंध में निवेश के साथ संबद्ध जोखिम;
(ग) बीमाकर्ता के निवेश कार्यों के साथ संबद्ध व्यय।

(ii) ऐसे सर्वोत्तम अनुमान का समायोजन मूल्यांकन ब्याज दर प्राप्त करने हेतु प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन के द्वारा किया जाएगा।

(iii) इसके अलावा, उक्त मूल्यांकन ब्याज दर,

(क) जीवन बीमा व्यवसाय के खंडों के कारण वर्तमान आस्तियों से प्रतिफलों के विवेकपूर्ण आकलन तथा उन प्रतिफलों से जिनकी प्रत्याशा बीमाकर्ता भविष्य में निवेश की जानेवाली राशियों से प्राप्त करने के लिए करता है, से निर्धारित ब्याज दरों से उच्चतर नहीं होगा
(ख) विशेष श्रेणी की संविदाओं के संबंध में पालिसी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य, ऐसी श्रेणी की संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुरक्षित आस्तियों के प्रतिफलों के परिकलन के लिए उच्चतर नहीं होगी
(ग) लाभरहित व्यवसाय के संबंध में, भावी ब्याज दरों के जोखिम की पहचान करेगी
(घ) सहभागी व्यवसाय के संबंध में, पूर्वानुमान (भावी निवेश स्थितियों के संबंध में) के आधार पर होगी, कि मूल्यांकन में प्रयुक्त भावी बोनसों का मान मूल्यांकन ब्याज दर के साथ सुसंगत है।

(6) **व्यपगम दर,** पर यदि मूल्यांकन के लिए विचार किया जाता है, तो उत्पाद या इसी प्रकार के उत्पादों के पिछले अनुभव के आधार पर एक विवेकपूर्ण पूर्वानुमान होनी चाहिए, तथा यह उत्पादों के स्वरूप, लक्ष्य बाजार, वितरण माध्यम आदि के आधार पर प्रत्याशित भावी अनुभव का ध्यान रखते हुए होगी।

(7) **अन्य मानदंड** पालिसी के प्रकार के आधार पर हिसाब में लिये जा सकते हैं। ऐसे मानदंडों के मूल्य स्थापित करने में इस अनुसूची के भाग III-क में निर्धारित मान्यताओं को हिसाब में लिया जाएगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना बीमाकर्ता के पुनर्बीमाकर्ताओं से किसी भी प्रकार की जमाराशि या जमा के रूप में उधार के तत्व के साथ पुनर्बीमा व्यवस्था को, अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पुनर्बीमा हेतु जमा के रूप में नहीं माना जाएगा।

(9) यदि गणितीय आरक्षित निधि का परिकलन पुनर्बीमा प्रीमियम के संबंध में व्यय के लिए अनुमति देते हुए किया जाता है, तथा जमा को पुनर्बीमाकर्ता से दावा वसूलियों के लिए लिया जाता है, तो मूल्यांकन का आधार और पद्धतियाँ इस अनुसूची के भाग III के अनुसार होंगी।

6. संबद्ध बीमा व्यवसाय के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :

(1) संबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधियों के दो घटक होंगे, अर्थात् यूनिट आरक्षित निधियाँ या पालिसी खाता मूल्य और सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ।

(2) यूनिट आरक्षित निधियाँ या पालिसी खाता मूल्य का परिकलन मूल्यांकन दिनांक को यूनिट मूल्यों या पालिसी खाता मूल्य, यदि लागू हो, का उपयोग करते हुए मूल्यांकन दिनांक को प्रचलित पालिसियों को आबंटित यूनिटों या पालिसी खाता मूल्य के संबंध में किया जाएगा।

(3) सामान्य निधि आरक्षित निधियों का निर्धारण बट्टागत नकद प्रवाह पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाएगा, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-

(i) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों;

(ii) सामान्य निधि आरक्षित निधि के द्वारा व्यवस्थित मृत्यु पर देय लाभ, यदि कोई हों (यूनिटों के मूल्य या पालिसी खाता मूल्य से अधिक);

(iii) सामान्य निधि को प्रदत्त प्रभार;

(iv) अभ्यर्पण मूल्यों या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;

(v) निधि वृद्धि दरें और निधि प्रबंध प्रभार। (अन्य के साथ इन मानदंडों के मूल्यों का निर्धारण इन विनियमों की अनुसूची I के भाग III (क) के पैरा 5(5) के अनुसार किया जाएगा;

(vi) गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;

(vii) अन्य भावी नकदी प्रवाह, यदि कोई हों;

(viii) किसी भी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए आरक्षित निधियों की स्थापना के द्वारा उपयुक्त रूप में प्रावधान किया जाएगा;

(4) उपर्युक्तानुसार परिकलित संबद्ध पालिसियों के अंतर्गत सामान्य निधि आरक्षित निधि यदि ऋणात्मक हो, तो शून्य के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

(5) सामान्य निधि आरक्षित निधियों को निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध लाभरहित व्यवसाय हेतु आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा।

7. परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :

(1) परिवर्ती संबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधि में दो घटक होंगे, अर्थात् पालिसी खाता आरक्षित निधियाँ और सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ

(2) पालिसी खाता आरक्षित निधियाँ मूल्यांकन दिनांक को पालिसी खाते में शेष राशि होंगी।

(3) सामान्य निधि आरक्षित निधियों का निर्धारण बट्टागत नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाएगा, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-

(i) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों;

(ii) सामान्य निधि द्वारा प्रदत्त मृत्यु पर देय लाभ (पालिसी खाते के मूल्य से अधिक);

(iii) सामान्य निधि में प्रदत्त प्रभार;

(iv) अभ्यर्पण मूल्य या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;

(v) पालिसी खाता वृद्धि दरें और निधि प्रबंध प्रभार। (अन्य के साथ इन मानदंडों के मूल्यों का निर्धारण इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III के पैरा 5(5) के अनुसार किया जाएगा);

(vi) गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;

(vii) अन्य भावी नकदी प्रवाह, यदि कोई हो;

(viii) किसी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए उपयुक्त रूप में व्यवस्था आरक्षित निधियों की व्यवस्था करने के द्वारा की जाएगी।

(4) उपर्युक्तानुसार परिकलित परिवर्ती संबद्ध पालिसियों के अंतर्गत सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ, यदि ऋणात्मक हों, शून्य तक निर्धारित की जाएँगी।

(5) सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि के प्रयोजन के लिए असंबद्ध लाभरहित आरक्षित निधि के रूप में मानी जाएँगी।

8. **परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय (सममूल्य और सममूल्येतर) के लिए अतिरिक्त अपेक्षाएँ :**

(1) परिवर्ती असंबद्ध व्यवसाय के संबंध में आरक्षित निधि में दो घटक हैं, अर्थात् पालिसी खाता आरक्षित निधियाँ और सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ।
(2) पालिसी खाता आरक्षित निधियाँ मूल्यांकन के दिनांक को पालिसी खाते में शेष राशि होंगी।
(3) सामान्य निधि आरक्षित निधियों का निर्धारण बट्टागत नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करने के द्वारा किया जाएगा, जो निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
  (i) भविष्य में देय प्रीमियम, यदि कोई हों;
  (ii) सामान्य निधि के द्वारा प्रदत्त मृत्यु पर देय लाभ (पालिसी खाते के मूल्य से अधिक);
  (iii) सामान्य निधि में प्रदत्त प्रभार;
  (iv) अभ्यर्पण मूल्यों या न्यूनतम मृत्यु और परिपक्वता लाभों से संबंधित गारंटियाँ, यदि कोई हों;
  (v) पालिसी खाता वृद्धि दरें और निधि प्रबंध प्रभार। (इन मानदंडों के मूल्य, अन्यों के साथ, इन विनियमों की अनुसूची । के भाग III के पैरा 5(5) के अनुसार निर्धारित किये जाएँगे);
  (vi) गैर-ऋणात्मक अवशिष्ट परिवर्धन, यदि कोई हों;
  (vii) अन्य भावी नकदी प्रवाह, यदि कोई हों;
  (viii) किसी भावी ऋणात्मक नकदी प्रवाह के लिए उपयुक्त रूप में आरक्षित निधियों की स्थापना करने के द्वारा प्रावधान किया जाएगा;
  (ix) अंतिम बोनसों (मूल्यांकन ब्याज दर के साथ सुसंगत) सहित भावी बोनस (मूल्यांकन दिनांक के एक वर्ष के बाद);
  (x) शेयरधारकों को लाभ का आबंटन, यदि कोई हो, जहाँ शेयरधारकों के कारण लाभों और पालिसीधारकों के लिए घोषित बोनस दरों के बीच विनिर्दिष्ट संबंध है।
  बशर्ते कि कर, यदि कोई हो, के लिए अवश्य छूट दी जाएगी।

(6) उपर्युक्तानुसार परिकलित परिवर्ती असंबद्ध पालिसियों के अंतर्गत सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ, यदि ऋणात्मक हों, तो शून्य तक निश्चित की जाएँगी।

(7) सामान्य निधि आरक्षित निधियाँ निवेश मानदंडों, अधिशेष के वितरण आदि प्रयोजन के लिए असंबद्ध व्यवसाय के लिए आरक्षित निधि के रूप में मानी जाएँगी।

9. अतिरिक्त प्रावधानों के लिए अपेक्षाएँ : नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित के संबंध में समग्र प्रावधान करेगा, जहाँ गणितीय आरक्षित निधियों के निर्धारण में, प्रत्येक पालिसी के लिए गणितीय आरक्षित निधियों का परिकलन करते समय फैक्टर करना संभव नहीं हैः-

(1) पालिसियाँ जिनके संबंध में अवमानक जीवनों के जोखिम-अंकन के कारण अतिरिक्त जोखिमों के अधीन जैसे व्यवसाय संकट, अति-भार, न्यूनभार, धूम्रपान वृत्त, स्वास्थ्य, मौसमी या भौगोलिक परिस्थितियाँ; अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किये गये हैं;
(2) व्यपगत पालिसियाँ जो मूल्यांकन में शामिल नहीं किये गये हैं, परंतु जिनके अंतर्गत देयता विद्यामान है या उत्पन्न हो सकती है;
(3) घटाई गई प्रदत्त पालिसियाँ जहाँ अतिरिक्त आरक्षित निधियों में परिणत होनेवाले पुनःप्रवर्तन की संभावना है;
(4) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पालिसियों के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प;
(5) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पालिसियों के लिए उपलब्ध गारंटियाँ;
(6) विनिमय की दरें जिन पर विदेशों में जारी की गई पालिसियों के संबंध में लाभ भारतीय रुपयों में परिवर्तित किये गये हैं और विनिमय दरों में भावी घट-बढ़ से उत्पन्न होनेवाली गणितीय आरक्षित निधियों की संभावित वृद्धि के लिए प्रावधान किया गया है;
(7) महामारी की घटनाएँ, यदि कोई हों;
(8) अन्य, यदि कोई हों।

10. शोधन-क्षमता मार्जिन

शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तरः

(1) शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का एक सौ पचास प्रतिशत होगा।
(2) प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता हर समय शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर से अन्यून शोधन-क्षमता मार्जिन बनाये रखेगा।

11. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

जहाँ जीवन बीमाकर्ता स्वास्थ्य कवर देते हुए स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करता है, वहाँ देयताओं की राशि का निर्धारण इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

12. भारत के बाहर व्यवसाय

जहाँ जीवन बीमाकर्ता भारत के बाहर किसी देश में बीमाकर्ता की एक शाखा के रूप में जीवन बीमा व्यवसाय करता है तथा मेजबान विनियमनकर्ता को विवरण या विवरणियाँ या ऐसा कोई ब्योरा प्रस्तुत करता है, वहाँ बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III (ख) में यथाविनिर्दिष्ट फार्मों के साथ वह भी संलग्न करेगा।

बशर्ते कि यदि नियुक्त बीमांकक की राय है कि भारत के बाहर जहाँ बीमाकर्ता व्यवसाय करता है, वहाँ देयता और शोधन-क्षमता मानदंड भारत में विद्यमान देयता और शोधन-क्षमता मानदंडों की तुलना में निम्नतर देयता और/या शोधन-क्षमता की अपेक्षा में परिणत होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बीमाकर्ता से अपेक्षा करेगा कि वह भारत के बाहर किसी देश में मेजबान विनियमनकर्ता को प्रस्तुत विवरणों या विवरणियों या किसी ऐसे ब्योरे में दर्शाई गई आरक्षित निधियों से अधिक अतिरिक्त आरक्षित निधियाँ अलग रख दे जिससे भारत में विद्यमान देयता और शोधन-क्षमता मानदंडों का अनुपालन किया जा सके।

13. विवरण प्रस्तुत करना

आस्तियों, देयताओं और शोधन-क्षमता मार्जिन के विवरण इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III (ख) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट फार्मों में प्रस्तुत किये जाएँगे तथा ये भारत के अंदर जीवन बीमा व्यवसाय के लिए और बीमाकर्ता द्वारा किये जानेवाले कुल व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँगे।

(ख) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यथानिर्धारित जीवन बीमा व्यवसाय के लिए रिपोर्ट और सारांश।

1. बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश की तैयारी के लिए प्रक्रिया।

(1) उक्त सारांश और विवरण अवश्य इस प्रकार व्यवस्थित किये जाने चाहिए कि पैराग्राफों की संख्याएँ और अक्षर इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III (ख) के विनियम 2 के अनुरूप हों।
(2) उक्त सारांश और विवरण प्राधिकरण को उक्त अवधि के अंत से तीन महीने के अंदर प्रस्तुत किये जाएँगे जिससे वे संबंधित हैं अथवा बोर्ड द्वारा खातों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर प्रस्तुत किये जाएँगे, जो भी पहले हो।
(3) ऐसे प्रत्येक सारांश और विवरण के साथ निम्नलिखित को संलग्न किया जाएगाः
   (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कि प्रत्येक पालिसी का पूर्ण और सही ब्योरा जिसके अंतर्गत कोई देयता है, चाहे वास्तविक हो या आकस्मिक, जाँच के लिए नियुक्त बीमांकक के पास भेजा गया है; तथापि, मूल्यांकन डेटा में कमी को सुधारने के लिए की जा रही कार्रवाई के साथ अपवर्जन, यदि कोई हों, प्रकट किये जाएँ।
   (ii) नियुक्त बीमांकक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र उसकी टिप्पणी के साथ इस आशय का किः
      (क) सीईओ द्वारा प्रस्तुत डेटा जाँच के प्रयोजन के लिए देयताओं के मूल्यांकन के संचालन में शामिल किया गया है;
      (ख) अधिनियम के उपबंधों का पालन किया गया है;
      (ग) प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक व्यवहार मानकों का पालन किया गया है;

(घ) डेटा के सहीपन और संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये गये हैं (यदि डेटा की कोई कमी पाई जाती है तो उसपर विशेष बल दिया जाए);

(ङ) नियुक्त बीमांकक की राय में, गणितीय आरक्षित निधियाँ संविदाओं के अंतर्गत बीमाकर्ता की भावी प्रतिबद्धताओं और पालिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

2. सारांश और विवरणों के लिए लागू अपेक्षाएँ

(1) सारांश और विवरण निम्नलिखित के संबंध में अलग-अलग तैयार किये जाएँगे –

(i) सहभागी;

(ii) लाभरहित व्यवसाय।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों के अनुसार तैयार किये गये सारांश के साथ अनुबंध – एसीटीएल (1) – (9) में विनिर्दिष्ट फार्म में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगाः-

(i) फार्म आईए पीएआर (लाभरहित व्यवसाय के संबंध में)

(ii) फार्म आईए एनपीएआर (लाभरहित व्यवसाय के संबंध में)

(iii) देयताओं का विवरण – फार्म एच, फार्म एनएलबी, फार्म एलबी, फार्म वीआईपी-एनएलबी और फार्म वीआईपीएलबी

(iv) आस्तियों का विवरण – फार्म एए

(v) मूल्यांकन तुलन-पत्र – फार्म आई

(vi) फार्म केटी1

(vii) फार्म केटी2

(viii) उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन और शोधन-क्षमता अनुपात का विवरण – फार्म केटी3

(ix) अधिशेष की संरचना और वितरण – फार्म एस

(3) प्रत्येक बीमाकर्ता उपर्युक्त विवरणों के साथ निम्नलिखित भी प्रस्तुत करेगाः

(i) लाभसहित (विथ प्राफिट) समिति की रिपोर्ट

(ii) समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित कोई अन्य फार्म

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फार्मेटों में उपर्युक्त विवरणों के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त की जा सकती है।

(3) **प्रत्येक सारांश निम्नलिखित को दर्शायेगा-**

(i) **मूल्यांकन दिनांक –** वह दिनांक जब मूल्यांकन (जाँच) किया गया है;

(ii) **उत्पाद –** मूल्यांकन में शामिल किये गये सभी उत्पादों/राइडरों की सूची उनकी संबंधित यूआईएन के साथ;

(iii) **विदेशी परिचालन –** अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान बीमाकर्ता के विदेशी परिचालनों का संक्षिप्त विवरण;

(iv) **मूल्यांकन डेटा –** नियुक्त बीमांकक सीईओ द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा की सुसंगति, संपूर्णता और सहीपन का सत्यापन करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में टिप्पणी करेगा।

(v) **मूल्यांकन पद्धति –** निम्नलिखित का एक संक्षिप्त विवरण –

(क) बीमा उत्पादों के संबंध में गणितीय आरक्षित निधियों के निर्धारण में अपनाई गई पद्धतियाँ;

(ख) वह पद्धति जिसके द्वारा प्रवेश के समय आयु, प्रीमियम अवधि, परिपक्वता दिनांक, मूल्यांकन आयु, मूल्यांकन दिनांक से परिपक्वता दिनांक तक की अवधि, का व्यवहार मूल्यांकन के लिए किया गया है;

(ग) वह तरीका जिसमें पुनर्बीमा को घटाकर मूल्यांकन आरक्षित निधियों को प्राप्त करने में पुनर्बीमा को हिसाब में लिया गया है;

(घ) निम्नलिखित के लिए अनुमति देने की पद्धति-

(i) प्रीमियम आय का व्यय-भारः और

(ii) वार्षिक तौर पर देने के अलावा अन्य प्रकार से देय प्रीमियम;

(ङ) विभिन्न विकल्पों और गारंटियों के लिए मूल्यांकन की पद्धतिः

(i) जाँच में शामिल किये गये विभिन्न उत्पादों के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये विभिन्न विकल्पों का ब्योरा दें।

(ii) इन विकल्पों के लिए उपयुक्त प्रावधान करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों का सारांश दें, जहाँ भी स्पष्ट रूप से दी गई हैं।

(iii) जाँच में शामिल किये गये विभिन्न उत्पादों के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न गारंटियों का ब्योरा दें।

(iv) इन गारंटियों के लिए प्रावधान करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों का सारांश दें, जहाँ भी स्पष्ट रूप से दी गई हैं।

(4) **अन्य समायोजन (प्रावधान) –** वे पद्धतियाँ जिनके द्वारा प्रावधान, यदि कोई हों, निम्नलिखित विषयों के लिए किये गये हैं, जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ मूल्यांकन के आधारों के भाग के रूप में आधारों के एक विवरण के साथ,-

(i) पालिसियाँ जिनके संबंध में कम-औसत (अंडर ऐवरेज) जीवनों के जोखिम-अंकन के कारण अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित किये गये हैं जो अतिरिक्त जोखिमों के अधीन हैं जैसे व्यवसाय संकट, अति-भार, न्यूनभार, धूम्रपान वृत्त, स्वास्थ्य, मौसमी या भौगोलिक परिस्थितियाँ;
(ii) मूल्यांकन में शामिल न की गई व्यपगत पालिसियाँ परंतु जिनके अंतर्गत एक देयता विद्यमान है या उत्पन्न हो सकती है;
(iii) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पालिसियों के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प;
(iv) वैयक्तिक और सामूहिक बीमा पालिसियों के लिए उपलब्ध गारंटियाँ;
(v) विनिमय की दरें जिन पर विदेशी मुद्राओं में जारी की गई पालिसियों के संबंध में लाभों को भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया गया है तथा विनिमय दरों में भावी घट-बढ़ से उत्पन्न होनेवाली गणितीय आरक्षित निधियों में संभावित वृद्धि के लिए क्या प्रावधान किया गया है;

(5) **मूल्यांकन के आधार –** मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन मानदंड यहाँ नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट तरीके से सर्वोत्तम अनुमान, प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन, तथा मूल्यांकन के पूर्वानुमान अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँगेः-

विवरण	प्रयुक्त मृत्यु-दर आधार	प्रयुक्त अस्वस्थता दर	मुद्रास्फीति दर	ब्याज दर	व्यय	व्यपगम/ अभ्यर्पण, यदि कोई हो	भावी बोनस, यदि कोई हों	अन्य, विनिर्दिष्ट करें	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(क) बीमा उत्पाद									
i)नियमित प्रीमियम									
ii)एकल प्रीमियम और पूर्णतः प्रदत्त									
iii)घटाया गया प्रदत्त									
(ख) बीमा उत्पाद									
i)नियमित प्रीमियम									

टिप्पणियाँ:

(i) इन मानदंडों के लिए प्रतिकूल विचलनों हेतु मार्जिनों का सारांश दें।
(ii) अनुभव, यदि कोई हो, के साथ मूल्यांकन मानदंडों पर पहुँचने के लिए आधार दें।
(iii) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान पूर्वानुमानों में किये गये किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सारांश प्रभाव के साथ दें।
(iv) सारणी के स्तंभ (6) के अंतर्गत प्रीमियमों, बीमित राशि, वार्षिकी, आदि और प्रति पालिसी से संबंधित व्ययों को अलग-अलग विनिर्दिष्ट करें।

(v) सारणी के स्तंभ (9) के अंतर्गत मदों जैसे लाभ युक्त संविदाओं के संबंध में अंतिम बोनस तथा संबद्ध व्यवसाय के संबंध में प्रबंध प्रभारों, यूनिट वृद्धि दर, पालिसी खाता वृद्धि दर आदि को विनिर्दिष्ट करें।

(vi) अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, से संबंधित मदों को स्तंभ (9) के भाग के रूप में शामिल करें।

3. **ऋणात्मक आरक्षित निधियाँ और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियाँ –** ऋणात्मक आरक्षित निधियों और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कमी-पूरक आरक्षित निधियों के लिए अपनाये गये व्यवहार का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

4. **आस्तियों संबंधी विवरणीः** निवेश पर प्राप्ति व्यवसाय / संवर्गों आदि के खंडों के कारण आस्तियों पर समय के चलते मध्यम निधि (मीन फंड) के प्रतिशत के रूप में निवेश आय होगी। इस प्रयोजन के लिए आस्तियों का मूल्य इन विनियमों की **अनुसूची-I के भाग III-क** में निर्धारित आस्ति मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करते हुए आस्तियों के समायोजित मूल्य होगा। मधयम निधि (मीन फंड) का निर्धारण राशि और निधि में नकदी प्रवाह के विस्तार पर विचार करते हुए किया जाएगा।

5. **अधिशेष का वितरण. –** अधिशेष के वितरण में अपनाया गया आधार शेयरधारकों और पालिसीधारकों के बीच के रूप में है, तथा क्या ऐसे वितरण का निर्धारण बीमाकर्ता को संघटित करनेवाले लिखतों के द्वारा अथवा उसके विनियमों के द्वारा अथवा उप-विधियों के द्वारा अथवा अन्य किस प्रकार से किया गया था, इसका उल्लेख किया जाएगा।

6. **अधिशेष के वितरण में अपनाये गये सिद्धांतः**

पालिसीधारकों के बीच अधिशेष के वितरण में अपनाये गये सामान्य सिद्धांत, निम्नलिखित बिन्दुओं पर विवरणों सहित, प्रस्तुत किया जाएगाः-

(1) क्या उक्त सिद्धांत बीमाकर्ता को संघटित करनेवाले लिखतों के द्वारा निर्धारित किये गये थे, अथवा उसके विनियमों के द्वारा अथवा उप-विधियों के द्वारा अथवा अन्यथा किस प्रकार से

(2) बोनस का आबंटन करने से पहले, उन वर्षों की संख्या जब प्रीमियम का भुगतान किया जाना है, व्यतीत होनेवाली अवधि, तथा पूरी की जानेवाली अन्य शर्तें

(3) क्या बोनस का आबंटन प्रत्येक वर्ष भुगतान किये गये प्रीमियम के संबंध में किया गया है, अथवा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के संबंध में है, अथवा बीमा के वर्ष अथवा अन्यथा किस प्रकार से है; तथा

(4) क्या बोनस आबंटन के तुरंत बाद निहित होता है, अथवा यदि ऐसा नहीं, तो निहित करनेवाली शर्तें।

7. **पालिसीधारकों की निधियों के संबंध में अधिशेष की संरचना और अधिशेष के वितरण का विवरण**

(1) तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिशेष की कुल राशि और ऐसे अधिशेष के आबंटन को दर्शाते हुए पालिसीधारकों की निधियों के संबंध में अधिशेष की संरचना और अधिशेष के वितरण का एक विवरण निम्नलिखित ब्योरे के साथ सहभागी व्यवसाय और लाभरहित व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाएगाः

(i) मूल्यांकन वर्ष के दौरान निकलनेवाला अधिशेष;

(ii) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतरिम बोनस;

(iii) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतिम बोनस;

(iv) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त निष्ठा परिवर्धन अथवा अन्य प्रकार के बोनस, यदि कोई हों;

(v) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान शेयरधारकों की निधियों से अंतरित की गई राशि;

(vi) पूर्ववर्ती मूल्यांकन से आगे लाया गया, पालिसीधारकों की निधियो से अधिशेष की राशि;

(vii) कुल अधिशेष ((i) से (vi) तक की मदों का कुल जोड़);

अधिशेष का वितरणः
पालिसीधारकों की निधिः

(i) प्रति, भुगतान किये गये अंतरिम बोनस;

(ii) प्रति, अंतिम बोनस;

(iii) प्रति, निष्ठा परिवर्धन अथवा कोई अन्य प्रकार के बोनस, यदि कोई हों;
(iv) पालिसीधारकों के बीच तत्काल सहभागिता के साथ, उन पालिसियों की संख्या देते हुए जिन्होंने सहभागिता की तथा उनके अंतर्गत बीमित राशियाँ (बोनसों को छोड़कर);
(v) पालिसीधारकों के बीच आस्थगित सहभागिता के साथ, उन पालिसियों की संख्या देते हुए जिन्होंने सहभागिता की और उनके अंतर्गत बीमित राशियाँ (बोनसों को छोड़कर);
(vi) प्रति, प्रत्येक आरक्षित निधि अथवा अन्य निधि या खाता (अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान खातों के जरिये पारित कोई ऐसी राशियाँ अलग-अलग बताई जाएँ;
(vii) आगे ले जाये गये रूप में तथा अ-विनियोजित।

शेयरधारकों की निधिः

(viii) प्रति, शेयरधारकों की निधियाँ (अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान खातों के माध्यम से पारित कोई ऐसी राशियाँ अलग से बताई जाएँ); कुल राशियाँ;
(ix) आबंटित कुल अधिशेषः ((i) से (viii) तक की मदों का कुल जोड़)

(4) एक हजार रुपये के लाभ के लिए पालिसियों को आबंटित बोनसों का नमूना विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत, जिनमें बोनस प्राप्य है, प्रभाजित राशियों के साथ प्रत्येक प्रकार के सहभागी उत्पाद के लिए, प्रस्तुत किया जाएगा।

8. विवरणों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित उपबंध

(1) **इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III के विनियम 2** के अंतर्गत उल्लिखित विवरणों का निम्नानुसार वर्णन होगा, जैसा लागू होः-
  (i) वर्गीकरण
  (ii) प्रकार
  (iii) श्रेणी
  (iv) प्रभाग
  (v) उप-वर्ग
  (vi) समूह
(2) दो वर्गीकरण होंगे, अर्थात् भारत के अंदर व्यवसाय तथा कुल व्यवसाय (जिसमें भारत के अंदर व्यवसाय तथा भारत के बाहर व्यवसाय निहित हैं), जहाँ वर्गीकरण कूट क्रमशः `बीडब्ल्यूआई' और `बीटी' हैं।
(3) दो प्रकार होंगे, अर्थात् सहभागी और लाभरहित जिनके कूट प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत क्रमशः `पीएआई' और `एनपीएआर' हैं।
(4) प्रत्येक प्रकार के अंतर्गत चार श्रेणियाँ होंगी, अर्थात्,
  (i) असंबद्ध (परिवर्ती बीमा उत्पादों को छोड़कर अन्य) श्रेणी कूट `एनएल' सहित
  (ii) संबद्ध (परिवर्ती बीमा उत्पादों को छोड़कर अन्य) श्रेणी कूट `एल' सहित
  (iii) असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद, श्रेणी कूट `वीआईपी-एनएल' सहित
  (iv) संबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद, श्रेणी कूट `वीआईपी-एल' सहित
(5) दो प्रभाग होंगे, अर्थात् वैयक्तिक व्यवसाय और सामूहिक व्यवसाय, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः प्रभाग कूट `आई' और `जी' सहित।
(6) चार उप-वर्ग होंगे, अर्थात्, जीवन व्यवसाय, पेंशन व्यवसाय, साधारण वार्षिकी व्यवसाय और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय, उप-वर्ग कूट `एल', `पी', `ए', और `एचएल' सहित।
(7) दो समूह होंगे, अर्थात् तत्काल सहभागिता, आस्थगित सहभागिता, उप-वर्ग – सहभागिता प्रकार के अंतर्गत वैयक्तिक प्रभाग का जीवन व्यवसाय - के अंतर्गत समूह कूट क्रमशः `आई-पीएआर' और `डी-पीएआर' के साथ।
(8) दो समूह होंगे, अर्थात् तात्कालिक वार्षिकी और आस्थगित वार्षिकी, सामान्य वार्षिकी व्यवसाय के उप-वर्ग के अंतर्गत समूह कूट `आईए' और `डीए' सहित।
(9) दो समूह होंगे अर्थात् एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम तथा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम जिनके समूह कूट हैं असंबद्ध श्रेणी के अंतर्गत सामूहिक व्यवसाय के प्रभाग के अंतर्गत जीवन व्यवसाय के उप-वर्ग के अंतर्गत क्रमशः `एनजीपी' और `जीपी' हैं।

(10) दो समूह होंगे, अर्थात् गारंटी युक्त और गारंटी रहित जो असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद तथा संबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद में से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः `डब्ल्यूजी' और `डब्ल्यूओजी' के साथ।

(11) उन फार्मों के लिए `शून्य' विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे जहाँ बीमाकर्ता के कोई लेनदेन नहीं हैं।

(12) सभी आंकड़े हजार में प्रस्तुत किये जाएँगे और सभी राशियाँ भारतीय रुपयों में प्रस्तुत की जाएँगी।

(13) सामूहिक व्यवसाय के संबंध में, फार्मों में `पालिसियों की संख्या' को जहाँ भी लागू हो वहाँ `योजनाओं की संख्या' के रूप में पढ़ा जाएगा।

(ग) जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अधिशेष का वितरण

1. एक जीवन बीमा निधि का अनुरक्षण करने की अपेक्षा

(1) अधिनियम की धारा 3 के अधीन पंजीकृत जीवन बीमाकर्ता से निम्नलिखित का अनुरक्षण अलग-अलग करने की अपेक्षा हैः

(i) एक जीवन निधि सहभागी पालिसीधारकों के लिए; तथा

(ii) एक जीवन निधि लाभरहित पालिसीधारकों के लिए।

(2) ऊपर के उप-विनियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन न करने का अर्थ यह होगा कि बीमाकर्ता द्वारा अनुरक्षित जीवन निधि केवल सहभागी पालिसीधारकों के लाभ के लिए ही होगी।

2. अधिशेष के वितरण के लिए प्रक्रिया

जीवन बीमाकर्ता अपने नियुक्त बीमांकक की सलाह पर अपने शेयरधारकों के लिए निम्नलिखित तरीके से, इन विनियमों के भाग III के अनुसार एक वित्तीय वर्ष के लिए किये गये आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन से उत्पन्न होनेवाले बीमांकिक अधिशेष (मूल्यांकन अधिशेष के रूप में भी उल्लिखित) का एक भाग आरक्षित करेः

(1) 100%, लाभरहित पालिसीधारकों के लिए अनुरक्षित जीवन निधि के मामले में;

(2) पालिसीधारकों को आबंटित अधिशेष का 1/9 भाग, सहभागी पालिसीधारकों के लिए अनुरक्षित जीवन निधि के मामले में।

बशर्ते कि तथापि बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह उन मामलों में जहाँ उपर्युक्त आबंटन अधिशेष का 1/9 भाग नहीं है, वहाँ प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करे।

परंतु आगे यह शर्त भी होगी कि बीमाकर्ता अपने शेयरधारकों को उपर्युक्त बीमांकिक अधिशेष के दस प्रतिशत से अधिक आबंटन नहीं करेगा या आरक्षित नहीं रखेगा।

भाग IV : साधारण बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

1. प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग सभी साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

2. आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन

(1) आस्तियों का मूल्यांकनः

साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन बीमाकर्ताओं की सभी आस्तियों का मूल्यांकन इन विनियमों की अनुसूची II (वित्तीय विवरणों की तैयारी) तथा अन्य प्रकार की पूँजी और निवेश संबंधी विनियमों सहित अन्य प्रयोज्य विनियमों, निदेशों और दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार किया जाएगा, केवल निम्नलिखित आस्तियों को छोड़कर जिन्हें शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना के लिए शून्य मूल्य के साथ रखा जाएगा।

(i) भारत में एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेषराशियाँ और बकाया प्रीमियम, उस सीमा तक जहाँ तक तीस दिन की अवधि के अंदर उनकी वसूली नहीं की गई है;

(ii) राज्य/केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओं से संबंधित प्रीमियम प्राप्य राशियाँ, उस सीमा तक जहाँ तक 365 दिन की अवधि के अंदर उनकी वसूली नहीं की गई है;

(iii) भारत के बाहर एजेंटों और मध्यवर्तियों की शेषराशियाँ और बकाया प्रीमियम, उस सीमा तक जहाँ तक वे वसूलीयोग्य नहीं हैं;

(iv) फुटकर कर्ज, उस सीमा तक जहाँ तक वे वसूलीयोग्य नहीं हैं;

(v) अग्रिम और प्राप्य राशियाँ जो वसूलीयोग्य न होने के स्वरूप की हैं;

(vi) इन विनियमों की अनुसूची-IV के अनुसार ऋण और अग्रिम;

(vii) फर्निचर, जुड़नार, जड़वस्तु स्टाक और स्टेशनरी;

(viii) आस्थगित व्यय;

(ix) लाभ-हानि विनियोजन खाता शेष का नामे शेष तथा पूर्व-दत्त व्ययों को छोड़र कोई अन्य काल्पनिक आस्तियाँ;

(x) सह-बीमाकर्ता की नब्बे दिन से अधिक के लिए शेष राशियाँ;

(xi) भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और भारत में शाखाएँ रखनेवाले विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की 365 दिन से अधिक के लिए शेष राशियाँ;

(xii) बिन्दु (x) पर उल्लिखित को छोड़कर पुनर्बीमाकर्ताओं की अन्य शेष राशियाँ जो 180 दिन से अधिक बकाया हैं;

(xiii) पट्टाधृत सुधार;

(xiv) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की उपयोग न की गई जमा 120 दिन से अधिक के लिए बकाया;

(xv) `संचित हानियों' के कारण उत्पन्न होनेवाली को छोड़कर अन्य `आस्थगित कर आस्ति' का पचहत्तर प्रतिशत;

(xvi) `संचित हानियाँ' के कारण उत्पन्न होनेवाली `आस्थगित कर आस्ति';

(xvii) कोई अन्य आस्तियाँ वसूलीयोग्य न होने की सीमा तक।

(2) **देयताओं की राशि का निर्धारण**

तकनीकी देयताओं की राशि का निर्धारण मूल्यांकन दिनांक को व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग-अलग किया जाएगा तथा यह असमाप्त जोखिम आरक्षित निधियों और दावा आरक्षित निधियों का कुल जोड़ होगी। नियुक्त बीमांकक सुनिश्चित करेगा कि अनुमानित आरक्षित निधियाँ देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

(i) असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (यूआरआर):

उक्त यूआरआर का परिकलन सुदृढ़ बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए किया जाएगा तथा यह निम्नलिखित से बनेगीः

(क) अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर):

अनर्जित प्रीमियम के लिए एक आरक्षित निधि का प्रावधान अंकित प्रीमियम के उस भाग को निरूपित करनेवाली राशि के रूप में किया जाएगा जो परवर्ती लेखांकन अवधियों के कारण है और उन्हीं को आबंटित की जाती है। यूआरआर का अनुमान वर्तमान प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा तथा इसे मुख्य वित्तीय अधिकारी और सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(ख) प्रीमियम कमी पूरक आरक्षित निधि (पीडीआर):

पीडीआर का परिकलन सुदृढ़ बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। यद्यपि पीडीआर का अनुरक्षण बीमाकर्ता के स्तर पर किया जाएगा, तथापि खंडीय आधार पर पीडीआर की निगरानी उत्पादों की धारणीयता का निर्धारण करने के लिए तथा व्यवसाय की व्यवस्थाओं के स्तर पर अनुरक्षित किये जाने के लिए की जाएगी। बीमाकर्ता के स्तर पर अनुरक्षित रूप में पीडीआर न्यूनतम शून्य मूल्य के अधीन होगी।

प्रीमियम कमी की पहचान की जाएगी यदि अनुमानित दावा लागतों, व्ययों और रखरखाव की लागतों की कुल राशि अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि से अधिक हो जाती है। प्रीमियम कमी पूरक आरक्षित निधि का परिकलन नियुक्त बीमांकक द्वारा किया जाएगा और उसे विधिवत् प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) **दावा आरक्षित निधि**

(क) दावा आरक्षित निधि का निर्धारण बकाया दावा आरक्षित निधि, उपगत परंतु सूचित न किये गये दावों की आरक्षित निधि (आईबीएनआर) तथा उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये दावों की आरक्षित निधि (आईबीएनईआर) की समग्र राशि के रूप में किया जाएगा जैसा कि निम्नलिखित व्यवसाय की व्यवस्थाओं के लिए नीचे विवरण दिया गया है।

मद	
सं. व्यवसाय की व्यवस्था	
मोटर	
1	मोटर ओडी-निजी कार
2	मोटर ओडी-दुपहिया वाहन
3	मोटर ओडी-वाणिज्यिक वाहन
4	मोटर टीपी- निजी कार
5	मोटर टीपी- दुपहिया वाहन
6	मोटर टीपी- वाणिज्यिक वाहन (असावीकृत समूह)
7	मोटर टीपी- वाणिज्यिक वाहन (टीपी समूह)
8	मोटर टीपी- वाणिज्यिक वाहन (समूह को छोड़कर अन्य)
स्वास्थ्य	
9	स्वास्थ्य बीमा – वैयक्तिक
10	स्वास्थ्य बीमा – समूह - सरकारी योजनाएँ
11	स्वास्थ्य बीमा – समूह – नियोक्ता/कर्मचारी योजनाएँ
12	स्वास्थ्य बीमा – समूह – अन्य योजनाएँ
वैयक्तिक दुर्घटना	
13	वैयक्तिक दुर्घटना – व्यक्तिगत
14	वैयक्तिक दुर्घटना – समूह (सरकारी योजनाएँ)
15	वैयक्तिक दुर्घटना – समूह – अन्य योजनाएँ
16	यात्रा
17	अग्नि (फायर)
मरीन	
18	मरीन कार्गो
19	मरीन – मरीन कार्गो को छोड़कर अन्य
अन्य विविध	
20	इंजीनियरिंग
21	विमानन
22	उत्पाद देयता
23	देयता बीमा
24	कर्मकार प्रतिकर/ नियोक्ता की देयता
25	फ़सल बीमा
26	मौसम बीमा
27	जमा बीमा
28	अन्य

(ख) बताया दावा आरक्षित निधि

बकाया दावा आरक्षित निधि का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगाः

i. जहाँ बीमाकर्ताओं के बकाया दावों की राशि ज्ञात है, वहाँ उक्त राशि का पूर्णतः प्रावधान करना होगा

ii. जहाँ बीमाकर्ता के अनुसार बकाया दावों की राशि का उचित रूप से अनुमान किया जा सकता है, वहाँ बीमाकर्ता निपटान के स्वरूप या औसत दावा राशियों, व्ययों और मुद्रास्फीति में परिवर्तनों के लिए सुस्पष्ट छूट को ध्यान में रखने के बाद `मामला दर मामला पद्धति' का अनुसरण करेगा।

iii. व्यवसाय की उन व्यवस्थाओं के लिए, जहाँ नियुक्त बीमांकक की राय है कि बकाया दावों के अनुमान के लिए सांख्यिकीय पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है, वहाँ नियुक्त बीमांकक मामला-दर-मामला पद्धति का अनुसरण करने के स्थान पर दावों के लिए आरक्षित व्यवस्था की उपयुक्त सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग कर सकता है। ऐसे मामलों में, नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया दावा आरक्षित निधि को प्रमाणित किया जाएगा। जहाँ नियुक्त बीमांकक दावों पर कार्रवाई की प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान करता है, वहाँ बकाया दावों के आरक्षित स्वरूप पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा और उसकी सूचना दी जाएगी।

(ग) उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर) दावा आरक्षित निधि

i. उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर) दावा आरक्षित निधि का निर्धारण उपयुक्त बीमांकिक सिद्धांतों और पद्धतियों का उपयोग करने के द्वारा किया जाएगा।

ii. उक्त आईबीएनआर का अनुमान उपयुक्त बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए किया जाएगा और नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

iii. नियुक्त बीमांकक आईबीएनआर का अनुमान दोनों पुनर्बीमा को घटाकर और पुनर्बीमा को सकल रूप में लेने के आधार पर करेगा।

iv. नियुक्त बीमांकक घटना के प्रत्येक वर्ष के लिए आईबीएनआर हेतु प्रावधान का अनुमान करेगा तथा आंकड़ों का कुल जोड़ करेगा जिससे प्रावधान की जानेवाली कुल राशि प्राप्त की जा सके।

v. यदि घटना के किसी वर्ष के लिए आईबीएनआर के प्रावधान का अनुमान एक ऋणात्मक मूल्य उत्पन्न करता है, तो नियुक्त बीमांकक घटना के उस वर्ष के लिए आईबीएनआर के प्रावधान को कम से कम शून्य पर मानेगा।

vi. अनुमान की प्रक्रिया दावों के अनुमानित भावी विकास को वर्तमान तारीख तक नहीं घटाएगी।

3. अन्य देयताओं का निर्धारण

साधारण बीमाकर्ता निम्नलिखित मदों के संबंध में एक उचित मूल्य पूर्णतः रखेगाः

(1) अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान; घोषित या सिफारिश किये गये लाभांशों तथा बकाया लाभांशों के लिए आरक्षण की व्यवस्था;
(2) बीमा व्यवसाय करनेवाली बीमा कंपनियों को देय राशि;
(3) विविध लेनदारों को देय राशि;
(4) कराधान के लिए प्रावधान;
(5) विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि; तथा
(6) अन्य देयताएँ, यदि कोई हों।

4. शोधन-क्षमता मार्जिन का निर्धारण

(1) प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता अनुबंध एसीटीएल-12 के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम में अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन, तथा शोधन-क्षमता अनुपात का निर्धारण करेगा।

(2) शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तरः

(क) शोधन-क्षमता का नियंत्रण स्तर अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का एक सौ पचास प्रतिशत होगा।
(ख) प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता हर समय शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर से अन्यून शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण करेगा।

5. प्रस्तुत किये जानेवाले विवरण

1. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता अनुबंध एसीटीएल-10 के अनुसार फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में स्वीकार्य आस्तियों के मूल्य का एक विवरण प्रस्तुत करेगा।
2. तकनीकी देयताओं की राशि का निर्धारण मूल्यांकन दिनांक को फार्म आईआऱडीएआई-जीआई-एसएम में सूचीबद्ध रूप में व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग-अलग किया जाएगा। प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता देयताओं का एक विवरण अनुबंध एसीटीएल-11 के अनुसार फार्म आईआरडीए-जीआई-टीआर में प्रस्तुत करेगा जो अधिनियम की धारा 64वी के अनुसार नियुक्त बीमांकक, प्रधान अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
3. प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता अनुबंध एसीटीएल-12 के अनुसार फार्म आईआरडीए-जीआई-एसएम में शोधन-क्षमता मार्जिन का विवरण प्रस्तुत करेगा।
4. साधारण बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में कोई भी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. ऊपर निर्धारित किये रूप में फार्म, अर्थात् फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए, फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर और फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम भारत के अंदर साधारण बीमा व्यवसाय के लिए और साधारण बीमाकर्ता द्वारा किये गये कुल व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाएँगे।
6. ये फार्म प्राधिकरण को उस अवधि की समाप्ति से, जिससे वे संबंधित हैं, तीन महीने के अंदर अथवा बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा खातों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर, जो भी पहले हो, समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किन्हीं अन्य रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किये जाएँगे।

6. भारत के बाहर व्यवसायः

जहाँ बीमाकर्ता भारत के बाहर किसी देश में साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय बीमाकर्ता की एक शाखा के रूप में करता है और उस देश के मेजबान विनियमनकर्ता को विवरण या विवरणियाँ या ऐसे कोई ब्योरे प्रस्तुत करता है, वहाँ बीमाकर्ता उसकी एक प्रति इन विनियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट फार्मों के साथ तथा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में संलग्न करेगा।

बशर्ते कि यदि नियुक्त बीमांकक की राय है कि भारत के बाहर जहाँ बीमाकर्ता व्यवसाय करता है, वहाँ देयता और शोधन-क्षमता मानदंड भारत में विद्यमान देयता और शोधन-क्षमता मानदंडों की तुलना में निम्नतर देयता और/या शोधन-क्षमता की अपेक्षा में परिणत होते हैं, तो नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता से अपेक्षा करेगा कि वह भारत के बाहर किसी देश में मेजबान विनियमनकर्ता को प्रस्तुत किये गये विवरणों या विवरणियों या ऐसे किसी ब्योरे में दर्शाई गई आरक्षित निधियों से अधिक अतिरिक्त आरक्षित निधियाँ अलग रख दे, जिससे भारत में विद्यमान देयता और शोधन-क्षमता मानदंडों का अनुपालन किया जा सके।

भाग V: शोधन-क्षमता मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए `विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं' सहित पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए प्रयोज्यताः

1. जीवन पुनर्बीमा व्यवसायः

(1) देयताओं की राशि का निर्धारण इन विनियमों के भाग III (क) के अनुसार किया जाएगा
(2) अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का निर्धारण इन विनियमों के भाग III (ख) के अनुसार किया जाएगा।
(3) जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पित स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय शामिल है।

2. साधारण पुनर्बीमा व्यवसायः

(1) देयताओं की राशि का निर्धारण इन विनियमों के भाग IV के अनुसार किया जाएगा;
(2) अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का निर्धारण इन विनियमों के भाग IV के अनुसार किया जाएगा
(3) साधारण बीमा व्यवसाय में साधारण और स्टैंडअलोन बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पित स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय शामिल है।

3. आस्तियों का मूल्यांकन

(1) उपलब्ध आस्ति का मूल्यांकन पुनर्बीमाकर्ता के स्तर पर इन विनियमों की अनुसूची II – बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना- के अनुसार किया जाएगा।
(2) अस्वीकार्य आस्तियों का मूल्यांकन भाग III और भाग IV, जैसा लागू हो, के अनुसार किया जाएगा।

4. शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तरः

(1) शोधन-क्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर कुल अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का एक सौ पचास प्रतिशत होगा, जहाँ कुल अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन और साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का योग होगा।
(2) पुनर्बीमाकर्ता हर समय शोधन-क्षमता मार्जिन के नियंत्रण स्तर से अन्यून शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण करेगा।

5. प्रस्तुत किये जानेवाले विवरण

(1) जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए विवरणः
  (क) देयताओं का विवरण – फार्म एच (अनुबंध एसीटीएल-1)
  (ख) फार्म केटी1 (अनुबंध एसीटीएल-6)
  (ग) फार्म केटी2 (अनुबंध एसीटीएल-7)
(2) साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए विवरणः
  (क) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर (अनुबंध एसीटीएल-11)
  (ख) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम (अनुबंध एसीटीएल-12)
(3) जीवन और साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए संयुक्त विवरण
  (क) आस्तियों का विवरण – फार्म आईआऱडीएआई-आरआई-टीए (अनुबंध एसीटीएल-13)
  (ख) शोधन-क्षमता फार्म – आईआरडीएआई-आरआई-एसएम (अनुबंध एसीटीएल-14)
(4) प्रत्येक पुनर्बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची I के भाग V के विनियम 5(1) से 5(3) के अंतर्गत ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में विवरण प्रस्तुत करेगा।
(5) समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में कोई अन्य फार्म

6. इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग V के विनियम 5 में उल्लिखित रूप में फार्म प्राधिकरण को उस अवधि, जिससे वे संबंधित हैं, की समाप्ति से तीन महीने के अंदर अथवा पुनर्बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा खातों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर, जो भी पहले हो, समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली किन्हीं अन्य रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किये जाएँगे।

अनुसूची-II: वित्त संबंधी कार्य

भाग I: जीवन बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण, प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करना

1. प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग सभी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन सिद्धांत- लेखांकन मानकों की प्रयोज्यता – बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलन-पत्र, राजस्व लेखा [पालिसीधारक खाता], प्राप्ति और भुगतान खाता [नकदी प्रवाह खाता] तथा लाभ-हानि खाता [शेयरधारक खाता] निम्नलिखित को छोड़कर, जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए लागू होने की सीमा तक आईसीएआई द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप होंगे –

(1) लेखांकन मानक 3 (एएस 3) – नकदी प्रवाह विवरण – नकदी प्रवाह विवरण केवल प्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत ही तैयार किया जाएगा।
(2) निवेशों के लिए लेखांकन, लेखांकन मानक 13 (एएस 13) के अनुसार किया जाएगा।
(3) लेखांकन मानक 17 (एएस 17) – खंड रिपोर्टिंग – उसमें उल्लिखित सूचीबद्धता और टर्नओवर का विचार किये बिना सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

3. **प्रीमियम –** प्रीमियम को आय के रूप में तब माना जाएगा जब वह प्राप्य हो। संबद्ध व्यवसाय के लिए भुगतान के लिए नियत दिनांक को उस दिनांक के रूप में लिया जा सकता है जब संबद्ध यूनिट निर्मित किये जाते हैं।

4. **अधिग्रहण लागतें –** अधिग्रहण लागतें, यदि कोई हों, उस अवधि में व्यय की जाएँगी जिस अवधि में वे उपगत की जाती हैं।

   अधिग्रहण लागतें वे लागतें हैं जो परिवर्तनशील हैं तथा प्राथमिक तौर पर नई और नवीकरण बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं। सर्वाधिक आवश्यक जाँच तो बीमा संविदाओं की लागतों और उनके निष्पादन के बीच का अनिवार्य संबंध (अर्थात् जोखिम का प्रारंभ) है।

5. **दावों की लागत –** दावों की अंतिम लागत में पालिसी लाभ की राशि और विशिष्ट दावा निपटान लागतें निहित हैं, जहाँ भी लागू हो।

6. **बीमांकिक मूल्यांकन – जीवन पालिसियों के लिए देयता –** जीवन पालिसियों के आधार पर देयता के अनुमान का निर्धारण बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय की अपनी वार्षिक जाँच के अनुसरण में किया जाता है। वास्तविक पूर्वानुमान लेखों की टिप्पणियों के रूप में प्रकट किये जाने चाहिए।
   देयता का परिकलन इस प्रकार किया जाएगा कि भावी प्रीमियम भुगतानों और निवेश आय को एकसाथ लेते हुए बीमाकर्ता सभी भावी दावों (पालिसीधारकों की बोनस संबंधी पात्रताओं को मिलाकर) को पूरा कर सकता है।

7. **निवेशों का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया –** बीमाकर्ता निवेशों के मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से करेगाः-

   (1) **स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) – निवेश संपत्ति. –** निवेश संपत्ति के मूल्य का निर्धारण ऐतिहासिक लागत पर, कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनर्मूल्यांकन के अधीन किया जाएगा। निवेश संपत्ति की रखाव (कैरीइंग) लागत में परिवर्तन पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में ले जाया जायेगा।

   बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह निर्धारण करेगा कि क्या निवेश संपत्ति में कोई क्षति हुई है। स्थावर संपत्ति की रखाव राशि में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले लाभ/हानियाँ `पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' के अंतर्गत ईक्विटी में ले जाई जाएँगी। `निवेशों के विक्रय पर लाभ' या `निवेशों के विक्रय पर हानि', जैसी स्थिति हो, किसी विशिष्ट संपत्ति के संबंध में शीर्ष `पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' के अंतर्गत पूर्व में ईक्विटी में स्वीकृत रखाव राशि में संचित परिवर्तनों को शामिल करेगी तथा उस संपत्ति के विक्रय पर संबंधित राजस्व लेखा अथवा लाभ-हानि खाते में पुनः वापस ले जाएगी।

   पुनर्मूल्यांकन के लिए आधार लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किये जाएँगे। सक्षम प्राधिकारी पालिसीधारकों को बोनस की घोषणा करने के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से निर्मुक्त की जानेवाली राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकता है। शंका के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के निदेश के अनुसार पालिसीधारकों को निर्मुक्त की जानेवाली राशि को छोड़कर शेयरधारकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते से किसी भी अन्य राशि का वितरण नहीं किया जाएगा।

   किसी क्षतिमूलक हानि को राजस्व/लाभ-हानि खाते में एक व्यय के रूप में तत्काल माना जाएगा, जब तक कि उक्त आस्ति को पुनःमूल्यांकित राशि पर रखा नहीं जाता। किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति की किसी भी क्षतिमूलक हानि को उस आस्ति की पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाएगा तथा यदि क्षतिमूलक हानि तदनुरूपी पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से अधिक हो जाती है, तो ऐसे आधिक्य को राजस्व/ लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में माना जाएगा।

   (2) **कर्ज प्रतिभूतियाँ.-** कर्ज प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप में माना जाएगा तथा परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर इनका मापन किया जाएगा।

   (3) **ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत जो सक्रिय बाजारों में व्यापारित किये जाते हैं.-** सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों, जिनका व्यापार सक्रिय बाजारों में किया जाता है, का मापन तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर किया जाएगा। उचित मूल्य के परिकलन के प्रयोजन के लिए, शेयर बाजारों में जहाँ

प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है, अंतिम उद्धृत बंद भाव के निम्नतम को लिया जाएगा। उचित मूल्य के परिकलन के प्रयोजन के लिए मापन एनएसई में अंतिम उद्धृत बंद भाव होगा। तथापि, एनएसई में सूचीबद्ध नहीं किये जा रहे किसी स्टाक के मामले में, बीमाकर्ता बीएसई में अंतिम उद्धृत बंद भाव के आधार पर मूल्यांकन कर सकता है।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को निर्धारण कर सकता है कि क्या सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूति(यों)/व्युत्पन्नी लिखतों को कोई क्षति घटित हुई है।

एक सक्रिय बाजार से एक ऐसा बाजार अभिप्रेत है, जहाँ व्यापारित प्रतिभूतियाँ समरूप हैं, इच्छुक खरीदारों और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य है तथा कीमतें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाली अप्राप्त लाभों/हानियों को शीर्ष `उचित मूल्य परिवर्तन खाता' के अंतर्गत ईक्विटी में लिया जाएगा। `निवेशों के विक्रय पर लाभ' या `निवेशों के विक्रय पर हानि', जैसी स्थिति हो, में किसी विशिष्ट प्रतिभूति के संबंध में शीर्ष `उचित मूल्य परिवर्तन खाता' के अंतर्गत ईक्विटी में पूर्व में प्राप्त उचित मूल्य में संचित परिवर्तन शामिल किये जाएँगे तथा उस सूचीबद्ध प्रतिभूति का वास्तविक विक्रय होने पर संबंधित राजस्व लेखा अथवा लाभ-हानि खाते में पुनः वापस लिये जाएँगे।

सक्षम प्राधिकारी पालिसीधारकों को बोनस की घोषणा करने के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते से निर्मुक्त की जानेवाली राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए निदेश जारी कर सकता है। शंका के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार पालिसीधारकों को उन्मुक्त की जानेवाली राशि को छोड़कर उचित मूल्य परिवर्तन खाते से शेयरधारकों को किसी भी अन्य राशि का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, लाभांशों की घोषणा करते समय उचित मूल्य परिवर्तन खाते में विद्यमान कोई भी नामे शेष लाभ/मुक्त आरक्षित निधियों से घटाया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को निर्धारण करेगा कि क्या कोई क्षति घटित हुई है। किसी भी क्षतिमूलक हानि (अर्थात् मूल्य में अस्थायी कमी को छोड़कर अन्य) को राजस्व/लाभ-हानि खाते में एक व्यय की तरह, उक्त प्रतिभूति/निवेश के पुनः मापे हुए उचित मूल्य तथा राजस्व/ लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में मानी गई पहले की किसी क्षतिमूलक हानि के द्वारा घटाये गये उसके अधिग्रहण मूल्य के बीच के अंतर की सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। राजस्व/ लाभ-हानि खाते में पूर्व में स्वीकृत क्षतिमूलक हानि का कोई भी प्रतिवर्तन राजस्व/ लाभ-हानि खाते में स्वीकार किया जाएगा।

बीमाकर्ता खातों की टिप्पणी में क्षति की स्वीकृति पर अपनी नीति प्रकट करेगा।

(4) **असूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापारित से इतर ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत.-**

असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत तथा सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत जो सक्रिय बाजारों में नियमित रूप से व्यापारित नहीं हैं, ऐतिहासिक लागत पर मापे जाएँगे। ऐसे निवेशों के मूल्य पर ह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार किया गया प्रावधान परवर्ती अवधियों में प्रतिवर्तित किया जाएगा यदि बाह्य साक्ष्य के आधार पर अनुमान निवेश के मूल्य में उसकी रखाव राशि में वृद्धि दर्शाते हैं। उक्त प्रावधान के प्रतिवर्तन के कारण निवेश की बढ़ी हुई रखाव राशि ऐतिहासिक लागत से अधिक नहीं होगी।

इस विनियम के प्रयोजन के लिए, किसी प्रतिभूति को सक्रिय रूप से व्यापारित न किये जाने के रूप में समझा जाएगा, यदि सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल निधियों को नियंत्रित करनेवाले दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूति को "अत्यल्प रूप में व्यापारित" (थिनली ट्रेडेड) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(5) **ऋण.-** ऋणों को क्षति से संबंधित प्रावधानों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर मापा जाएगा।

बीमाकर्ता अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता का आकलन करेगा और क्षति के लिए प्रावधान करेगा। क्षति संबंधी प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर व्युत्पन्न राशियों से निम्नतर नहीं होगा, जो कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू होते हैं।

(6) **संबद्ध व्यवसाय.-** निवेशों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांत ऊपर बताये गये सिद्धांतों के साथ सुसंगत होने चाहिए। संबद्ध व्यवसायों की प्रत्येक अलग की गई वियोजित निधि के लिए, वित्तीय विवरणों का एक अलग सेट अनुबद्ध किया जाएगा।

वियोजित निधियाँ पालिसीधारकों, जो निवेश जोखिम को वहन करते हैं, के विशिष्ट निवेश उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुरक्षित निधियों को निरूपित करती हैं। निवेश आय/लाभ और हानियाँ सामान्यतः सीधे पालिसीधारकों को प्राप्त होती हैं। प्रत्येक खाते की आस्तियाँ अलग की जाती हैं और वे बीमाकर्ता के किसी अन्य व्यवसाय से उत्पन्न होनेवाले दावों के अधीन नहीं हैं।

(7) **भावी विनियोजन के लिए निधियाँ –** भावी विनियोजन के लिए निधियाँ अलग से प्रस्तुत की जाएँगी।

भावी विनियोजन के लिए निधियाँ उन सभी निधियों को निरूपित करती हैं जिनका पालिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटन वित्तीय वर्ष के अंत तक निर्धारित नहीं किया गया है।

8. वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटीकरण-

(1) निम्नलिखित का प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणियों के रूप में किया जाएगाः-

(i) आकस्मिक देयताएँ :
- (क) अंशतः प्रदत्त निवेश
- (ख) जोखिम-अंकन की बकाया प्रतिबद्धताएँ
- (ग) पालिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर अन्य दावे जो कर्जों के रूप में स्वीकार नहीं किये गये हैं;
- (घ) कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से दी गई गारंटियाँ
- (ङ) विवादाधीन सांविधिक माँगें/देयताएँ, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है
- (च) खातों में प्रावधान न करने की सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व
- (छ) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है)

(ii) प्रचलित जीवन पालिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक पूर्वानुमान।

(iii) भारत के अंदर और बाहर कंपनी की आस्तियों पर ऋण-भार।

(iv) ऋणों, निवेशों और अचल आस्तियों के लिए की गई और बकाया प्रतिबद्धताएँ।

(v) कर्ज प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार।

(vi) तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार निपटाये गये दावे और छह महीने से अधिक अवधि के लिए अदत्त रूप में विद्यमान दावे।

(vii) निम्नलिखित के लिए निवेशों के संबंध में संविदाओं का मूल्यः
- (क) खरीदियाँ जहाँ वितरण लंबित हैं
- (ख) विक्रय जहाँ भुगतन अतिदेय हैं

(viii) बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्ययः व्यवसाय के विभिन्न खंडों के लिए व्यय का आबंटन और प्रभाजन।

(ix) प्रबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना।

(x) उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किये गये निवेशों की ऐतिहासिक लागतें।

(xi) निवेश आस्ति के पुनर्मूल्यांकन का आधार।

(xii) चालू वर्ष में और पिछले वर्ष में निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए किये गये प्रावधान, जो नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित हैं।

(xiii) प्रकटीकरण कि पालिसीधारकों के खाते में शेयरधारकों के द्वारा किये गये अंशदान अप्रतिवर्तनीय स्वरूप के हैं, तथा बीमाकर्ता की ऐसी सामान्य बैठक के संदर्भ में भविष्य में किसी भी समय ये शेयरधारकों को वापस नहीं किये जाएँगे जिस बैठक में शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

(2) **निम्नलिखित लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनेंगीः**

(i) आईसीएआई द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, तथा महत्वपूर्ण सिद्धांत और नीतियाँ लेखांकन सिद्धांतों के भाग । में दी गई हैं। बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण की गई कोई अन्य लेखांकन नीतियाँ आईसीएआई द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक एएस 1 के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से बताई जाएँगी।

(ii) लेखांकन नीतियों से कोई भी विचलन ऐसे विचलन के लिए कारणों के साथ प्रकट किया जाएगा।

(3) **निम्नलिखित सूचना भी प्रकट की जाएगी**

(i) किसी भी सांविधिक अपेक्षा के अनुसार किये गये निवेश उसकी राशि, स्वरूप, सुरक्षा तथा भारत के अंदर और बाहर किन्हीं विशेष अधिकारों के साथ अलग से प्रकट किये जाने चाहिए;

(ii) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किये गये निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए अर्जक/अनर्जक निवेशों के रूप में पृथक्करण;

(iii) भारत के अंदर या बाहर स्थानीय कानूनों के अंतर्गत या अन्य प्रकार से भार-ग्रस्त रूप में जमा की जाने के लिए अपेक्षित सीमा तक आस्तियाँ;

(iv) व्यवसाय का क्षेत्र-वार प्रतिशत;

(v) पालिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेशों और उनपर आय के आबंटन के आधार;

(vi) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में पूर्वानुमानों और अनुभव के आधार पर निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए प्रावधानीकरण करने हेतु नीति और सिद्धांतों का प्रकटीकरण;

(vii) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य सूचना।

9. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

(1) तुलन-पत्र, राजस्व खाते, लाभ-हानि खाते तथा प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए तदनुरूपी राशियाँ दी जाएँगी।

(2) वित्तीय विवरणों में आंकड़े निकटतम लाख तक पूर्णांकित किये जा सकते हैं।

(3) निवेश के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल राशि पर बताये जाएँगे, स्रोत पर काटा गया आय-कर "प्रदत्त अग्रिम कर" और स्रोत पर काटे गये करों के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए।

(4) वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(i) अभिव्यक्ति "प्रावधान" से नीचे के (v) के अधीन अभिप्रेत होगा ऐसी कोई राशि जो अपलिखित हो या मूल्यह्रास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई हो, अथवा किसी ज्ञात देयता अथवा हानि के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई हो जिसमें उक्त राशि का निर्धारण पर्याप्त सहीपन के साथ नहीं किया जा सकता;

(ii) अभिव्यक्ति "आरक्षित निधि" पूर्वोक्त रूप में कथित के अधीन, ऐसी किसी राशि को शामिल नहीं करेगी जो अपलिखित हो या मूल्यह्रास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई हो अथवा किसी ज्ञात देयता या हानि के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई हो;

(iii) अभिव्यक्ति "आरक्षित पूँजी" में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं की जाएगी जो लाभ-हानि खाते के माध्यम से वितरण के लिए निःशुल्क के रूप में मानी गई है; तथा अभिव्यक्ति "राजस्व आरक्षित निधि" से आरक्षित पूँजी (कैपिटल रिज़र्व) को छोड़कर कोई अन्य आरक्षित निधि अभिप्रेत होगी;

(iv) अभिव्यक्ति "देयता" में सभी विवादित या आकस्मिक देयताओं के लिए संविदा किये गये व्यय के संबंध में सभी देयताएँ शामिल की जाएँगी।

(v) जहाँ—

(क) ऐसी कोई राशि जो अपलिखित है या मूल्यह्रास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई है, अथवा

(ख) ऐसी कोई राशि जो किसी ज्ञात देयता या हानि के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई है, जो ऐसी राशि से अधिक है जो निदेशकों की राय में उक्त प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है, वहाँ उक्त आधिक्य को एक आरक्षित निधि के रूप मे माना जाएगा, न कि प्रावधान के रूप मेंं।

(5) कंपनी कानूनी मुकदमों के अंतर्गत क्षति के लिए प्रावधान करेगी जहाँ प्रबंधन की राय में अधिनिर्णय बीमाकर्ता के विरुद्ध जा सकता है।
(6) रखी गई और पुनः बीमित जोखिम की सीमा का प्रकटीकरण अलग से किया जाएगा।
(7) लाङ-हानि खाते का कोई भी नामे शेष अवचनबद्ध आरक्षित निधियों से कटौती के रूप में दर्शाया जाएगा और शेष, यदि कोई हो, अलग से दर्शाया जाएगा।
(8) सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे शेयरधारकों और पालिसीधारकों के लिए अलग-अलग निवेश खाते रखें तथा निवेश पर आय/उपचित हानियाँ/पूँजीगत अभिलाभ /हानियाँ राजस्व खाते/लाभ-हानि खाते में, जैसी स्थिति हो, जमा/नामे की जाएँ।

10. प्रबंधन रिपोर्ट की विषय-वस्तुः- वित्तीय विवरणों के साथ एक प्रबंधन रिपोर्ट संलग्न की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रबंधन द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित निम्नलिखित विषय होंगेः-

(1) प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण की निरंतर विधिमान्यता के संबंध में पुष्टीकरण;
(2) यह प्रमाणीकरण कि सांविधिक प्राधिकारियों को देय सभी राशियों का भुगतान विधिवत् किया गया है;
(3) इस आशय का पुष्टीकरण कि वर्ष के दौरान शेयरधारिता का स्वरूप और शेयरों का कोई भी अंतरण सांविधिक या विनियामक अपक्षाओं के अनुसार है;
(4) घोषणा कि प्रबंधन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों कि निधियों का भारत के बाहर निवेश नहीं किया है;
(5) यह पुष्टीकरण कि अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन अनुरक्षित किये गये हैं;
(6) इस आशय का प्रमाणीकरण कि सभी आस्तियों के मूल्यों की समीक्षा तुलन-पत्र की तारीख को की गई है तथा यह कि उसके (बीमाकर्ता के) विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में निर्धारित आस्तियाँ पृथक् शीर्षक "ऋण", "निवेश", "एजेंटों के शेष", "बकाया प्रीमियम", "बकाया ब्याज, लाभांश और किराया", "उपचित हो रहे परंतु जो देय नहीं हैं ऐसे ब्याज, लाभांश और किराया", "बीमा व्यवसाय करनेवाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से प्राप्य राशियाँ", "विविध देनदार", "प्राप्य बिल", "नकदी" तथा "अन्य खाते" के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कई मदों के अंतर्गत उनके वसूलीयोग्य या बाजार मूल्य से अनधिक राशियों पर कुल संकलित राशियों में दर्शाई गई हैं;
(7) इस आशय का प्रमाणीकरण कि जीवन बीमा निधि के किसी भाग का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवन बीमा निधियों के उपयोग और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया है;
(8) समग्र जोखिम एक्सपोज़र और इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति के संबंध में प्रकटीकरण;
(9) अन्य देशों में परिचालन, यदि कोई हों, देश के जोखिम और एक्सपोज़र जोखिम तथा अपनाई गई बचाव-व्यवस्था की कार्यनीति के संबंध में प्रबंधन का अनुमान देते हुए एक अलग विवरण के साथ;
(10) पिछले पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान समय में प्रवृत्तियों को निर्दिष्ट करते हुए दावों के निपटान में लगा समय (एजिंग);
(11) इस आशय का प्रमाणीकरण कि तुलन-पत्र में दर्शाये गये रूप में निवेशों और स्टाकों तथा शेयरों के मूल्य कैसे प्राप्त किये गये हैं, तथा इस प्रकार दर्शाये गये मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए उनके बाजार मूल्य का पता कैसे लगाया गया है;
(12) संविभाग के तौर पर आस्ति गुणवत्ता और निवेश के निष्पादन की समीक्षा अर्थात् स्थावर संपदा, ऋणों और निवेशों आदि के तौर पर अलग-अलग;
(13) एक दायित्व विवरण उसमें निम्नलिखित को निर्दिष्ट करते हुए किः-
    (i) वित्तीय विवरण तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का अनुसरण किया गया है, महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हों, से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों के साथ;
    (ii) प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें सुसंगत रूप में लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की परिस्थिति तथा वर्ष के लिए परिचालन लाभ या हानि का एवं कंपनी के लाभ या हानि का एक सही और निष्पक्ष चित्र दिया जा सके;
    (iii) प्रबंधक-वर्ग ने कंपनी की आस्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(iv) प्रबंधन ने एक निरंतर महत्व रखने के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये हैं;

(v) प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली विद्यमान है और वह प्रभावी रूप में परिचालन कर रही है।

(14) उन भुगतानों का एक कार्यक्रम जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संस्थाओं को किये गये हैं जिनमें बीमाकर्ता के निदेशकों का हित विद्यमान है।

(15) सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में देशों में देशी, सांविधिक, विनियामक और अन्य विधियों के अनुपालन का पुष्टीकरण।

(16) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य सूचना।

11. वित्तीय विवरण तैयार करना

1. बीमाकर्ता इस भाग में निर्धारित रूप में, या उसके निकटस्थ रूप में परिस्थितियों के अनुरूप, फार्म ए-आरए, फार्म ए-पीएल और फार्म ए-बीएस में राजस्व लेखा [पालिसीधारकों का खाता], लाभ-हानि खाता [शेयरधारकों का खाता] और तुलन-पत्र तैयार करेगा।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता वित्तीय विवरण और उनमें निहित अनुसूचियाँ निम्नलिखित व्यवसायों के लिए अलग-अलग तैयार करेगा तथा उस सीमा तक एएस 17 का विनियोग आशोधित किया गया है:-

   (i) संबद्ध व्यवसाय – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य
   (ii) असंबद्ध व्यवसाय सहभागी – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य
   (iii) असंबद्ध व्यवसाय – लाभरहित – (क) जीवन, (ख) पेंशन, (ग) स्वास्थ्य, (घ) अन्य
   (iv) भारत के अंदर व्यवसाय और भारत के बाहर व्यवसाय।
   (v) विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य खंड।

2. बीमाकर्ता आईसीएआई द्वारा जारी किये गये एएस 3 - "नकदी प्रवाह विवरण" में निर्धारित प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार अलग प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करेगा।

फार्म ए-आरए			
बीमाकर्ता का नामः			
पंजीकरण सं. और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख			
31 मार्च 20___ को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व लेखा			
पालिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता) **(राशि लाख रु. में)**			
विवरण	**अनुसूची संदर्भ.**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
अर्जित प्रीमियम - निवल			
(1) प्रीमियम	**1**		
(2) अध्यर्पित पुनर्बीमा			
(3) स्वीकृत पुनर्बीमा			
निवेशों से आय			
(1) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल			
(2) निवेशों के विक्रय/ मोचन पर लाभ			
(3) (निवेशों के विक्रय/मोचन पर हानि)			
(4) अंतरण/पुनर्मूल्यन पर अभिलाभ/ उचित मूल्य में परिवर्तन[1]			
(5) प्रीमियम का परिशोधन/ निवेशों पर छूट			
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
शेयरधारकों के खाते से अंशदान			
(क)प्रति, प्रबंध के अधिक व्यय[2]			
(ख)प्रति, एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी[3]			
(ग)अन्य			

कुल (क)			
कमीशन	**2**		
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	**3**		
संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान			
अपलिखित अशोध्य कर्ज			
कर के लिए प्रावधान			
प्रावधान (कराधान को छोड़कर अन्य)			
(क)निवेशों के मूल्य में कमी के लिए (निवल)			
(ख)अन्य के लिए (विनिर्दिष्ट करें)			
यूलिप प्रभारों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)			
कुल (ख)			
प्रदत्त लाभ (निवल)			
प्रदत्त अंतरिम बोनस	**4**		
जीवन पालिसियों के संबंध में देयता के मूल्यांकन में परिवर्तन			
(1) सकल[4]			
(2) पुनर्बीमा में अध्यर्पित राशि			
(3) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि			
(4) संबद्ध पालिसियों के लिए आरक्षित निधि			
(5) समाप्त पालिसियों के लिए निधि			
कुल (ग)			
अधिशेष/(कमी) (घ) = (क)-(ख)-(ग)[5]			
शेयरधारकों के खाते (गैर-तकनीकी खाता)[6] से अंतरित राशि			
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि			
विनियोजन			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
भावी विनियोजनों के लिए निधियों के रूप में शेष			
कुल			

[1] विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माने गये प्राप्त लाभ को निरूपित करता है।
[2] यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं।
[3] यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।
[4] बोनस के आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधियों को निरूपित करता है।
[5] कुल अधिशेष का प्रकटीकरण निम्नलिखित विवरण के साथ अलग-अलग किया जाएगाः
(क) प्रदत्त अंतरिम बोनसः
(ख) पालिसीधारकों को बोनस का आबंटनः
(ग) राजस्व लेखे में दर्शाया गया अधिशेषः
(घ) कुल अधिशेषः [(क)+(ख)+(ग)]
[6] राजस्व लेखे में कमी होने की स्थिति में

टिप्पणीः

(क) पुनर्बीमा प्रीमियम, चाहे व्यवसाय अध्यर्पित हों या स्वीकृत, शीर्ष पुनर्बीमा प्रीमियमों के अंतर्गत सकल खाते में (अर्थात् कमीशनों की कटौती करने से पहले) लाना चाहिए।
(ख) कुल प्रीमियमों (पुनर्बीमा को घटाकर) के एक प्रतिशत से अधिक आय की मदें अथवा रु.5,00,000, जो भी अधिक हो, एक अलग व्यवस्था की मद के रूप में दर्शाई जानी चाहिए।
(ग) किसी निवेश के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल राशि के रूप में बताया जाना चाहिए, स्रोत पर काटे गये आय-कर की राशि `प्रदत्त अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये कर' के अंतर्गत शामिल की जाएगी।
(घ) किराये से आय में केवल प्राप्त किराया ही शामिल किया जाएगा, इसमें कोई भी आनुमानिक किराया शामिल नहीं किया जाएगा।
(ङ) उप-शीर्ष "अन्य आय" के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लाभ या हानियाँ तथा अन्य मदों जैसी मदें शामिल की जाएँगी।

फार्म ए – पीएल			
बीमाकर्ता का नामः			
पंजीकरण सं. और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख			
31 मार्च 20__ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता।			
शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता) (राशि लाख रु. में)			
विवरण	**अनुसूची संदर्भ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
पालिसीधारकों के खाते (तकनीकी खाते) से अंतरित राशियाँ			
निवेशों से आय			
(क)ब्याज, लाभांश और किराया - सकल			
(ख)निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ			
(ग)(निवेशों के विक्रय/मोचन पर हानि)			
(घ)प्रीमियम का परिशोधन/निवेशों पर छूट			
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल (क)			
बीमा व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यय को छोड़कर अन्य व्यय			
पालिसीधारकों के खाते में अंशदान			
(क)प्रति, प्रबंधन के अधिक व्यय[1]			
(ख)प्रति, एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/अन्य केएमपी का पारिश्रमिक[2]			
(ग)अन्य			
गौण कर्ज पर ब्याज			
सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय			
दंड			
अपलिखित अशोध्य कर्ज			
पालिसीधारकों के खाते में अंतरित राशि[3]			
प्रावधान (कराधान को छोड़कर अन्य)			
(क)निवेशों के मूल्य में कमी के लिए (निवल)			
(ख)संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान			
(ग)अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
कुल (ख)			
कर से पहले लाभ/(हानि)			
कराधान के लिए प्रावधान			
कर के बाद लाभ/(हानि)			
विनियोजन			
(क)वर्ष के प्रारंभ में शेष			
(ख)प्रदत्त अंतरिम लाभांश			
(ग)प्रदत्त अंतिम लाभांश			
(घ)आरक्षित निधियों/अन्य खातों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
लाभ/हानि तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया			

[1] यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं।

[2] यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।

[3] राजस्व लेखे में कमी होने की स्थिति में

टिप्पणीः

(क) किसी निवेश के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांशों और किराया सकल राशि के रूप में बताया जाना चाहिए, स्रोत पर काटे गये आय-कर की राशि `प्रदत्त अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये कर' के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए।

(ख) किराये से आय में केवल प्राप्त किराया ही शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कोई भी आनुमानिक किराया शामिल नहीं किया जाएगा।

फार्म ए-बीएस			
बीमाकर्ता का नामः			
पंजीकरण सं. और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख			
31 मार्च 20__ की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (राशि लाख रु. में)			
विवरण	**अनुसूची संदर्भ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियाँ:			
शेयर पूँजी	5 & 5ए		
आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि			
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	6		
जमा/[नामे] उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
उप-जोड़			
उधार-राशियाँ	7		
पालिसीधारकों की निधियाँ:			
जमा/[नामे] उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
पालिसी देयताएँ			
समाप्त पालिसियों के लिए निधियाँ:			
(i)प्रीमियमों का भुगतान न करने के कारण समाप्त			
(ii)अन्य			
बीमा आरक्षित निधियाँ[1]			
संबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान			
उप-जोड़			
भावी विनियोजनों के लिए निधियाँ			
संबद्ध			
असंबद्ध (सममूल्येतर)			
असंबद्ध (सममूल्य)			
आस्थगित कर देयताएँ (निवल)			
कुल			
निधियों का उपयोग			
निवेश			
शेयरधारक	8		
पालिसीधारक	8ए		
संबद्ध देयताएँ कवर करने के लिए धारित आस्तियाँ	8बी		
ऋण	9		
अचल आस्तियाँ	10		
आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)			
चालू आस्तियाँ			
नकदी और बैंक शेष	11		
अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12		
उप-जोड़ (क)			
चालू देयताएँ	13		
प्रावधान	14		
उप-जोड़ (ख)			
निवल चालू आस्तियाँ (ग) = (क – ख)			
विविध व्यय (अपलिखित न किये जाने और समायोजित न किये जाने की सीमा तक)	15		
लाभ और हानि खाते (शेयरधारकों के खाते) में नामे शेष			
राजस्व लेखे (पालिसीधारकों के खाते) में कमी			
कुल			

[1] बीमा आरक्षित निधियाँ ऋणात्मक आंकड़े नहीं होनी चाहिए।

आकस्मिक देयताएँ		(राशि लाख रु. में)		
	विवरण		**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अंशतः प्रदत्त निवेश			
2	पालिसियों के आधार पर दावों को छोड़कर अन्य दावे, कंपनी द्वारा कर्जों के रूप में स्वीकृत न किये गये			
3	बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) (क)			
4	कंपनी के द्वारा या कंपनी की ओर से दी गई गारंटियाँ			
5	विवादाधीन सांविधिक माँगें/ देयताएँ, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है			
6	पुनर्बीमा दायित्व, खातों में प्रावधान न करने की सीमा तक			
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	(क)			
	(ख)			
	कुल			

टिप्पणीः

(क) बकाया जोखिम - अंकन प्रतिबद्धताएँ – शेयरों के नये निर्गम के लिए अभिदान का जोखिम-अंकन करने के लिए प्रतिबद्धताएँ, परंतु जिसके लिए देयता निर्गम के पूर्णतः अभिदत्त न होने की आकस्मिकता से युक्त है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में बीमाकर्ताओं को निर्गमों का जोखिम-अंकन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) पुनर्बीमा दायित्व - इसमें बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमा संविदाओं के अंतर्गत दायित्व शामिल हैं, जिनके संबंध में तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अवस्थित दायित्व हैं, पर विधिमान्य कारणों से, बीमाकर्ता ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची I			
प्रीमियम			
		(राशि लाख रु. में)	
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	प्रथम वर्ष प्रीमियम		
2	नवीकरण प्रीमियम		
3	एकल प्रीमियम		
	कुल प्रीमियम		
	व्यवसाय से अंकित प्रीमियम आयः		
	भारत में		
	भारत के बाहर		
	टिप्पणियाँ:		
	(क) भारत के अंदर और बाहर किये गये व्यवसाय से प्राप्त प्रीमियम आय का प्रकटीकरण अलग-अलग किया जाए।		
	(ख) प्रीमियम की सूचना वस्तु और सेवा कर को छोड़कर दी जाए।		

वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 1

प्रीमियम	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	प्रथम वर्ष प्रीमियम		
2	नवीकरण प्रीमियम		
3	एकल प्रीमियम		
	कुल प्रीमियम		
	किये गये व्यवसाय से प्रीमियम आय/ अंकितः		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

अनुसूची 1			
कमीशन व्यय	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	प्रथम वर्ष प्रीमियम		
2	नवीकरण प्रीमियम		
3	एकल प्रीमियम		
	कुल प्रीमियम		
	किये गये व्यवसाय से प्रीमियम आय/ अंकितः		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

अनुसूची 2			
कमीशन व्यय	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	कमीशन		
	प्रत्यक्ष – प्रथम वर्ष प्रीमियम		
	– नवीकरण प्रीमियम		
	– एकल प्रीमियम		
	सकल कमीशन		
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन		
	घटाएँ : अध्यर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन		
	निवल कमीशन		
	कुल		
	कमीशन और प्रतिफल (रिवार्ड्स) का माध्यम-वार अलग-अलग विवरण (पुनर्बीमा कमीशन को छोड़कर)		
	वैयक्तिक एजेंट		
	कारपोरेट एजेंट – बैंक/एफआईआई/एचएफसी		
	कारपोरेट एजेंट - अन्य		
	दलाल		
	सूक्ष्म एजेंट		
	प्रत्यक्ष व्यवसाय – आनलाइन[1]		
	प्रत्यक्ष व्यवसाय - अन्य		
	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)		
	वेब संग्राहक		
	आईएमएफ		
	बिक्री केन्द्र (पाइंट आफ सेल) (प्रत्यक्ष)		
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अंकित व्यवसाय पर कमीशन और प्रतिफल (पुनर्बीमा को छोड़कर)		
	भारत में		

	भारत के बाहर		

[1] कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन

टिप्पणीः
लाभ कमीशन का समायोजन अध्यर्पित / स्वीकृत पुनर्बीमा के साथ किया जाना चाहिए तथा इसे कमीशन व्ययों की अनुसूची में नहीं दिखाया जाना चाहिए।

अनुसूची 2

कमीशन व्यय

(राशि लाख रु. में)

	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	कमीशन		
	प्रत्यक्ष – प्रथम वर्ष प्रीमियम		
	– नवीकरण प्रीमियम		
	– एकल प्रीमियम		
	सकल कमीशन		
	जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन		
	घटाएँ : अध्यर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन		
	निवल कमीशन		
	कुल		
	कमीशन और प्रतिफलों का माध्यम-वार अलग-अलग विवरण (पुनर्बीमा कमीशन को छोड़कर):		
	वैयक्तिक एजेंट		
	कारपोरेट एजेंट – बैंक/एफआईआई/एचएफसी		
	कारपोरेट एजेंट - अन्य		
	दलाल		
	सूक्ष्म एजेंट		
	प्रत्यक्ष व्यवसाय – आनलाइन[1]		
	प्रत्यक्ष व्यवसाय - अन्य		
	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)		
	वेब संग्राहक		
	आईएमएफ		
	बिक्री केन्द्र (प्रत्यक्ष)		
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अंकित व्यवसाय पर कमीशन और प्रतिफल (पुनर्बीमा को छोड़कर):		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

[1]कंपनी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन

लाभ कमीशन का समायोजन अध्यर्पित/ स्वीकृत पुनर्बीमा के साथ किया जाना चाहिए तथा कमीशन व्ययों की अनुसूची में नहीं दर्शाया जाना चाहिए।

अनुसूची 3			
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण लाभ		
2	यात्रा, परिवहन और वाहन चालन व्यय		
3	प्रशिक्षण व्यय		

4	किराया, दरें और कर		
5	मरम्मत		
6	मुद्रण और लेखन-सामग्री		
7	संचार व्यय		
8	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार		
9	चिकित्सा शुल्क		
10	लेखा-परीक्षक शुल्क, व्यय आदि		
	(क) लेखा-परीक्षक के रूप में		
	(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य क्षमता में		
	i) कराधान के मामले		
	ii) बीमा संबंधी मामले		
	iii) प्रबंधन सेवाएँ; तथा		
	(ग) किसी अन्य क्षमता में		
11	विज्ञापन और प्रचार		
12	ब्याज और बैंक प्रभार		
13	मूल्यह्रास		
14	ब्रैंड/ट्रेड मार्क उपयोग शुल्क/प्रभार		
15	व्यवसाय विकास और बिक्री संवर्धन व्यय		
16	पालिसियों पर मुद्रांक शुल्क (स्टैंप ड्यूटी)		
17	सूचना प्रौद्योगिकी व्यय		
18	वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)		
19	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

टिप्पणीः

(क) कुल प्रीमियमों के (पुनर्बीमा को घटाकर) एक प्रतिशत से अधिक अथवा रु.5,00,000, जो भी अधिक हो, व्ययों की मदें एक अलग व्यवस्था की मद के रूप में दर्शाई जाएँगी।

(ख) विभिन्न बाह्यस्रोतीकरण कार्यकलापों/व्यवस्थाओं के लिए भुगतान किये गये व्यय उपयोग की गई सेवाओं के स्वरूप के आधार पर संबंधित व्यवस्था की मद के अंतर्गत दर्ज किये जाने चाहिए, इन्हें "बाह्यस्रोतीकरण व्ययों" के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

अनुसूची 4			
प्रदत्त लाभ [निवल]	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	1. बीमा संबंधी दावे		
	(क) मृत्यु होने पर दावे		
	(ख) परिपक्वता पर दावे		
	(ग) वार्षिकियाँ / पेंशन भुगतान		
	(घ) आवधिक लाभ		
	(ङ) स्वास्थ्य		
	(च) अभ्यर्पण		
	(छ) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रदत्त लाभ (सकल)		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

	2. (पुनर्बीमा में अध्यर्पित राशि)		
	(क) मृत्यु होने पर दावे		
	(ख) परिपक्वता पर दावे		
	(ग) वार्षिकियाँ / पेंशन भुगतान		
	(घ) आवधिक लाभ		
	(ङ) स्वास्थ्य		
	(च) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	3. पुनर्बीमा में स्वीकृत राशिः		
	(क) मृत्यु होने पर दावे		
	(ख) परिपक्वता पर दावे		
	(ग) वार्षिकियाँ / पेंशन भुगतान		
	(घ) आवधिक लाभ		
	(ङ) स्वास्थ्य		
	(च) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रदत्त लाभ (निवल)		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

टिप्पणीः

(क) उपगत दावों में प्रदत्त दावे, विशिष्ट दावा निपटान लागतें जहाँ भी लागू हो तथा दावों के लिए बकाया प्रावधान में परिवर्तन निहित होंगे।

(ख) दावों के साथ संबद्ध शुल्क और व्यय, दावों में शामिल किये जाएँगे।

(ग) विधिक और अन्य शुल्क और व्यय भी, जहाँ भी लागू हो, दावों की लागत का भाग बनेंगे।

अनुसूची 5			
शेयर पूँजी	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	**प्राधिकृत पूँजी**		
	प्रत्येक रु..... के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु..... के अधिमानी शेयर		
2	**निर्गत पूँजी**		
	प्रत्येक रु.....के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु.....के अधिमानी शेयर		
3	**अभिदत्त पूँजी**		
	प्रत्येक रु.....के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु.....के अधिमानी शेयर		
4	**माँगी गई पूँजी**		
	प्रत्येक रु.....के ईक्विटी शेयर		
	घटाएँ : अदत्त माँगें		
	जोड़ें : जब्त शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)		
	घटाएँ : वापस खरीदे गये ईक्विटी शेयरों का सम मूल्य		
	घटाएँ : प्रारंभिक व्यय		
	व्यय, निम्नलिखित पर कमीशन या दलाली सहित		
	जोखिम-अंकन या शेयरों का अभिदान		
	प्रत्येक रु..... के अधिमानी शेयर		
	कुल		

टिप्पणीः

(क) विभिन्न श्रेणियों की पूँजी का विवरण अलग-अलग बताया जाए।
(ख) बोनस शेयरों के निर्गम के कारण पूँजीकृत राशि का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।
(ग) यदि पूँजी के किसी भी भाग को धारक कंपनी के द्वारा धारित किया जाता है, तो यह अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।

अनुसूची 5क				
शेयरधारिता का स्वरूप [प्रबंधन के द्वारा यथाप्रमाणित]				
शेयरधारक	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
	शेयरों की संख्या	**धारिता का %**	**शेयरों की संख्या**	**धारिता का %**
प्रवर्तक				
भारतीय				
विदेशी				
निवेशक[1]				
भारतीय				
विदेशी				
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)[2]				
भारतीय				
विदेशी				
कुल				

[1] निवेशक समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित।
[2] अन्य में ईएसओपीएस आदि शामिल किये जा सकते हैं।

अनुसूची 6			
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष		**(राशि लाख रु. में)**	
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	आरक्षित पूँजी निधि		
2	पूँजी मोचन आरक्षित निधि		
3	शेयर प्रीमियम		
4	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि		
5	सामान्य आरक्षित निधियाँ		
	घटाएँ : शेयरों की वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि		
	घटाएँ : बोनस शेयरों के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि		
6	आपात आरक्षित निधि		
7	अन्य आरक्षित निधियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
8	लाभ और हानि खाते में लाभ का शेष		
	कुल		

टिप्पणीः
(क) आरक्षित निधियों में परिवर्धन और आरक्षित निधियों से कटौतियाँ प्रत्येक विनिर्दिष्ट शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जाएँगी।

अनुसूची 7			
उधार राशियाँ		**(राशि लाख रु. में)**	
क्रम सं.	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	डिबेंचर/बांड		
2	बैंकों से		
3	वित्तीय संस्थाओं से		
4	अन्य से (विनिर्दिष्ट करें)		

	कुल		

टिप्पणीः

(क) वह सीमा जहाँ तक उधार राशियाँ सुरक्षित हैं, नीचे दिये गये रूप में प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत जमानत का स्वरूप बताते हुए अलग से प्रकट की जाएगी।

(ख) तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर देय/प्राप्य राशियाँ अलग से दर्शाई जाएँगी।

(ग) डिबेंचरों में समय-समय पर यथासंशोधित आईआईडीएआई विनियमों के अनुसार जारी किये गये एनसीडी शामिल हैं।

जमानती उधार राशियों के लिए प्रकटीकरण (टिप्पणी क देखें)				
			(राशि लाख रु. में)	
क्रम सं.	**स्रोत/लिखत**	**उधार ली गई राशि**	**जमानत की राशि**	**जमानत का स्वरूप**
1				
2				
3				
4				
5				
...				

अनुसूची 8			
निवेश – शेयरधारक	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	अन्य निवेश		
	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्युच्चुअल फंड		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत		
	(घ) डिबेंचर/बांड		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	अन्य लिखत		
	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्च्युअल फंड		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत		
	(घ) डिबेंचर/शेयर		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		

	(च) सहायक संस्थाएँ		
	निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
	कुल		

टिप्पणीः अनुसूची 8ख के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें।

अनुसूची 8-क			
निवेश – पालिसीधारक	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	दीर्घावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड खजाना बिलों सहित		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्युचुअल फंड		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत		
	(घ) डिबेंचर/बांड		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
	अल्पावधि निवेश		
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	(क) शेयर		
	(कक) ईक्विटी		
	(खख) अधिमानी		
	(ख) म्युचुअल फंड		
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत		
	(घ) डिबेंचर/बांड		
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	(च) सहायक संस्थाएँ		
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)		
4	बुनियादी संरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश		
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य		
6	अन्य चालू आस्तियाँ (निवल)		
	कुल		

टिप्पणियाँ (अनुसूचियाँ 8, 8-क और 8-ख के लिए लागू)

(क) सहायक/धारक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश अलग से, लागत पर प्रकट किये जाएँगे।

i) धारक कंपनी और सहायक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित रूप में समझा जाएगा।

ii) संयुक्त उद्यम एक संविदागत व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या उससे अधिक पक्षकार एक आर्थिक कार्यकलाप संपन्न करेंगे, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।

iii) संयुक्त नियंत्रण – किसी आर्थिक कार्यकलाप की वित्तीय और परिचालन नीतियों को नियंत्रित करने के लिए संविदागत रूप से सहमति-प्राप्त शक्ति की साझेदारी है, जिसके द्वारा उससे लाभ प्राप्त किये जा सकें।

iv) सहयोगी संस्था – एक उद्यम है जिसमें कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है और जो कंपनी की न तो कोई सहायक संस्था है और न संयुक्त उद्यम।

v) उल्लेखनीय प्रभाव (इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए) – से अभिप्रेत है किसी कंपनी के वित्तीय और परिचालन नीतिगत निर्णयों में सहभागिता, परंतु उन नीतियों का नियंत्रण नहीं। उल्लेखनीय प्रभाव का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के द्वारा, नीतिनिर्णायक प्रक्रिया में सहभागिता के द्वारा, महत्वपूर्ण अंतर-कंपनी लेनदेनों, प्रबंधकीय कार्मिकों के अंतरपरिवर्तन के द्वारा अथवा तकनीकी सूचना पर निर्भरता के द्वारा। उल्लेखनीय प्रभाव साझे के स्वामित्व, संविधि या करार के जरिये प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ तक साझे के स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संस्थाओं के द्वारा निवेशिती की मतदान शक्ति के 20 प्रतिशत या उससे अधिक को धारित करता है, तो यह मान लिया जाता है कि निवेशक के पास उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है, जब तक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता कि स्थिति यह नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक प्रत्यक्षतः या सहायक संस्थाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निवेशिती की मतदान शक्ति के 20 प्रतिशत से कम को धारित करता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक के पास उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है, जब तक ऐसे प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता। किसी अन्य निवेशक के द्वारा एक भारी अथवा अधिकांश स्वामित्व किसी निवेशक को आवश्यक रूप से उल्लेखनीय प्रभाव रखने से प्रतिबाधित नहीं कर सकता।

(ख) सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों को छोड़कर कंपनी के निवेशों की समग्र राशि और साथ ही, उनका बाजार मूल्य प्रकट किया जाएगा।

(ग) आपात आरक्षित निधि से किया गया निवेश अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(घ) कर्ज प्रतिभूतियों को "परिपक्वता तक धारित" के रूप में माना जाएगा और इनका मापन परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागतों पर किया जाएगा।

(ङ) निवेश संपत्ति से अभिप्रेत है एक ऐसी संपत्ति [भूमि या भवन या भवन का भाग अथवा दोनों] जो सेवाओं के लिए या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के बजाय, किराये की आय अर्जित करने अथवा पूँजी की वृद्धि अथवा दोनों के लिए धारित है।

(च) निवेश जो तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के अंदर परिपक्व होते हैं, तथा तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के अंदर बेचने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ किये गये निवेश अल्पावधि निवेशों के रूप में वर्गीकृत किये जाएँगे।

अनुसूचियाँ 8, 8क और 8ख के लिए प्रकटीकरण

सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों को छोड़कर अन्य निवेशों का कुल मूल्य				
				(राशि लाख रु. में)
विवरण	**शेयरधारक**	**पालिसीधारक**	**संबद्ध देयताओं को कवर करने के लिए धारित आस्तियाँ**	**कुल**

	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
दीर्धावधि निवेशः								
बही मूल्य								
बाजार मूल्य								
अल्पावधि निवेशः								

बही मूल्य								
बाजार मूल्य								

टिप्पणीः शेयरधारकों और पालिसीधारकों के निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य को विनिर्दिष्ट रूप में संबद्ध व्यवसाय निवेशों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

अनुसूची 9			
ऋण	**(राशि लाख रु. में)**		
1	**प्रतिभूति-वार वर्गीकरण**		
	जमानती		
	(क) संपत्ति के बंधक पर		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) शेयरों, बांडों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि पर		
	(ग) पालिसियों की जमानत पर ऋण		
	(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अरक्षित		
	कुल		
2	**उधारकर्ता-वार वर्गीकरण**		
	(क) केन्द्र और राज्य सरकारें		
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		
	(ग) सहायक संस्थाएँ		
	(घ) कंपनियाँ		
	(ङ) पालिसियों की जमानत पर ऋण		
	(च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
3	**कार्यनिष्पादन-वार वर्गीकरण**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) प्रावधानों को घटाकर गैर-मानक ऋण		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	कुल		
4	**परिपक्वता-वार वर्गीकरण**		
	(क) अल्पावधि		
	(ख) दीर्घावधि		
	कुल		

टिप्पणीः

(क) अल्पावधि ऋणों में ऐसे ऋण शामिल होंगे जो तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर चुकौतीयोग्य हैं। दीर्घावधि ऋण वे ऋण होंगे दो अल्पावधि ऋण नहीं हैं।

(ख) अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान अलग से दर्शाये जाएँगे।

(ग) सभी दीर्घावधि जमानती ऋणों के मामले में जमानत का स्वरूप प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए जमानती ऋण से अभिप्रेत है कंपनी की आस्ति की जमानत पर पूर्णतः या अंशतः रक्षित ऋण।

(घ) संदिग्ध माने गये ऋण और ऐसे ऋणों के लिए निर्मित किये गये प्रावधान का प्रकटीकरण किया जाएगा।

अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान

	अनर्जक ऋण	ऋण की राशि (लाख रु. में)	प्रावधान (लाख रु. में)
	अवमानक		
	संदिग्ध		
	हानि		
	कुल		

अनुसूची 10										
अचल आस्तियाँ	**(राशि लाख रु. में)**									
विवरण	**लागत/सकल खंड (ग्रास ब्लाक)**				**मूल्यह्रास**				**निवल ब्लाक**	
	प्रारंभिक	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतिम	पिछले वर्ष तक	किस अवधि के लिए	विक्रय/ समायोजन पर	अब तक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सद्भाव										
अमूर्त (विनिर्दिष्ट करें)										
भूमि - पूर्ण स्वामित्व वाली										
पट्टाधृत संपत्ति										
भवन										
फर्निचर और फिटिंग										
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर										
वाहन										
कार्यालय उपस्कर										
अन्य (स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)										
कुल										
चालू कार्य										
कुल जोड़										
पिछले वर्ष										

टिप्पणीः ऊपर भूमि, संपत्ति और भवन में सम्मिलित आस्तियों में अनुसूची 8 की टिप्पणी (ङ) में यथापरिभाषित निवेश संपत्तियाँ शामिल नहीं हैं।

अनुसूची 11			
नकदी और बैंक शेष	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	नकदी (चेकों[1], ड्राफ्टों और स्टैंपों सहित)		
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अल्पावधि (तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर प्राप्य)		
	(खख) अन्य		
	(ख) चालू खाते		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
3	माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	(क) बैंकों के पास		
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशियाँ		
	नकदी और बैंक शेष		
	भारत में		
	भारत के बाहर		
	कुल		

[1] हाथ में चेक जो रु._____(लाख में) की राशि के हैं

पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में : रु. _____ (लाख में)

टिप्पणीः बैंक शेष में मार्गस्थ विप्रेषण शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तो स्वरूप और राशि अलग से बताया जाएगा।

अनुसूची 12			
अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	अग्रिम		
1	अध्यर्पण करनेवाली कंपनियों के पास आरक्षित जमाराशियाँ		
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि		
3	पूर्व भुगतान		
4	निदेशकों / अधिकारियों को अग्रिम		
5	अग्रिम अदा किया गया कर और स्रोत पर काटे गये कर (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर)		
6	वस्तु और सेवा कर जमा		
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल (क)		
	अन्य आस्तियाँ		
1	निवेशों पर उपचित आय		
2	बकाया प्रीमियम		
3	एजेंटों की शेष राशियाँ		
4	विदेशी एजेंसियों की शेष राशियाँ		
5	बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्य (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)		
6	सहायक कंपनियों / धारक कंपनी से प्राप्य		
7	पालिसीधारकों की अदावी राशि के लिए धारित निवेश		

8	पालिसीधारकों की अदावी राशि के लिए धारित निवेशों पर ब्याज		
9	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल (ख)		
	कुल (क+ख)		

टिप्पणीः

(क) उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत मदें संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधानों को घटाकर नहीं दिखाई जाएँगी। प्रत्येक शीर्ष के लिए राशि अलग से दर्शाई जानी चाहिए।

(ख) शब्द `अधिकारी' कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दिये गये रूप में उस शब्द की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।

(ग) विविध देनदार मद सं. 9 (अन्य) के अंतर्गत दर्शाये जाएँगे।

अनुसूची 13			
चालू देयताएँ	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	एजेंटों की शेष राशियाँ		
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेषराशियाँ		
3	अध्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमाराशियाँ		
4	अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम		
5	अनाबंटित प्रीमियम		
6	विविध लेनदार		
7	सहायक कंपनियों / धारक कंपनी को देय		
8	बकाया दावे		
9	देय वार्षिकियाँ		
10	अधिकारियों / निदेशकों को देय		
11	पालिसीधारकों की अदावी राशि		
12	अदावी राशियों पर उपचित ब्याज		
13	डिबेंचरों/बांडों पर देय ब्याज		
14	वस्तु और सेवा कर देयताएँ		
15	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अदावी राशियों और उनपर निवेश आय का विवरण (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष		
	जोड़ें : अदावी राशि में अंतरित राशि		
	जोड़े : अदावी राशि से जारी किये गये परंतु पालिसीधारकों के द्वारा न भुनाये गये चेक (तभी शामिल किया जाए जब चेक पुराने हो गये हों)		
	जोड़ें : अदावी निधि पर निवेश आय		
	घटाएँ : वर्ष के दौरान अदा किये गये दावों की राशि		
	घटाएँ : वर्ष के दौरान एससीडब्ल्यूएफ को अंतरित राशि (पूर्व में अंतरित राशियों के संबंध में अदा किये गये दावों को घटाकर)		
	31 मार्च को अदावी राशि का अंतिम शेष		

अनुसूची 14			
प्रावधान	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	कराधान के लिए (स्रोत पर कटौती किये गये भुगतानों और करों को छोड़कर)		
2	कर्मचारियों के लाभों के लिए		

3	अन्य के लिए (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

अनुसूची 15			
विविध व्यय (उस सीमा तक जहाँ तक वे अपलिखित या समायोजित नहीं किये गये हैं) (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	शेयरों/डिबेंचरों के निर्गम में अनुमत छूट		
2	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणियाँ

(क) किसी भी मद को तब तक "विविध व्यय" में शामिल नहीं किया जाएगा और आगे नहीं ले जाया जाएगा जब तकः
1. भविष्य में उक्त व्यय से उचित रूप से कुछ लाभ प्राप्त करने की आशा न हो, तथा
2. ऐसे लाभ की राशि उचित रूप से निर्धारणीय न हो।

(ख) शीर्ष "विविध व्यय" के अंतर्गत शामिल की गई किसी मद के संबंध में आगे ले जाई जानेवाली राशि उक्त व्यय से संबंधित प्रत्याशित भावी राजस्व / अन्य लाभों से अधिक नहीं होगी।

भाग II: वित्तीय विवरण, प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करना, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

1. प्रयोज्यता

विनियमों का यह भाग स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित सभी साधारण बीमाकर्ताओं और एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन सिद्धांत—बीमाकर्ता का प्रत्येक तुलन-पत्र, प्राप्ति और भुगतान खाता [नकदी प्रवाह विवरण] और लाभ-हानि खाता [शेयरधारकों का खाता] निम्नलिखित को छोड़कर आईसीएआई द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप होंगे, जहाँ तक वे साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के लिए लागू होंगे-

(1) लेखांकन मानक 3 (एएस 3) – नकदी प्रवाह विवरण – नकदी प्रवाह विवरण केवल प्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत ही तैयार किया जाएगा।

(2) लेखांकन मानक 13 (एएस 13) – निवेशों के लिए लेखांकन, लागू नहीं होगा।

(3) लेखांकन मानक 17 (एएस 17) – खंड (सेग्मेंट) रिपोर्टिंग – सूचीबद्धता और उसमें उल्लिखित टर्नओवर के संबंध में अपेक्षाओं का विचार किये बिना सभी बीमाकर्ताओं के लिए लागू होगा।

3. प्रीमियम –

(1) आय के रूप में प्रीमियम का निर्धारण संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में किया जाएगा।

(2) "अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम" वह प्रीमियम है जहाँ जोखिम के प्रारंभ की अवधि लेखांकन अवधि के बाहर है तथा इसे चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए।

(3) "अनाबंटित प्रीमियम" में प्रीमियम जमा और वह प्रीमियम शामिल है जो प्राप्त किया गया है, परंतु जिसके लिए जोखिम प्रारंभ नहीं हुआ है। इसे चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए।

4. अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि – अंकित प्रीमियम के उस भाग को निरूपित करनेवाली **राशि** के रूप में अनर्जित प्रीमियम की एक आरक्षित निधि निर्मित की जाएगी जो परवर्ती लेखांकन अवधियों के कारण है। ऐसी आरक्षित निधियों की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः

(1) मरीन हल – पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान निवल अंकित प्रीमियम का 100 प्रतिशत;
(2) अन्य खंड – पूर्ववर्ती बारह महीनों के दौरान निवल अंकित प्रीमियम का 50 प्रतिशत; अथवा संबंधित पालिसियों की कुल अवधि की तुलना में असमाप्त अवधि के अनुपात के आधार पर।

तथापि, बीमाकर्ता एक सुसंगत तरीके से अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि के प्रावधानीकरण की पद्धति का अनुसरण करेंगे। प्रावधानीकरण की पद्धति में कोई भी परिवर्तन केवल सक्षम प्राधिकारी के पूर्व लिखित अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

5. **प्रीमियम कमी.—**प्रीमियम कमी का निर्धारण बीमाकर्ता के स्तर पर किया जाएगा, यदि प्रत्याशित दावा लागतों, संबंधित व्ययों और अनुरक्षण लागतों का कुल जोड़ असमाप्त जोखिमों के लिए संबंधित आरक्षित निधियों से अधिक हो जाता है।

6. **अधिग्रहण लागतें.—**अधिग्रहण लागतें, यदि कोई हों, उस अवधि में व्यय की जाएँगी, जिसमें वे उपगत हैं। अधिग्रहण लागतें वे लागतें हैं जो नई और नवीकरण बीमा संविदाओं से किंचित् परिवर्तित हैं और प्राथमिक तौर पर उनके साथ संबंधित हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षण तो लागतों और बीमा संविदाओं के निष्पादन के बीच अनिवार्य दायित्व (अर्थात् जोखिम का प्रारंभ) है।

7. **दावे.-** बीमाकर्ता के लिए दावों की अंतिम लागत के घटकों में पालिसयों के अंतर्गत दावे और विशिष्ट दावा निपटान लागतें हैं। पालिसियों के अंतर्गत दावों में उपगत हानियों के लिए किये गये दावे, तथा किसी हानि के घटित होने के अनुसरण में पालिसियों के अंतर्गत अनुमानित या प्रत्याशित दावे हैं।

बकाया दावों के लिए एक देयता दोनों प्रत्यक्ष व्यवसाय और आवक पुनर्बीमा व्यवसाय के संबंध में खाते में लाई जाएगी। उक्त देयता में शामिल होंगेः-

(1) अदत्त सूचित किये गये दावों के संबंध में भावी भुगतान
(2) अपर्याप्त आरक्षित निधियों सहित उपगत परंतु सूचित न किये गये दावे [समय-समय पर, उपगत परंतु पर्याप्त रूप स सूचित न किये गये (आईबीएनईआर) के रूप में उल्लिखित], जो उन दावों के लिए निपटान करनेवाली देयताओं के लिए भावी नकदी/आस्ति व्यय में परिणत होंगे। अनुमानित देयता में परिवर्तन वित्तीय अवधि के प्रारंभ में और अंत में स्थित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता के बीच अंतर को निरूपित करता है।

लेखांकन अनुमान में अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के लिए समायोजित दावा लागत भी शामिल होगी यदि उसकी वसूली के लिए पर्याप्त मात्रा में निश्चितता होगी।

8. **दावा देयता का बीमांकिक मूल्यांकन – कुछ मामलों में :-** उन संविदाओं के संबंध में किये गये दावों को जहाँ दावों के भुगतान की अवधि चार साल से अधिक हो जाती है, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जानेवाले विनियमों के अधीन बीमांकिक आधार पर स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मामलों में, देयता के निर्धारण की निष्पक्षता के बारे में किसी मान्यताप्राप्त बीमांकक से प्रमाणपत्र अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। बीमांकिक धारणाओं का प्रकटीकरण उपयुक्त रूप से उक्त खाते की टिप्पणियों के रूप में किया जाएगा।

9. **निवेशों के मूल्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया.**- बीमाकर्ता निवेशों के मूल्यों का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से करेगाः-

(1) **स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) – निवेश संपत्ति –** निवेश संपत्ति के मूल्य का निर्धारण ऐतिहासिक लागत पर कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनर्मूल्यन के अधीन किया जाएगा। निवेश संपत्ति की रखाव राशि में परिवर्तन पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में ले जाया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह आकलन करेगा कि क्या निवेश संपत्ति की कोई क्षति तो नहीं हुई है।

स्थावर संपदा की रखाव राशि में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले लाभ/हानियाँ `पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि' के अंतर्गत ईक्विटी में ले जाई जाएँगी। `निवेशों के विक्रय पर लाभ' अथवा `निवेशों के विक्रय पर हानि', जैसी

स्थिति हो, में किसी विशिष्ट संपत्ति के संबंध में शीर्ष `पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि' के अंतर्गत पूर्व में ईक्विटी में स्वीकृत रखाव राशि में संचित परिवर्तन शामिल किये जाएँगे तथा इन्हें उस संपत्ति का विक्रय किये जाने पर संबंधित राजस्व लेखे में अथवा लाभ और हानि खाते में पुनः वापस ले लिया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन के लिए आधार, खातों की टिप्पणियों में प्रकट किये जाएँगे।

किसी क्षतिमूलक हानि को एक व्यय के रूप में तत्काल राजस्व/लाभ-हानि खाते में स्वीकार किया जाएगा, जब तक उक्त आस्ति को पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं रखा जाता। किसी पुनर्मूल्यांकित आस्ति की किसी क्षतिमूलक हानि को उस आस्ति की पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाएगा तथा यदि उक्त क्षतिमूलक हानि तदनुरूपी पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अधिक हो जाती है, तो ऐसे आधिक्य को राजस्व/लाभ-हानि खाते में एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(2) **कर्ज प्रतिभूतियाँ –** सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित कर्ज प्रतिभूतियाँ "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप मे मानी जाएँगी तथा उनका मापन परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर किया जाएगा।

(3) **सक्रिय बाजारों में व्यापारित ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत –**

सक्रिय बाजारों में व्यापारित सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों का मापन तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पर किया जाएगा। उचित मूल्य के परिकलन के प्रयोजन के लिए, प्रतिभूतियों को जिन शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है, उन शेयर बाजारों के अंतिम उद्धृत भाव के निम्नतम को लिया जाएगा। उचित मूल्य के परिकलन के प्रयोजन के लिए मापन एनएसई का पिछला अंतिम उद्धृत भाव होगा। तथापि, एनएसई में सूचीबद्ध न किये जा रहे किसी स्टाक के मामले में बीमाकर्ता ईक्विटी का मूल्यांकन बीएसई में पिछले अंतिम उद्धृत भाव के आधार पर कर सकता है।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यह आकलन करेगा कि क्या सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूति(यों)/व्युत्पन्नी लिखतों को कोई क्षति तो नहीं हुई है।

एक सक्रिय बाजार से अभिप्रेत होगा एक ऐसा बाजार, जहाँ व्यापारित प्रतिभूतियाँ समरूप हैं, इच्छुक खरीदारों और इच्छुक विक्रेताओं की उपलब्धता सामान्य है तथा कीमतें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले लाभों/हानियों को शीर्ष "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में के अंतर्गत ईक्विटी में ले जाया जाएगा। उक्त "निवेशों के विक्रय पर लाभ" अथवा "निवेशों के विक्रय पर हानि", जैसी स्थिति हो, में किसी विशिष्ट प्रतिभूति के संबंध में शीर्ष उचित मूल्य परिवर्तन खाते के अंतर्गत ईक्विटी में पूर्व में स्वीकृत उचित मूल्य में संचित परिवर्तन शामिल किये जाएँगे, जिन्हें उस सूचीबद्ध प्रतिभूति के वास्तविक विक्रय पर लाभ-हानि खाते में वापस ले जाया जाएगा। शंका के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि शेष राशि या उसका कोई भी भाग लाभांशों के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। साथ ही, उपर्युक्त उचित मूल्य परिवर्तन खाते में किसी भी नामे शेष को लाभांशों की घोषणा करते समय लाभों/निर्बंध आरक्षित निधियों से घटाया जाएगा।

बीमाकर्ता प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आकलन करेगा कि क्या कोई क्षति घटित हुई है। किसी भी क्षतिमूलक हानि (अर्थात् मूल्य में अस्थायी ह्रास को छोड़कर अन्य) को राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृत किसी पिछली क्षतिमूलक हानि द्वारा घटाये गये रूप में प्रतिभूति/निवेश के पुनः मापन किये गये उचित मूल्य और उसकी अधिग्रहण लागत के बीच के अंतर की सीमा तक राजस्व/ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। राजस्व/लाभ और हानि खाते में पूर्व में स्वीकृत क्षतिमूलक हानि के किसी भी प्रत्यावर्तन को राजस्व/ लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया जाएगा।
बीमाकर्ता क्षति संबंधी अपनी नीति का प्रकटीकरण खाते की टिप्पणियों में करेगा।

(4) **असूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापारित को छोड़कर अन्य ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत –** असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत तथा सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियाँ और व्युत्पन्नी लिखत जो सक्रिय

बाजार में नियमित रूप से व्यापारित नहीं हैं, ऐतिहासिक लागतों पर मापे जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार किये गये प्रावधान को अनुवर्ती **अवधियों में उलट दिया जाएगा यदि बाह्य साक्ष्य पर आधारित अनुमान, निवेश की** रखाव राशि की तुलना में उसके मूल्य में वृद्धि दर्शाते हैं। प्रावधान के उलटाव के कारण निवेश की बढ़ी हुई रखाव राशि ऐतिहासिक लागत से अधिक नहीं होगी।

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रतिभूति को सक्रिय रूप से व्यापारित के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करनेवाले दिशानिर्दशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूति को "अत्यल्प मात्रा में व्यापारित" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(5) **ऋण.-** ऋणों का मापन क्षति संबंधी प्रावधानों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर किया जाएगा।
बीमाकर्ता अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता का आकलन करेगा और क्षति के लिए प्रावधान करेगा। उक्त क्षति संबंधी प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर, जो कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं पर लागू होते हैं, व्युत्पन्न राशियों से निम्नतर नहीं होगा।

(6) **आपात आरक्षित निधि.-** आपात आरक्षित निधि का निर्माण यथाविनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। आपात आरक्षित निधियों में से निधियों का निवेश विनिर्दिष्ट रूप में निर्धारणों के अनुसार किया जाएगा।

10. वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाले प्रकटीकरण-

(1) निम्नलिखित का प्रकटीकरण तुलन-पत्र की टिप्पणियों के रूप में किया जाएगा,-

(i) आकस्मिक देयताएँ :
- (क) अंशतः प्रदत्त निवेश
- (ख) बकाया जोखिम-अंकन संबंधी प्रतिबद्धताएँ
- (ग) पालिसियों के अंतर्गत को छोड़कर अन्य दावे, जो कर्जों के रूप में नहीं माने गये हैं
- (घ) कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियाँ
- (ङ) विवादग्रस्त सांविधिक माँगें/देयताएँ, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है
- (च) खातों में प्रावधान नहीं किये जाने की सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व
- (छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ii) भारत के अंदर और बाहर कंपनी की आस्तियों पर ऋण-भार।

(iii) ऋणों, निवेशों और अचल आस्तियों के लिए की गई और बकाया प्रतिबद्धताएँ।

(iv) भारत के अंदर/बाहर दावेदारों को भुगतान किये गये दावे, पुनर्बीमा को घटाकर।

(v) उन दावों के मामले में दावा देयताओं के निर्धारण के लिए बीमांकिक पूर्वानुमान, जहाँ दावों के भुगतान की अवधि चार वर्ष से अधिक है।

(vi) दावों की अवधि – छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया दावों और अन्य दावों के बीच भेद दिखाते हुए।

(vii) भारत के अंदर/बाहर व्यवसाय से जोखिम-अंकित प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर।

(viii) इस बात के साथ कि क्या बाह्य साक्ष्य पर निर्भरता रखी गई है, जोखिम के परिवर्तनशील स्वरूप के आधार पर, श्रेणी-वार, उसके लिए आधार और औचित्य के साथ, निर्धारित प्रीमियम आय की सीमा।

(ix) निम्नलिखित के लिए, निवेशों से संबंधित संविदाओं का मूल्य-
- (1) खरीद जहाँ वितरण लंबित हैं
- (2) बिक्री जहाँ भुगतान अतिदेय हैं

(x) बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय: व्यवसाय की विभिन्न श्रेणियों के लिए व्यय के आबंटन और प्रभाजन का आधार

(xi) उन निवेशों की ऐतिहासिक लागतें जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य आधार पर किया गया है

(xii) प्रबंधकीय पारिश्रमिक की संगणना

(xiii) कर्ज प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार

(xiv) (क) सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों और व्युत्पन्नी लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होनेवाले लाभ/हानियों को शीर्ष "उचित मूल्य परिवर्तन खाता" के अंतर्गत ईक्विटी में ले जाना चाहिए तथा प्राप्ति के बाद लाभ और हानि खाते में सूचित किया जाना चाहिए।

(ख) वसूली होने तक, "उचित मूल्य परिवर्तन खाता" में जमा शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

(xv) निवेश आस्ति का उचित मूल्य और उसके लिए आधार।

(xvi) तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार निपटाये गये दावे और छह महीने से अधिक अवधि के लिए अदत्त दावे।

(xvii) नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में चालू वर्ष और पिछले वर्ष में निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए किये गये प्रावधान।

(xviii) प्रीमियम कमी की संगणना का आधार।

(2) निम्नलिखित लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग बनेंगीः

(i) आईसीएआई द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, तथा लेखांकन सिद्धांतों के भाग । में दिये गये महत्वपूर्ण सिद्धांत और नीतियाँ। बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण की गई कोई अन्य लेखांकन नीतियाँ आईसीएआई द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक एएस 1 के अंतर्गत अपक्षित तरीके से बतायी जाएँगी।

(ii) पूर्वोक्त प्रकार से लेखांकन नीतियों से किसी भी विचलन का प्रकटीकरण ऐसे विचलन के लिए कारणों के साथ अलग से किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित सूचना का भी प्रकटीकरण किया जाएगाः-

(i) किसी भी सांविधिक अपेक्षा के अनुसार किये गये निवेश उनकी राशि, स्वरूप, प्रतिभूति और भारत के अंदर और बाहर किन्हीं विशेष अधिकारों के साथ अलग-अलग प्रकट किये जाने चाहिए;

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार आय निर्धारण के प्रयोजन के लिए अर्जक/अनर्जक निवेशों के रूप में पृथक्करण;

(iii) व्यवसाय क्षेत्र-वार प्रतिशत;

(iv) राजस्व लेखा तथा लाभ और हानि खाते के बीच ब्याज, लाभांशों और किराये के आबंटन का आधार;

(v) नियुक्त बीमांकक के द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत, पूर्वानुमानों और अनुभव के आधार पर निःशुल्क अवलोकन अवधि के दौरान पालिसी निरसनों के लिए प्रावधानीकरण हेतु नीति और सिद्धांतों का प्रकटीकरण;

(vi) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य सूचना।

11. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेश

(1) तुलन-पत्र, राजस्व लेखा तथा लाभ और हानि खाते में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए तदनुरूपी राशियाँ दी जानी चाहिए।

(2) वित्तीय विवरणों में आंकड़े निकटतम लाख तक पूर्णांकित किये जाने चाहिए।

(3) किसी निवेश के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांश और किराया सकल मूल्य के रूप में बताया जाना चाहिए, स्रोत पर काटे गये आय-कर की राशि "प्रदत्त अग्रिम कर" के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए।

(4) किराये से आय में कोई आनुमानिक किराया शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

(5) वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) अभिव्यक्ति "प्रावधान" से नीचे की टिप्पणी (v) के अधीन अभिप्रेत है, ऐसी कोई राशि जो मूल्यह्रास, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए अपलिखित है अथवा प्रावधानीकरण के द्वारा रखी गई है अथवा किसी ज्ञात देयता या हानि के लिए प्रावधानीकरण के द्वारा रखी गई है जिसकी राशि का निर्धारण पर्याप्त सहीपन के साथ नहीं किया जा सकता;

(ii) अभिव्यक्ति "आरक्षित निधि" पूर्वोक्त के अधीन, ऐसी किसी राशि को शामिल नहीं करता जो अपलिखित है अथवा मूल्यह्रस, नवीकरणों या आस्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधानीकरण के द्वारा रखी गई है अथवा किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधानीकरण करने के द्वारा रखी गई है;

(iii) अभिव्यक्ति "आरक्षित पूँजी निधि" में ऐसी कोई राशि शामिल नहीं की जाएगी जो लाभ और हानि खाते के माध्यम से वितरण के लिए निःशुल्क के रूप में मानी गई हो; तथा अभिव्यक्ति "राजस्व आरक्षित निधि" से अभिप्रेत है आरक्षित पूँजी निधि को छोड़कर कोई भी अन्य आरक्षित निधि;

(iv) अभिव्यक्ति "देयता" में संविदा किये गये व्यय तथा सभी विवादित या आकस्मिक देयताओं के संबंध में सभी देयताएँ शामिल की जाएँगी।

(v) जहाँ :

(क) कोई भी राशि जो अपलिखित की गई है अथवा मूल्यह्रास, नवीकरण अथवा आस्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान करने के द्वारा रखी गई है, अथवा

(ख) किसी ज्ञात देयता के लिए प्रावधानीकरण के द्वारा रखी गई कोई भी राशि उस राशि से अधिक है जो निदेशकों की राय में उक्त प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है, उक्त आधिक्य को इन खातों के प्रयोजनों के लिए आरक्षित निधि के रूप में माना जाएगा, न कि एक प्रावधान के रूप में।

(6) कंपनी को मुकदमों के अधीन हर्जाने के लिए प्रावधान करना चाहिए जहाँ प्रबंधन की राय है कि अधिनिर्णय बीमाकर्ता के विरुद्ध जा सकता है।

(7) रखे गये और बुनर्बीमित किये गये जोखिम की सीमा का अलग से प्रकटीकरण करना चाहिए।

(8) लाभ और हानि खाते का कोई भी नामे शेष अप्रतिबद्ध आरक्षित निधियों से कटौती के रूप में दिखाया जाएगा तथा शेष राशि, यदि कोई हो, अलग से दिखाई जाएगी।

(9) सभी बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे शेयरधारकों और पालिसीधारकों के लिए अलग निवेश खाते रखें तथा निवेशों पर उपचित आय/ हानियाँ / पूँजीगत अभिलाभ / हानियाँ राजस्व लेखे/ लाभ और हानि खाते में जमा / नामे, जैसी स्थिति हो, की जानी चाहिए।

12. प्रबंधन रिपोर्ट की विषय-वस्तु – वित्तीय विवरणों के साथ, एक प्रबंधन रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रबंधन द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित रूप में निम्नलिखित मदें होनी चाहिएः

(1) प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये पंजीकरण की निरंतर विधिमान्यता के संबंध में पुष्टीकरण

(2) प्रमाणीकरण कि सांविधिक प्राधिकारियों को देय सभी राशियाँ विधिवत् अदा की गई हैं

(3) इस आशय का पुष्टीकरण कि वर्ष के दौरान शेयरधारिता का स्वरूप और शेयरों का कोई भी अंतरण सांविधिक अथवा विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार हैं

(4) घोषणा कि प्रबंधन ने भारत में जारी की गई पालिसियों के धारकों की निधियों का निवेश भारत के बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है

(5) पुष्टीकरण कि अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन अनुरक्षित किये गये हैं

(6) इस आशय का पुष्टीकरण कि तुलन-पत्र की तारीख को सभी आस्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है तथा उसके (बीमाकर्ता के) विश्वास के अनुसार तुलन-पत्र में निर्धारित आस्तियाँ विभिन्न शीर्षकों – "ऋण", "निवेश", "एजेंटों की शेष राशियाँ", "बकाया प्रीमियम", "बकाया ब्याज, लाभांश और किराया", "उपचित परंतु अदेय ब्याज, लाभांश और किराया", "बीमा व्यवसाय करनेवाले अन्य व्यक्तियों या निकायों से प्राप्य राशियाँ", "विविध देनदार", "प्राप्य बिल", "नकदी" तथा "अन्य खाते" के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कई मदें इन शीर्षों के अंतर्गत उनके वसूलीयोग्य अथवा बाजार मूल्य से अनधिक राशियों पर समग्र रूप में दर्शाई गई हैं।

(7) समग्र जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में प्रकटीकरण तथा जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए कार्यनीति

(8) अन्य देशों में परिचालन, यदि कोई हों, देश जोखिम और एक्सपोज़र जोखिम तथा अपनाई गई बचाव कार्यनीति के संबंध में प्रबंधन का अनुमान देते हुए एक अलग विवरण के साथ

(9) पिछले पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान में प्रवृत्तियाँ निर्दिष्ट करते हुए दावों का समय (एजिंग)

(10) इस आशय का प्रमाणीकरण कि तुलन-पत्र में दर्शाये गये रुप में निवेशों, तथा स्टाकों और शेयरों के मूल्य कैसे प्राप्त किये गये हैं, तथा इस प्रकार दर्शाये गये मूल्यों के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए उनके बाजार मूल्य का पता कैसे लगाया गया है

(11) संविभागों के तौर पर अर्थात् स्थावर संपदा (रियल एस्टेट), ऋण, निवेश, आदि के तौर पर अलग-अलग आस्ति गुणवत्ता और निवेश के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

(12) एक दायित्व विवरण उसमें यह निर्दिष्ट करते हुए कि-

(i) वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू किये गये किन लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का अनुसरण किया गया है, महत्वपूर्ण विचलनों, यदि कोई हों, से संबंधित उचित स्पष्टीकरणों के साथ;

(ii) प्रबंधन ने ऐसी लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें सुसंगत रूप में लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किये हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की परिस्थिति का एवं परिचालन लाभ और हानि का तथा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि का एक सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके;

(iii) प्रबंधन ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनकी पहचान करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/ कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(iv) प्रबंधन ने एक निरंतर महत्व (कन्सर्न) के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये हैं;

(v) प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप एक आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली विद्यमान हो तथा प्रभावी रूप से परिचालन करे।

(13) उन भुगतानों की एक अनुसूची जो व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संस्थाओं को किये गये हैं, जिनमें बीमाकर्ता के निदेशकों का हित है।

(14) सहायक संस्थाओं, सहयोगी संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में देशों में देशी, सांविधिक, विनियामक और अन्य कानूनों के अनुपालन का पुष्टीकरण।

(15) विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य सूचना।

13. वित्तीय विवरण तैयार करना

(1) बीमाकर्ता राजस्व लेखा, लाभ और हानि खाता [शेयरधारकों का खाता] तथा तुलन-पत्र फार्म बी-आरए, फार्म बी-पीएल, और फार्म बी-बीएस में, अथवा उनके निकटतम रूप में परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करेगा।

इसके अतिरिक्त, विविध व्यवसाय के संबंध में, कम से कम निम्नलिखित के लिए अलग अनुसूचियाँ प्रस्तुत की जाएँगीः

(i) मोटर के अंतर्गतः- उप-खंड (क) मोटर निजी क्षति और (ख) मोटर टीपी,

(ii) स्वास्थ्य के अंतर्गतः- उप-खंड (क) स्वास्थ्य, (ख) वैयक्तिक दुर्घटना, और (ग) यात्रा,

(iii) कर्मकार प्रतिकर / नियोक्ता का दायित्व,

(iv) सरकारी / उत्पाद संबंधी दायित्व,

(v) इंजीनियरिंग,

(vi) विमानन,

(vii) फ़सल,

(viii) बीमाकर्ता के कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10% से अधिक अंशदान करनेवाले किसी भी अन्य उप-खंड को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(ix) अन्य।

(x) विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य खंड।

(2) व्यवसाय की व्यवस्था के आधार पर, तथा भारत के अंदर और बाहर व्यवसाय के आधार पर खंडों की सूचना दी जानी चाहिए। खंड-वार विवरण देते समय सभी खंडों के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े भी दिये जाना चाहिए।

(3) प्रत्येक बीमाकर्ता आईसीएआई द्वारा जारी किये गये एएस 3- "नकदी प्रवाह विवरण" में निर्धारित प्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार अलग-अलग प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करेगा।

फार्म बी-आरए				
बीमाकर्ता का नामः				
पंजीकरण सं. _____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीखः_____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि (फायर) खंड के लिए राजस्व लेखा (राशि लाख रु. में)				
	विवरण	**अनुसूची संदर्भ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1		
2	निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि			
3	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल टिप्पणी[1]			
4	अन्य			
	(1) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) (i)			

	(ii)			
	(2) शेयरधारकों के खाते से अंशदान (i) प्रति, प्रबंधन व्ययों का आधिक्य[1] (ii) प्रति, एमडी/सीईओ/डब्ल्यूडी/अन्य केएमपी[2] (iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
6	उपगत दावे (निवल)	2		
7	कमीशन	3		
8	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4		
	कुल (ख)			
9	**परिचालन लाभ/(हानि)** **ग=(क-ख)**			
10	**विनियोजन**			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
	आपात आरक्षित निधि में अंतरण			
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (ग)			

[1] यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं।

[2] यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।

टिप्पणियाँ :- (क) फार्म बी-पीएल के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें।

टिप्पणी-1

पालिसीधारकों की निधियों से संबंधित	**(राशि लाख रु. में)**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
ब्याज, लाभांश और किराया		
जोडें / घटाएँ :		
निवेश व्यय		
प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		
मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में अपलिखित राशि		
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान		
सक्रिय रूप से व्यापारित ईक्विटियों से इतर के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		
समूह (पूल) से निवेश आय		
ब्याज, लाभांश और किराया – सकल*		

***शब्द सकल का अर्थ है कि उसमें टीडीएस शामिल है**

फार्म बी-आरए				
बीमाकर्ता का नामः				
पंजीकरण सं._____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख_____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष के लिए मरीन खंड के लिए राजस्व लेखा **(राशि लाख रु. में)**				
	विवरण	**अनुसूची संदर्भ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1		
2	निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि			
3	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल **टिप्पणी[1]**			
4	अन्य			
5	(1) शेयरधारकों के खाते से अंशदान			

	(i) प्रति, प्रबंधन व्ययों का आधिक्य[1] (ii) प्रति, एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/ अन्य केएमपी[2] (iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
6	उपगत दावे (निवल)	2		
7	कमीशन	3		
8	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4		
	कुल (ख)			
9	**परिचालन लाभ/(हानि) ग=(क-ख)**			
10	**विनियोजन**			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
	आपात आरक्षित निधि में अंतरण			
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (ग)			

टिप्पणियाँ :- (क) फार्म बी-पीएल के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें

[1] यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं,

[2] यदि वार्षिक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है,

टिप्पणी – 1

पालिसीधारकों की निधियों से संबंधित	**(राशि लाख रु. में)**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
ब्याज, लाभांश और किराया		
जोड़ें/घटाएँ:-		
निवेश व्यय		
प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		
मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में अपलिखित राशि		
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान		
सक्रिय रूप से व्यापारित ईक्विटियों को छोड़कर अन्य के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		
समूह से निवेश आय		
ब्याज, लाभांश और किराया – सकल*		

***शब्द सकल का अर्थ है कि इसमें टीडीएस शामिल है।**

फार्म बी-आरए				
बीमाकर्ता का नामः				
पंजीकरण सं._____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख_____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष हेतु विविध खंड के लिए राजस्व लेखा (राशि लाख रु. में)				
	विवरण	**अनुसूची संदर्भ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1		
2	निवेशों के विक्रय / मोचन पर लाभ / हानि			
3	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल **टिप्पणी[1]**			
4	अन्य			
	(1) अन्य आय (विनिर्दष्ट करें) (i).....			

	(ii).....			
	(2) शेयरधारकों के खाते से अंशदान (i) प्रति, प्रबंधन व्ययों का आधिक्य[1] (ii) प्रति, एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी / अन्य केएमपी[2] (iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
6	उपगत दावे (निवल)	2		
7	कमीशन	3		
8	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4		
	कुल (ख)			
9	**परिचालन लाभ/(हानि)** **ग= (क - ख)**			
10	**विनियोजन**			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
	आपात आरक्षित निधि में अंतरण			
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (ग)			

टिप्पणियाँ :- (क) फार्म बी-पीएल के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें

[1] यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाता है,

[2] यदि वार्षक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है,

टिप्पणी – 1

पालिसीधारकों की निधियों से संबंधित	**(राशि लाख रु. में)**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
ब्याज, लाभांश और किराया		
जोड़ें/घटाएँ:-		
निवेश व्यय		
प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		
मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में अपलिखित राशि		
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान		
सक्रिय रूप से व्यापारित ईक्विटियों को छोड़कर अन्य के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		
समूह से निवेश आय		
ब्याज, लाभांश और किराया – सकल*		

***शब्द सकल का अर्थ है कि इसमें टीडीएस शामिल है।**

फार्म बी-आरए				
बीमाकर्ता का नामः				
पंजीकरण सं._____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख_____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी (कुल) के लिए राजस्व लेखा **(राशि लाख रु. में)**				
	विवरण	**अनुसूची संदर्भ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अर्जित प्रीमियम (निवल)	1		
2	निवेशों के विक्रय/मोचन पर लाभ/हानि			
3	ब्याज, लाभांश और किराया – सकल **टिप्पणी[1]**			
4	अन्य			

	(क) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) (i)..... (ii).....			
	(ख) शेयरधारकों के खाते से अंशदान (iv) प्रति, प्रबंधन व्ययों का आधिक्य[1] (v) प्रति, एमडी / सीईओ / डब्ल्यूटीडी / अन्य केएमपी[2] (vi) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
6	उपगत दावे (निवल)	2		
7	कमीशन	3		
8	बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय	4		
9	प्रीमियम कमी			
	कुल (ख)			
10	**परिचालन लाभ/(हानि)** **ग= (क - ख)**			
11	**विनियोजन**			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण			
	आपात आरक्षित निधि में अंतरण			
	अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (ग)			

टिप्पणियाँ :- (क) फार्म बी-पीएल के अंत में दी गई टिप्पणियाँ देखें

[1] यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाता है,

[2] यदि वार्षक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है,

टिप्पणी – 1

पालिसीधारकों की निधियों से संबंधित	**(राशि लाख रु. में)**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
ब्याज, लाभांश और किराया		
जोड़ें/घटाएँ:-		
निवेश व्यय		
प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट		
मूल्यह्रासित निवेशों के संबंध में अपलिखित राशि		
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान		
सक्रिय रूप से व्यापारित ईक्विटियों को छोड़कर अन्य के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान		
समूह से निवेश आय		
ब्याज, लाभांश और किराया – सकल*		

***शब्द सकल का अर्थ है कि इसमें टीडीएस शामिल है।**

फार्म बी-पीएल				
बीमाकर्ता का नामः				
पंजीकरण सं._____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख_____				
31 मार्च 20..... को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा **(राशि लाख रु. में)**				
	विवरण	**अनुसूची संदर्भ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	**परिचालन लाभ/(हानि)**			
	(क) अग्नि (फायर) बीमा			
	(ख) मरीन बीमा			

	(ग) विविध बीमा			
2	**निवेशों से आय**			
	(क) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल			
	(ख) निवेशों के विक्रय पर लाभ			
	(ग) (निवेशों के विक्रय/मोचन पर हानि)			
	(घ) प्रीमियम का परिशोधन / निवेशों पर छूट			
3	**अन्य आय** (विनिर्दिष्ट करें)			
	कुल (क)			
4	**प्रावधान (कराधान को छोड़कर अन्य)**			
	(क) निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए			
	(ख) संदिग्ध कर्जों के लिए			
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
5	**अन्य व्यय**			
	(क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों को छोड़कर अन्य व्यय			
	(ख) अपलिखित अशोध्य कर्ज			
	(ग) गौण कर्ज पर ब्याज			
	(घ) सीएसआर कार्यकलापों के लिए व्यय			
	(ङ) दंड			
	(च) पालिसीधारकों के खाते में अंशदान (i) प्रबंधन व्ययों के आधिक्य के लिए[1] (ii) एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी/ अन्य केएमपी[2] के पारिश्रमिक के लिए (iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
	(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (i) _____ (ii) _____			
	कुल (ख)			
6	कर से पहले लाभ/			
7	कराधान के लिए प्रावधान			
8	**कर के बाद लाभ/ (हानि)**			
9	**विनियोजन**			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किये गये अंतरिम लाभांश			
	(ख) अदा किया गया अंतिम लाभांश			
	(ग) किन्हीं अन्य आरक्षित निधियों में या अन्य खातों में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			
	पिछले वर्ष से आगे लाये गये लाभ/हानि का शेष			
	तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष			

[1] यदि प्रबंधन व्यय विनियमों के द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक हो जाते हैं,

[2] यदि वार्षक पारिश्रमिक विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है,

<u>फार्म बी-आरए और बी-पीएल के लिए टिप्पणियाँ</u>

(क) कुल प्रीमियमों (पुनर्बीमा को घटाकर) के एक प्रतिशत से अधिक आय अथवा रु. 5,00,000, जो भी अधिक हो, की मदें एक अलग व्यवस्था की मद के रूप में दर्शाई जाएँगी।

(ख) उप-शीर्ष "अन्य" के अंतर्गत विदेशी मुद्रा अभिलाभों अथवा हानियों जैसी मदें और अन्य मदें शामिल की जाएँगी।

(ग) किसी निवेश के संबंध में प्राप्य ब्याज, लाभांशों और किराये को एक सकल राशि के रूप में बताया जाना चाहिए, कटौती किये गये आय-कर की राशि को `प्रदत्त अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये कर' के अंतर्गत शामिल

किया जाएगा। निवेश आय से संबंधित व्यय उदा. परिशोधन, अपलेखन, अन्य निवेश व्यय आदि की कटौती इससे यहाँ अलग से प्रकटीकृत को छोड़कर की जाएगी।

(घ) किराये से आय में केवल प्राप्त किराया ही शामिल किया जाएगा। इसमें कोई आनुमानिक किराया शामिल नहीं किया जाएगा।

फार्म बी-बीएस			
बीमाकर्ता का नामः			
पंजीकरण सं._____ और आईआरडीएआई के पास पंजीकरण की तारीख_____			
31 मार्च 20..... की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (राशि लाख रु. में)			
विवरण	**अनुसूची संदर्भ**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
निधियों के स्रोत			
शेयर पूँजी	5		
आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि			
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	6		
प्रधान कार्यालय खाता*	6क		
उचित मूल्य परिवर्तन खाता			
-शेयरधारकों की निधियाँ			
-पालिसीधारकों की निधियाँ			
उधार राशियाँ	7		
कुल			
निधियों का विनियोग			
निवेश - शेयरधारक	8		
निवेश - पालिसीधारक	8क		
ऋण	9		
अचल आस्तियाँ	10		
आस्थगित कर आस्ति (निवल)			
चालू आस्तियाँ			
नकदी और बैंक शेष	11		
अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12		
उप-जोड़ (क)			
आस्थगित कर देयता (निवल)			
चालू देयताएँ	13		
प्रावधान	14		
उप-जोड़ (ख)			
निवल चालू आस्तियाँ (ग) = (क – ख)			
विविध व्यय (अपलिखित न होने या समायोजित न होने की सीमा तक	15		
कुल			

*केवल विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और लायड्स इंडिया की शाखाओं के लिए

आकस्मिक देयताएँ

(राशि लाख रु. में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. अंशतः प्रदत्त निवेश		
2. पालिसियों के आधार को छोड़कर अन्य दावे, कंपनी द्वारा कर्जों के रूप में न माने गये		
3. बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में)		
4. कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियाँ		

5. विवादग्रस्त सांविधिक माँगें/ देयताएँ, जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है		
6. पुनर्बीमा दायित्व, खातों में प्रावधान न किये जाने की सीमा तक		
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (क)._____ (ख)._____		
कुल		

टिप्पणीः

(क) बकाया जोखिम-अंकन प्रतिबद्धताएँ – शेयरों को नये निर्गम के लिए अभिदान का जोखिम-अंकन करने के लिए प्रतिबद्धताएँ, परंतु जिसका दायित्व निर्गम के पूर्णतः अभिदत्त न होने पर है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में बीमाकर्ताओं को निर्गमों का जोखिम-अंकन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) पुनर्बीमा दायित्व – इनमें बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमा संविदओं के अंतर्गत दायित्व शामिल हैं जिनके संबंध में तुलन-पत्र की तारीख को अवशिष्ट दायित्व हैं, परंतु विधिमान्य कारणों से बीमाकर्ता ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों का भाग बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 1		
अर्जित प्रीमियम [निवल] **(राशि लाख रु. में)**		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
जोड़ें : पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकृत(क)		
घटाएँ : पुनर्बीमा पर प्रीमियम अध्यर्पित(क)		
निवल अंकित प्रीमियम / निवल प्रीमियम आय		
जोड़ें : अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) का प्रारंभिक शेष		
घटाएँ : अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) का अंतिम शेष		
निवल अर्जित प्रीमियम		
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
-भारत में		
-भारत के बाहर		

टिप्पणियाँ :

(क) पुनर्बीमा प्रीमियम चाहे व्यवसाय पर अध्यर्पित हों या स्वीकृत, कमीशन की कटौती करने से पहले पुनर्बीमा प्रीमियमों के शीर्षक के अंतर्गत खाते में लाया जाना चाहिए।

(ख) ऐसे खंड/ उप-खंड के लिए जो कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान करता है, अलग प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।

(ग) प्रीमियम की सूचना वस्तु और सेवा कर को छोड़कर दी जानी चाहिए।

अनुसूची 2		
उपगत दावे [निवल] **(राशि लाख रु. में)**		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
भुगतान किये गये दावे (प्रत्यक्ष)		
जोड़ें : प्रत्यक्ष दावों के लिए स्वीकृत पुनर्बीमा		
घटाएँ : भुगतान किये गये दावों को अध्यर्पित पुनर्बीमा		
निवल प्रदत्त दावे		
जोड़ें : वर्ष के अंत में बकाया दावे		
घटाएँ : वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे		
निवल उपगत दावे		
भुगतान किये गये दावे (प्रत्यक्ष)		
-भारत में		

-भारत के बाहर		
अवधि के अंत में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)		
अवधि के प्रारंभ में आईबीएनआर और आईबीएनईआर के अनुमान (निवल)		

टिप्पणियाँ :

(क) उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर), उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये (आईबीएनईआर) दावे बकाया दावों के लिए विद्यमान राशि में शामिल किये जाने चाहिए।

(ख) दावों में विशिष्ट दावा निपटान लागत शामिल है, परंतु प्रबंधन के व्यय शामिल नहीं हैं।

(ग) सर्वेक्षक शुल्क, विधिक और अन्य व्यय भी दावों की लागत का भाग बनेंगे, जहाँ भी लागू हो।

(घ) दावों की लागत का समायोजन अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के लिए किया जाना चाहिए, यदि उसकी वसूली के लिए पर्याप्त निश्चितता हो।

(ङ) ऐसे खंड/उप-खंड के लिए अलग प्रकटीकरण करना चाहिए जो कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान करता है।

अनुसूची 3		
कमीशन (राशि लाख रु. में)		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन		
घटाएँ : अध्यर्पित पुनर्बीमा पर कमीशन		
निवल कमीशन		
नीचे निर्दिष्ट किये गये ब्योरे के अनुसार व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किये गये व्ययों (सकल) का विश्लेषित विवरण प्रस्तुत किया जाए:		
वैयक्तिक एजेंट		
कारपोरेट एजेंट – बैंक/एफआईआई/एचएफसी		
कारपोरेट एजेंट - अन्य		
बीमा दलाल		
प्रत्यक्ष व्यवसाय – आनलाइन[ग]		
एमआईएसपी (प्रत्यक्ष)		
वेब संग्राहक		
बीमा विपणन फर्म		
सामान्य सेवा केन्द्र		
सूक्ष्म एजेंट		
बिक्री केन्द्र (प्रत्यक्ष)		
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		
अंकित व्यवसाय पर कमीशन और प्रतिफल (पुनर्बीमा को छोड़कर):		
भारत में		
भारत के बाहर		

टिप्पणियाँ :

(क) लाभ/कमीशन, यदि कोई हो, स्वीकृत पुनर्बीमा अथवा अध्यर्पित पुनर्बीमा के आंकड़ों के साथ सम्मिलित किये जाने चाहिए।

(ख) ऐसे खंड/उप-खंड के लिए अलग प्रकटीकरण किया जाना चाहिए जो कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान करता है।

(ग) कंपनी वेबसाइट के द्वारा प्राप्त व्यवसाय पर कमीशन।

अनुसूची 4			
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय (राशि लाख रु. में)			
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और कल्याण लाभ		

2	यात्रा, परिवहन और वाहन संचालन व्यय		
3	प्रशिक्षण व्यय		
4	किराया, दरें और कर		
5	मरम्मत		
6	मुद्रण और लेखन-सामग्री		
7	संचार व्यय		
8	विधिक और व्यावसायिक प्रभार		
9	लेखा-परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि		
	(क) लेखा-परीक्षक के रूप में		
	(ख) निम्नलिखित के संबंध में परामर्शदाता अथवा किसी अन्य क्षमता में		
	(i) कराधान के मामले		
	(ii) बीमा संबंधी मामले		
	(iii) प्रबंध सेवाएँ; और		
	(iv) किसी अन्य क्षमता में		
10	विज्ञापन और प्रचार		
11	ब्याज और बैंक प्रभार		
12	मूल्यह्रास		
13	ब्रैंड/ट्रेड मार्क प्रयोग शुल्क/प्रभार		
14	व्यवसाय विकास और विक्रय संवर्धन व्यय		
15	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यय		
16	वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)		
17	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

टिप्पणियाँ :

(क) कुल प्रीमियमों (पुनर्बीमा को घटाकर) के एक प्रतिशत से अधिक व्ययों की मदें अथवा रु. 5,00,000 जो भी अधिक हो, एक अलग मद के रूप में दर्शाया जाएगा।

(ख) जो खंड / उप-खंड कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक अंशदान करता है, उसके लिए अलग प्रकटीकरण किया जाए।

(ग) विभिन्न बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलापों / व्यवस्थाओं के लिए अदा किये गये व्यय प्रयुक्त सेवाओं के स्वरूप के आधार पर संबंधित व्यवस्था की मद के अंतर्गत दर्ज किये जाने चाहिए तथा इन्हें "बाह्यस्रोतीकरण व्यय" के रूप में नहीं दर्शाना चाहिए।

अनुसूची 5			
शेयर पूँजी	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	प्राधिकृत पूँजी		
	प्रत्येक रु. ..... के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु. ..... के अधिमानी शेयर		
2	निर्गत पूँजी		
	प्रत्येक रु. ..... के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु. ..... के अधिमानी शेयर		
3	अभिदत्त पूँजी		
	प्रत्येक रु. ..... के ईक्विटी शेयर		

	प्रत्येक रु. ..... के अधिमानी शेयर		
4	माँगी गई पूँजी		
	प्रत्येक रु. ..... के ईक्विटी शेयर		
	घटाएँ : अदत्त माँगें		
	जोड़ें : जब्त किये गये ईक्विटी शेयर (राशि मूल रूप से प्रदत्त)		
	घटाएँ : वापस खरीदे गये ईक्विटी शेयरों का सम मूल्य		
	घटाएँ : प्रारंभिक व्यय		
	निम्नलिखित के संबंध में कमीशन या दलाली सहित व्यय		
	शेयरों का जोखिम-अंकन या अभिदान		
	प्रत्येक रु. ..... के अधिमानी शेयर		
5	प्रदत्त पूँजी		
	प्रत्येक रु. ..... के ईक्विटी शेयर		
	प्रत्येक रु. ..... के अधिमानी शेयर		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

(क) पूँजी की विभिन्न श्रेणियों का विवरण अलग से बताया जाना चाहिए।
(ख) बोनस शेयरों के निर्गम के कारण पूँजीकृत राशि का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।
(ग) यदि पूँजी का कोई भाग नियंत्रक कंपनी के द्वारा धारित है, तो इसका प्रकटीकरण अलग से किया जाना चाहिए।

अनुसूची 5क				
शेयरधारिता का स्वरूप				
[प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित]				
शेयरधारक	**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
	शेयरों की संख्या	**धारिता का %**	**शेयरों की संख्या**	**धारिता का %**
प्रवर्तक				
भारतीय				
विदेशी				
निवेशक[1]				
भारतीय				
विदेशी				
अन्य[2] भारतीय विदेशी				
कुल				

[1] निवेशक संबंधित विनियमों में यथापरिभाषित
[2] अन्य में ईएसओपीएस शामिल हो सकते हैं

अनुसूची 6			
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष		**(राशि लाख रु. में)**	
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	पूँजीगत आरक्षित निधि		

2	पूँजी मोचन आरक्षित निधि		
3	शेयर प्रीमियम		
4	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि		
5	सामान्य आरक्षित निधियाँ		
	घटाएँ : वापसी-खरीद के लिए प्रयुक्त राशि		
	घटाएँ : बोनस शेयरों के निर्गम के लिए प्रयुक्त राशि		
6	आपात आरक्षित निधि		
7	अन्य आरक्षित निधियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
8	लाभ-हानि लेखे में लाभ का शेष		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

(क) आरक्षित निधियों में परिवर्धन और आरक्षित निधियों से कटौतियाँ विनिर्दिष्ट शीर्षों में से प्रत्येक के अंतर्गत प्रकट की जानी चाहिए।

अनुसूची 6क			
प्रधान कार्यालय खाता अनुसूची			
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	समनुदेशित पूँजी का प्रारंभिक शेष		
	जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	समनुदेशित पूँजी का अंतिम शेष*		
	कुल		

टिप्पणीः * पंजीकरण की शर्तों के अनुसार प्रधान कार्यालय द्वारा निधीकृत अप्रतिवर्तनीय नियत राशि को निरूपित करता है तथा किसी भी राशि / शेष का अंतरण देश के बाहर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

अनुसूची 7			
उधार राशियाँ	**(राशि लाख रु. में)**		
1	डिबेंचर / बांड		
2	बैंक		
3	वित्तीय संस्थाएँ		
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

(क) उस सीमा का प्रकटीकरण अलग से किया जाए, जहाँ तक उधार राशियाँ रक्षित हैं तथा प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत जमानत का स्वरूप बताया जाए।

(ख) तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर देय/प्राप्य राशियाँ अलग से दर्शायी जानी चाहिए।

(ग) डिबेंचरों में संबंधित विनियमों के अनुसार जारी किये गये एनसीडी शामिल हैं।

<u>रक्षित उधार राशियों के लिए प्रकटीकरण (टिप्पणी क देखें)</u>

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	**स्रोत / लिखत**	**उधार ली गई राशि**	**प्रतिभूति की राशि**	**प्रतिभूति का स्वरूप**

1				
2				
3				
4				
5				

अनुसूची 8 और 8क							
निवेश अनुसूची		**(राशि लाख रु. में)**					
	विवरण	**अनुसूची-8**		**अनुसूची-8क**			
		शेयरधारक		**पालिसीधारक**		**कुल**	
		चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	दीर्घावधि निवेश						
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित						
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ						
3	अन्य निवेश						
	(क) शेयर						
	(कक) ईक्विटी						
	(खख) अधिमानी						
	(ख) म्युचुअल फंड						
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत						
	(घ) डिबेंचर/बांड						
	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)						
	(च) सहायक						
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा						
4	बुनियादी संरचना और गृह-निर्माण में निवेश						
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य						
	अल्पावधि निवेश						
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ और सरकार गारंटीकृत बांड, खजाना बिलों सहित						
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ						
3	अन्य निवेश						
	(क) शेयर						
	(कक) ईक्विटी						
	(खख) अधिमानी						
	(ख) म्युचुअल फंड						
	(ग) व्युत्पन्नी लिखत						
	(घ) डिबेंचर/बांड						

	(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ (विनिर्दिष्ट करें)						
	(च) सहायक						
	(छ) निवेश संपत्तियाँ – स्थावर संपदा						
4	बुनियादी संरचना और गृह-निर्माण में निवेश						
5	अनुमोदित निवेशों को छोड़कर अन्य						
	कुल						
	कुल जोड़						

टिप्पणियाँ :

(क) सहायक/धारक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश लागत पर अलग-अलग प्रकट किये जाएँगे।

(i) धारक कंपनी और सहायक संस्थाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित रूप में समझा जाएगा।

(ii) संयुक्त उद्यम एक संविदागत व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या उससे अधिक पक्षकार एक आर्थिक कार्यकलाप करते है, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।

(iii) संयुक्त नियंत्रण संविदागत तौर पर सहमति-प्राप्त साझेदारी है जो एक आर्थिक कार्यकलाप की वित्तीय और परिचालन नीतियों को नियंत्रित करने के लिए है ताकि उससे लाभ प्राप्त किये जा सकें।

(iv) सहयोगी संस्था एक उद्यम है जिसमें कंपनी का उल्लेखनीय प्रभाव है तथा जो कंपनी की न तो सहायक संस्था है और न ही कंपनी का संयुक्त उद्यम।

(v) उल्लेखनीय प्रभाव (इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए) – इससे अभिप्रेत है कंपनी के वित्तीय और परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में सहभागिता, परंतु उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं। उल्लेखनीय प्रभाव का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व के द्वारा, नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता, महत्वपूर्ण अंतर-कंपनी लेनदेनों, प्रबंधकीय कार्मिकों का आंतरिक परिवर्तन अथवा तकनीकी सूचना संबंधी निर्भरता के द्वारा। उल्लेखनीय प्रभाव साझा स्वामित्व, संविधि या करार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ तक साझा स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संस्थाओं के माध्यम से निवेशिती के मतदान अधिकार का 20 प्रतिशत या उससे अधिक धारित करता है, तो यह माना जाता है कि उक्त निवेशक उल्लेखनीय प्रभाव से युक्त है, जब तक यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया जाए कि यह स्थिति नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संस्थाओं के माध्यम से निवेशिती के मताधिकार का 20 प्रतिशत से कम धारित करता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक उल्लेखनीय प्रभाव से युक्त नहीं है, जब तक ऐसे प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया जाता। किसी अन्य निवेशक द्वारा भारी या अधिकांश स्वामित्व आवश्यक रूप से निवेशक को उल्लेखनीय प्रभाव से युक्त होने से नहीं रोकता।

(ख) आपात आरक्षित निधि से किये गये निवेश अलग से दिखाये जाने चाहिए।

(ग) कर्ज प्रतिभूतियाँ "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों के रूप में मानी जाती हैं तथा इनका मापन परिशोधन के अधीन ऐतिहासिक लागत पर किया जाएगा।

(घ) निवेश संपत्ति से अभिप्रेत है एक संपत्ति [भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों] जो सेवाओं में प्रयोग करने या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के बजाय किराये की आय अर्जित करने अथवा पूँजी की वृद्धि के लिए अथवा दोनों के लिए धारित है।

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के अंदर परिपक्व होनेवाले निवेश तथा तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के अंदर निपटान करने के विशिष्ट उद्देश्य से किये गये निवेश अल्पावधि निवेशों के रूप में वर्गीकृत किये जाएँगे।

(च) समय-समय पर यथासंशोधित निवेश विनियम देखे जाएँ।

(छ) सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों को छोड़कर कंपनी के अन्य निवेशों की समग्र राशि तथा उनके बाजार मूल्य का भी प्रकटीकरण नीचे विनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा।

<u>सूचीबद्ध ईक्विटी प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नी लिखतों को छोड़कर अन्य निवेशों का समग्र मूल्य</u>

(राशि लाख रु. में)

विवरण	**शेयरधारक**		**पालिसीधारक**		**कुल**	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
दीर्घावधि निवेश:						
बही मूल्य						
बाजार मूल्य						
अल्पावधि निवेश:						
बही मूल्य						
बाजार मूल्य						

अनुसूची 9			
ऋण	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	**प्रतिभूति-वार वर्गीकरण**		
	जमानती		
	(क) संपत्ति के बंधक पर		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) शेयरों, बांडों, सरकारी प्रतिभूतियों पर		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	अरक्षित		
	कुल		
2	**उधारकर्ता-वार वर्गीकरण**		
	(क) केन्द्र और राज्य सरकारें		
	(ख) बैंक और वित्तीय संस्थाएँ		
	(ग) सहायक संस्थाएँ		
	(घ) औद्योगिक उपक्रम		
	(ङ) कंपनियाँ		
	(च) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
3	**कार्यनिष्पादन-वार वर्गीकरण**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	(ख) प्रावधान घटाकर अनर्जक ऋण		
	(कक) भारत में		
	(खख) भारत के बाहर		
	कुल		
4	**परिपक्वता-वार वर्गीकरण**		
	(क) अल्पावधि		
	(ख) दीर्घावधि		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

(क) अल्पावधि ऋणों में ऐसे ऋण शामिल होंगे, जो तुलन-पत्र की तारीख से 12 महीने के अंदर चुकौतीयोग्य हैं। दीर्घावधि ऋण अल्पावधि ऋणों को छोड़कर अन्य प्रकार के ऋण हैं।

(ख) सभी दीर्घावधि जमानती ऋणों के मामले में जमानत का स्वरूप प्रत्येक मामले में विनिर्दष्ट किया जाएगा। इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए जमानती ऋणों से अभिप्रेत हैं, वे ऋण जो पूर्णतः या अंशतः कंपनी की किसी परिसंपत्ति के आधार पर जमानती हैं।

(ग) संदिग्ध माने गये ऋण और ऐसे ऋणों के लिए निर्मित प्रावधान की राशि का प्रकटीकरण किया जाएगा।

(घ) अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान निम्नानुसार दर्शाये जाएँगेः

अनर्जक ऋणों के लिए प्रावधान (राशि लाख रु. में)			
	अनर्जक ऋण	**ऋण की राशि**	**प्रावधान**
	अवमानक (सब-स्टैंडर्ड)		
	संदिग्ध		
	हानि		
	कुल		

अनुसूची 10										
अचल आस्तियाँ	**(राशि लाख रु. में)**									
विवरण	**लागत/सकल खंड (ग्रास ब्लाक)**				**मूल्यह्रास**				**निवल ब्लाक**	
	प्रारंभिक	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतिम	पिछले वर्ष तक	किस अवधि के लिए	विक्रय/ समायोजन पर	अब तक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सद्भाव										
अमूर्त (विनिर्दिष्ट करें)										
भूमि - पूर्ण स्वामित्व वाली										
पट्टाधृत संपत्ति										
भवन										
फर्निचर और फिटिंग										
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर										
वाहन										
कार्यालय उपस्कर										
अन्य (स्वरूप विनिर्दिष्ट करें)										
कुल										
चालू कार्य										
कुल जोड़										
पिछले वर्ष										

टिप्पणीः (क) ऊपर भूमि, संपत्ति और भवन में शामिल की गई आस्तियों में अनुसूची 8 निवेश अनुसूची की टिप्पणी (घ) में परिभाषित रूप में निवेश संपत्तियाँ शामिल नहीं हैं।

अनुसूची 11			
नकदी और बैंक शेष		**(राशि लाख रु. में)**	
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	नकदी (चेकों*, ड्राफ्टों और स्टांपों सहित)		
2	बैंक शेष		
	(क) जमा खाते		
	(कक) अल्पावधि (12 महीने के अंदर प्राप्य)		
	(खख) अन्य		
	(ख) चालू खाते		
	(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
3	माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	(क) बैंकों के पास		
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास		
4	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		
	ऊपर 2 और 3 में शामिल किये गये गैर- अनुसूचित बैंकों के पास शेष		
	नकदी और बैंक शेष		
	भारत में		
	भारत के बाहर		

*हाथ में चेक रु._____ (लाख में) के हैं। पिछले वर्षः रु._____ (लाख में)

टिप्पणीः

(1) बैंक शेष में मार्गस्थ विप्रेषण शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा है, तो स्वरूप और राशि अलग से बताई जानी चाहिए।

अनुसूची 12			
अग्रिम और अन्य आस्तियाँ		**(राशि लाख रु. में)**	
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
	अग्रिम		
1	अध्यर्पण करनेवाली कंपनियों के पास आरक्षित जमाराशियाँ		
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि		
3	पूर्व भुगतान		
4	निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम		
5	अदा किया गया अग्रिम कर तथा स्रोत पर काटे गये कर (कराधान के लिए प्रावधान को घटाकर)		
6	वस्तु और सेवा कर जमा		
7	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (i) _____ (ii) _____		
	कुल (क)		
	अन्य आस्तियाँ		
1	निवेशों पर उपचित आय		
2	बकाया प्रीमियम		
	घटाएँ : संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधान, यदि कोई हो		
3	एजेंटों के शेष		
4	विदेशी एजेंसियों के शेष		
5	बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्य (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)		

	घटाएँ : संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधान, यदि कोई हो		
6	सहायक/धारित से प्राप्य राशि		
7	पालिसीधारकों की अदावी राशि के लिए धारित निवेश		
8	पालिसीधारकों की अदावी राशि के लिए धारित निवेशों पर ब्याज		
9	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (i)_____ (ii)_____		
10	प्रधान कार्यालय का चालू खाता*		
	कुल (ख)		
	कुल (क+ख)		

*केवल विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया के मामले में

टिप्पणियाँ :

(क) ऊपर के शीर्षों के अंतर्गत मदें संदिग्ध राशियों के लिए प्रावधानों को घटाकर नहीं दिखाई जाएँगी। प्रत्येक शीर्ष के लिए प्रावधान की राशि अलग से दिखाई जानी चाहिए।

(ख) शब्द `अधिकारी' कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दिये गये रूप में उस शब्द की परिभाषा के अनुरूप होना चाहिए।

अनुसूची 13			
चालू देयताएँ	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	एजेंटों की शेष राशियाँ		
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष राशियाँ		
3	अध्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमाराशियाँ		
4	अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम		
	(क) दीर्घावधि पालिसियों के लिए(क)		
	(ख) अन्य पालिसियों के लिए		
5	अनाबंटित प्रीमियम		
6	विविध लेनदार		
7	सहायक कंपनियों/धारित कंपनी को देय		
8	बकाया दावे		
9	अधिकारियों/निदेशकों को देय		
10	पालिसीधारकों की अदावी राशि		
11	अदावी राशियों पर उपचित ब्याज		
12	डिबेंचरों/बांडों पर देय ब्याज		
13	वस्तु और सेवा कर देयताएँ		
14	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (i)_____ (ii)_____		
15	प्रधान कार्यालय का चालू खाता*		
	कुल		

*केवल विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया के मामले में

टिप्पणीः

(क) दीर्घावधि पालिसियाँ वे पालिसियाँ हैं जो एक वर्ष से अधिक अवधि की हैं।

(ख) अदावी राशियों और निवेश आय का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिएः

अदावी राशियों और उनपर निवेश आय का विवरण **(राशि लाख रु. में)**		
विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
प्रारंभिक शेष		
जोड़ें : अदावी राशि में अंतरित की गई राशि		

जोड़ें : अदावी राशि में से जारी किये गये परंतु पालिसीधारकों के द्वारा नहीं भुनाये गये चेक (केवल तभी शामिल करें जब चेक पुराने हो गये हों)		
जोड़ें : निवेश आय		
घटाएँ : वर्ष के दौरान अदा की गई राशि		
घटाएँ : एससीडब्ल्यूएफ में अंतरित		
अदावी राशि का अंतिम शेष		

अनुसूची 14			
प्रावधान	**(राशि लाख रु. में)**		
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	अनर्जित आरक्षित प्रीमियम के लिए आरक्षित निधि		
2	प्रीमियम कमी के लिए आरक्षित निधि		
3	कराधान के लिए (अदा किये गये अग्रिम कर और स्रोत पर काटे गये करों को घटाकर)		
4	कर्मचारियों के लाभों के लिए		
5	अन्य (विनिर्दिष्ट करें) (क) _____ (ख)_____		
	कुल		

अनुसूची 15			
विविध व्यय **(अपलिखित या समायोजित न करने की सीमा तक)**			**(राशि लाख रु. में)**
	विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1	शेयरों/डिबेंचरों के निर्गम में दी गई छूट		
2	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणियाँ :

(क) किसी भी मद को शीर्ष "विविध व्यय" के अंतर्गत तब तक शामिल न किया जाए और आगे न ले जाया जाए जब तकः

1. भविष्य में उक्त व्यय से कुछ लाभ प्राप्त करने की प्रत्याशा उचित रूप से नहीं की जा सकती, तथा
2. ऐसे लाभ की राशि का उचित रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता।

(ख) शीर्ष "विविध व्यय" के अंतर्गत शामिल की गई किसी भी मद के संबंध में आगे ले जाई गई राशि उक्त व्यय से संबंधित प्रत्याशित भावी राजस्व/अन्य लाभों से अधिक नहीं होगी।

भाग III: लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

प्रत्येक बीमाकर्ता के वित्तीय विवरणों के संबंध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट यहाँ इस भाग में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित होगाः

1.

(1) कि उन्होंने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो, उनकी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनकी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे तथा क्या उन्होंने उन्हें संतोषजनक पाया है;

(2) क्या बीमाकर्ता द्वारा उचित लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया गया है जहाँ तक उनकी बहियों की जाँच से प्रतीत होता है;

(3) क्या शाखाओं से और अन्य कार्यालयों से लेखा-परीक्षित की गई या न की गई उचित विवरणियाँ प्राप्त की गई हैं और क्या वे लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त थीं;

(4) क्या रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा, लेखा-बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं;

(5) क्या देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक के द्वारा इस आशय के साथ विधिवत् प्रमाणित है कि ऐसे मूल्यांकन के लिए धारणाएँ जारी किये गये दिशानिर्देशों और मानदंडों, यदि कोई हों, के अनुसार है;

2. लेखा-परीक्षक निम्नलिखित के संबंध में अपनी राय व्यक्त करेंगेः

(1)

(i) क्या तुलन-पत्र वित्तीय वर्ष/अवधि के अंत में विद्यमान स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता के कार्यों का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है;

(ii) क्या राजस्व लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए अधिशेष या कमी का एक सही और उचित चित्र देता है;

(iii) क्या लाभ और हानि लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए लाभ या हानि का एक सही और उचित चित्र देता है;

(iv) क्या प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्तीय वर्ष/अवधि के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का एक सही और उचित चित्र देता है;

(2) ऊपर (क) पर बताये गये वित्तीय विवरण लागू होने की सीमा तक और अपेक्षित तरीके से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किये गये हैं।

(3) निवेशों का मूल्यांकन अधिनियम और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(4) बीमाकर्ता द्वारा चयन की गई लेखांकन नीतियाँ उपयुक्त हैं तथा प्रयोज्य लेखांकन मानकों एवं इन विनियमों में या इस आशय के लिए जारी किये गये किसी अन्य आदेश या निदेश के द्वारा यथानिर्धारित लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।

3. लेखा-परीक्षक यह भी प्रमाणित करेंगे किः

(1) उन्होंने प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा कोई सुस्पष्ट त्रुटि अथवा वित्तीय विवरणों के साथ कोई ठोस असंगति नहीं है;

(2) बीमाकर्ता ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण की शर्तों और निबंधनों का अनुपालन किया है।

4. लेखा-परीक्षकों के द्वारा यह प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र [जो तुलन-पत्र के संबंध में दिये जाने के लिए विधि के द्वारा अपेक्षित किसी भी अन्य प्रमाणपत्र के अतिरिक्त होगा] कि-

(1) उन्होंने बीमाकर्ता के ऋणों, प्रतिवर्तनों और जीवन हितों (जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में) और निवेशों से संबंधित नकदी शेषों और प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है;

(2) किस सीमा, यदि कोई हो, तक उन्होंने एक न्यासी के रूप में बीमाकर्ता द्वारा किये गये किन्हीं न्यासों से संबंधित निवेशों और लेनदेनों का सत्यापन किया है; तथा

(3) पालिसीधारकों की निधियों की आस्तियों का किसी भी भाग का उपयोग पालिसीधारकों की निधियों के विनियोग और निवेशों से संबंधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया गया है।

अनुसूची III – निवेश कार्य

आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश) विनियम, 2024 का विनियम 6(3)

भाग-1

1. परिभाषाएँ :

(1) **"अनुमोदित निवेश"** से आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश) विनियम, 2024 की अनुसूची III के खंड 2(1) और 2(2) के अनुसार किये गये निवेश अभिप्रेत हैं।

(2) "आस्तियाँ" से अधिनियम की धारा 31 के उपबंधों के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा धारित, भारत में आस्तियाँ अभिप्रेत हैं।

(3) **"वित्तीय व्युत्पन्नियाँ"** से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कग) के अंतर्गत यथापरिभाषित व्युत्पन्नी अभिप्रेत है, तथा इसमें वह संविदा शामिल है जो अपना मूल्य अंतर्निहित कर्ज प्रतिभूतियों की ब्याज दरों तथा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जानेवाली ऐसी अन्य व्युत्पन्नी संविदाओं से व्युत्पन्न करती है।

(4) **"समूह"** से दो या उससे अधिक व्यक्ति, व्यक्तियों, फर्मों, न्यासों, न्यासियों अथवा निगमित निकायों का संघ, या उनका कोई संगठन अभिप्रेत है जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में लेखांकन मानक (एएस) में यथापरिभाषित किसी सहयोगी, निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेखनीय प्रभाव और/या नियंत्रण का प्रयोग अथवा सामान्य ब्रैंड नामों का उपयोग करता है अथवा प्रयोग करने का स्थिति में स्थापित है।

स्पष्टीकरणः उल्लेखनीय प्रभाव और / या नियंत्रण के अन्य मानदंडों के साथ संयोजन में सामान्य ब्रैंड नामों के उपयोग की गणना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समूह का भाग बनने के रूप में समावेशन या अन्यथा के लिए निर्धारण करने के लिए की जाएगी।

(5) **"आवास वित्त कंपनी"** का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसके लिए निर्धारित रूप में होगा।

(6) **"बुनियादी संरचना सुविधा"** से समय-समय पर यथासंशोधित आर्थिक कार्य विभाग की सरकारी अधिसूचना दिनांक 11 अक्तूबर 2022 के अनुसार `बुनियादी संरचना के उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची' अभिप्रेत है।

(7) **"निवेश आस्तियाँ"** से निम्नलिखित में से किये गये सभी निवेश अभिप्रेत हैं :

(i) जीवन बीमाकर्ता के मामले में

(क) शेयरधारकों की निधियाँ जो शोधन-क्षमता मार्जिन, यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय की गैर-यूनिट आरक्षित निधियों, पालिसीधारकों की सहभागी और लाभरहित निधियों, एक वर्षीय नवीकरणयोग्य विशुद्ध सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए) सहित उनके रखाव मूल्य पर परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियों को निरूपित करती हैं;

(ख) उनके रखाव मूल्य पर परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियों सहित पेंशन, वार्षिकी व्यवसाय और सामूहिक व्यवसाय की पालिसीधारकों की निधियाँ;

(ग) समय-समय पर इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार उनके बाजार मूल्य पर परिवर्ती बीमा उत्पादों की निधियों सहित यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय की पालिसीधारकों की यूनिट आरक्षित निधियाँ;

(ii) पुनर्बीमा व्यवसाय या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई विदेशी कंपनी की शाखा के मामले में उनके प्रधान कार्यालय खाते में अनुरक्षित निधियाँ, इन विनियमों के अनुसार तैयार किये गये तुलन-पत्र में दर्शाये गये रूप में उनके रखाव मूल्य पर शोधन-क्षमता मार्जिन को निरूपित करनेवाली शेयरधारकों की निधियाँ और पालिसीधारकों की निधियाँ

(8) **मुद्रा बाजार लिखत**

मुद्रा बाजार लिखतों में निम्नलिखित लिखतों से युक्त एक वर्ष से अनधिक परिपक्वता अवधि वाले अल्पावधि लिखत होते हैं :

(i) सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग दिया गया जमा प्रमाणपत्र;
(ii) सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग दिया गया वाणिज्यिक पत्र;
(iii) प्रतिवर्ती रेपो;
(iv) खजाना बिल (नकदी प्रबंध बिलों सहित);
(v) माँग, सूचना, मीयादी मुद्रा;

(vi) त्रि-पाक्षिक रेपो (टीआरईपीएस);
(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य लिखत;

(9) **"पालिसीधारकों की निधियाँ"** से तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार (1) उपगत परंतु सूचित न किये गये (आईबीएनआर) तथा उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये (आईबीएनईआर) सहित बकाया दावों के लिए अनुमानित देयता, (2) असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि (यूआरआर) (3) आपात आरक्षित निधि (4) प्रीमियम कमी (5) अन्य आस्तियों को घटाकर अन्य देयताएँ का कुल जोड़ अभिप्रेत है।

टिप्पणीः अन्य देयताओं में शामिल हैं (i) अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम (ii) अनाबंटित प्रीमियम (iii) अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष (iv) अन्य पक्ष समूह के सदस्यों को देय राशियाँ (आईएमटीपीआईपी), यदि लागू हो (v) विविध लेनदार (पालिसीधारकों को देय);

(10) **"शेयरधारकों की निधियाँ"** से तुलन-पत्र की तारीख को अपलिखित न किये गये व्यय की सीमा तक संचित हानियों और विविध व्यय को घटाकर शेयर पूँजी और (प्लस) आरक्षित निधियाँ और अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि और उचित मूल्य परिवर्तन खाते को छोड़कर), जो शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक व्यवसाय में धारित निधियों के निवेशों के दवारा निरूपित हैं, अभिप्रेत हैं।

टिप्पणीः अन्य आस्तियों में शामिल हैं (i) बकाया प्रीमियम (ii) पुनर्बीमाकर्ताओं सहित बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्य राशियाँ (iii) आतंकवाद समूह के पास शेष (यदि लागू हो) (iv) मोटर अन्य पक्ष समूह के पास शेष यदि कोई हो (यदि लागू हो)।

भाग II

2. अनुमोदित निवेश

(1) कोई भी बीमाकर्ता धारा 27ए के अंतर्गत यथापरिभाषित रूप में अपनी नियंत्रण निधि के किसी भाग / अधिनियम की धारा 27ई के साथ पठित अधिनियम की धारा 27(2) के अंतर्गत यथापरिभाषित आस्तियों का निवेश समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(3) के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य प्रकार से तथा निम्नलिखित में से किन्हीं **अनुमोदित निवेशों** में, निवेश नहीं करेगा अथवा निवेशित रूप में नहीं रखेगा, अर्थात् :

(i) किसी ऐसी कंपनी की किसी अचल संपत्ति, संयंत्र या उपस्कर पर प्रथम ऋण-भार द्वारा रक्षित डिबेंचर, जिसने तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए अथवा तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों के लिए किसी कंपनी के द्वारा जारी किये गये ऐसे या इसी प्रकार के डिबेंचरों पर ब्याज का पूर्णतः भुगतान किया हो;

(ii) किसी कंपनी की किसी अचल संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर पर प्रथम प्रभार द्वारा रक्षित डिबेंचर जहाँ ऐसी संपत्ति, संयंत्र या उपस्कर का बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, ऐसे डिबेंचरों के मूल्य से तीन गुना अधिक है;

(iii) ऐसी किसी कंपनी की सभी आस्तियों पर चल प्रभार (फ्लोटिंग चार्ज) द्वारा रक्षित प्रथम डिबेंचर, जिसने तत्काल पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के लिए अथवा तत्काल पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम पाँच वर्षों के लिए अपने ईक्विटी शेयरों पर लाभांश अदा किये हों;

(iv) किसी कंपनी के अधिमानी शेयर जिसने तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 3 वित्तीय वर्षों के लिए अपने ईक्विटी शेयरों पर लाभांशों का भुगतान किया है;

(v) किसी सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापारित कंपनी के ईक्विटी शेयर जिनपर तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए दस प्रतिशत से अन्यून लाभांश अदा किये गये हैं;

(vi) भारत में स्थित अचल संपत्ति, बशर्ते कि उक्त संपत्ति सभी प्रकार के ऋण-भार से मुक्त है;

(vii) जीवन बीमा की पालिसियों पर उनके अभ्यर्पण मूल्य के अंदर ऋण उसके द्वारा दिये गये हों अथवा किसी ऐसे बीमाकर्ता द्वारा दिये गये हों जिसके व्यवसाय का अधिग्रहण उसने किया है तथा जिस व्यवसाय के संबंध में उसने देयता ग्रहण की है;

(viii) ऐसे बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ जिन्हें फिलहाल भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है; तथा

ऐसे अन्य निवेश जिन्हें प्राधिकरण सरकरी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अनुमोदित निवेशों के रूप में घोषित कर सकता है।

(2) इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित निवेश अनुमोदित निवेशों के रूप में माने जाएँगे

(i) खंड 3 से 8 तक के साथ दिये गये नोट के अनुसार सभी रेटिंग प्राप्त डिबेंचर (बांडों सहित) तथा अन्य रेटिंग युक्त और रक्षित कर्ज लिखत। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये ईक्विटी शेयर, अधिमानी शेयर और कर्ज लिखत – बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति दिशानिर्देशों, बेंचमार्कों और एक्सपोज़र मानदंडों, सीमाओं के अनुसार निवेश किये जाएँगे।

(ii) सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए अथवा उसके समकक्ष रेटिंग प्राप्त कंपनियों द्वारा जारी किये गये बांड और डिबेंचर तथा अल्पावधि बांड, डिबेंचर, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र जो ए1 अथवा उसके समकक्ष रेटिंग प्राप्त हों।

(iii) निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों और सीमाओं के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में फिलहाल सम्मिलित बैंकों के पास खंड 2(1)(viii) के अनुसार मीयादी जमाराशियों सहित (उदा. चालू खाते में, माँग जमाराशियाँ, सूचना पर प्रतिदेय जमाराशियाँ, जमा प्रमाणपत्र आदि) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत् इस रूप में मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यापारियों के पास जमाराशियाँ।

(iv) त्रि-पक्षीय एजेंट के पास निर्मित त्रि-पक्षीय रेपो, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित है तथा इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये म्युचुअल फंड दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित निवेशों का भाग बननेवाली गिल्ट, जी.सेक, ओवरनाइट, अल्ट्रा-अल्पावधि और तरल म्युचुअल फंड को एक्सपोज़र तथा मुद्रा बाजार लिखत/निवेश।

(v) अंतर्निहित आवास ऋणों से युक्त आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) अथवा समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश) विनियम, 2024 के विनियम 6(3) की अनुसूची III के खंड 1(6) में "बुनियादी संरचना सुविधा" के अंतर्गत यथापरिभाषित अंतर्निहित रूप में बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त हैं।

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त, सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दवारा ए1 क्रेडिट रेटिंग प्राप्त, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र।

(vii) अनुमोदित निवेशों के उपबंधों के अधीन, आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश) विनियम, 2024 की अनुसूची III के खंड 1(8) में यथापरिभाषित मुद्रा बाजार लिखत।

स्पष्टीकरणः खंड 3 से 8 तक के साथ दिये गये `नोट' में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(3) बीमाकर्ता का बोर्ड, अधिनियम की धारा 27ए(2)(ii) के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए निवेश समिति को पहले से किये गये निवेशों के लिए और अनुमोदित निवेश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार से नियंत्रित निधि / आस्तियों से ऐसे निवेश जारी रखने के लिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में एए से कम रेटिंग से युक्त और अनुमोदित निवेश का भाग बननेवाले निवेशों के लिए प्रत्यायोजन कर सकता है। उक्त निवेश समिति निवेशों की अनर्जक आस्तियों के विवरण, विश्लेषण और तिमाही आवधिकता के साथ उनकी समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। बीमाकर्ता प्राधिकरण को इस उपबंध का अनुपालन फार्म 4 में सूचित करेगा।

(4) जब तक प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति नहीं दी जाती, तब तक भारत में कंपनियों से संबंधित विधियों के अधीन न बनी हुई किसी संस्था में तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन अथवा पूर्व के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन बनी हुई कंपनी में कोई निवेश नहीं किया जाएगा।

3. निवशों का विनियमन – जीवन बीमाकर्ताः

जीवन बीमाकर्ता इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, नियंत्रित निधि का भाग बननेवाली निवेश आस्तियों का निम्नानुसार निवेश करेगा और हर समय उन्हें निवेशित रूप में बनाये रखेगाः

(1) जीवन बीमा व्यवसाय की सभी निधियाँ (शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक धारित, एक अलग अभिरक्षा खाते में रखी हुई, शेयरधारकों की निधियों को छोड़कर) और एक वर्षीय नवीकरणयोग्य विशुद्ध सामूहिक सावधि बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए) तथा खंड 4 के अनुसार, यूनिट सहबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय की सभी श्रेणियों की गैर-यूनिट आरक्षित निधियाँ;
(2) खंड 5 के अनुसार, पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय की सभी निधियाँ; तथा
(3) खंड 6 के अनुसार, यूनिट सहबद्ध निधियों की सभी श्रेणियों का यूनिट आरक्षित निधि भाग।

4. अधिनियम की धाराओं 10 (2एए), 27 या 27ए तथा इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, जीवन बीमा का व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता खंड 3(1) में यथापरिभाषित (पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय एवं यूनिट सहबद्ध व्यवसाय की सभी श्रेणियों की यूनिट आरक्षित निधियों को छोड़कर अन्य निधियाँ) अपनी निवेश आस्तियों का निवेश निम्नलिखित तरीके से करेगा और हर समय उन्हें निवेशित स्थिति में रखेगाः

सं.	निवेश का प्रकार	खंड 3(1) के अंतर्गत विद्यमान रूप में निधियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	25% से अन्यून
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	50% से अन्यून(उपर्युक्त (i) सहित)
(iii)	इन विनियमों के खंड 2(1) और (2) में विनिर्दिष्ट रूप में अनुमोदित निवेश और अधिनियम की धारा 27ए(2) में विनिर्दिष्ट रूप में अन्य निवेश तथा, (सबको एकसाथ लेते हुए) खंड-8 में विनिर्दिष्ट रूप में एक्सपोज़र/ विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन।	50% से अनधिक
(iv)	अन्य निवेश अधिनियम की धारा 27ए(2) में विनिर्दिष्ट रूप में, खंड-8 में विनिर्दिष्ट रूप में एक्सपोज़र/ विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन।	15% से अनधिक
(v)	निम्नलिखित में अभिदान या उनकी खरीद के द्वारा आवास और बुनियादि संरचना में निवेशः **क. बुनियादी संरचना** (क) राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको के बांड / डिबेंचर तथा हुडको की ईक्विटी (ख) गृह-निर्माण कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विधिवत् मान्यताप्राप्त या सरकार द्वारा विधिवत् गारंटीकृत या सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा `एए' से अन्यून वर्तमान रेटिंग से युक्त आवास वित्त कंपनियों के बांड/ डिबेंचर तथा कोई सक्रिय रूप से व्यापारित आवास वित्त कंपनी के ईक्विटी शेयर जिनपर पिछले 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए दस प्रतिशत से अन्यून लाभांश दिये गये हों। (ग) समय-समय पर इन विनियमों के अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हुए, अंतर्निहित आवास ऋणों से युक्त, आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ। **ख. बुनियादी संरचना में निवेश** स्पष्टीकरणः बांडों/डिबेंचरों का अभिदान या खरीद, अंतर्निहित बुनियादी संरचना आस्तियों के साथ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ इस अपेक्षा के प्रयोजन के लिए अर्हता-प्राप्त होंगी। `बुनियादी संरचना सुविधा' का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित खंड 1(6) में दिये गये रूप मे होगा। **टिप्पणीः** ऊपर श्रेणी (i) और (ii) में किये गये निवेश आवास और बुनियादी संरचना में किये गये निवेश के रूप में माने जाएँगे, बशर्ते कि संबंधित सरकार `बुनियादी संरचना सुविधा' के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विशिष्ट रूप से ऐसी प्रतिभूति जारी करती है।	आवास और बुनियादी संरचना में कुल निवेश (अर्थात्) श्रेणियों (i), (ii), (iii) और (iv) उपर्युक्त को एकसाथ लेने पर आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश) विनियम, 2024 के अंतर्गत निधि के 15% से कम नहीं होगा।

5. अधिनियम की धाराओं 10(2एए), 27 या 27ए तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय की अपनी निवेश आस्तियों का निम्नानुसार निवेश करेगा और हर समय इन्हें निवेशित रूप में बनाये रखेगाः

सं.	निवेश का प्रकार	विनियम 36(ख) के अंतर्गत निधियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20% से अन्यून
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	40% से अन्यून (उपर्युक्त (i) सहित)
(iii)	शेष का निवेश खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र/विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, अनुमोदित निवेशों में करना चाहिए, जैसा कि खंड 2(1) और (2)में विनिर्दिष्ट किया गया है।	60% से अनधिक

टिप्पणीः इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम की धारा 27ए(2) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट `अन्य निवेश' के अंतर्गत आनेवाला कोई भी निवेश नहीं किया जाएगा।

6. यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय

(1) अधिनियम की धाराओं 10 (2एए), 27 या 27ए तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्रत्येक बीमाकर्ता यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के खंड 3(3) (अभिरक्षक स्तर पर अंतर्निहित प्रतिभूतियों सहित) के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसार अपनी वियोजित निधि(यों) का निवेश करेगा और हर समय उन्हें निवेशित स्थिति में बनाये रखेगा जहाँ यूनिटों को आस्तियों की श्रेणियों के साथ संबद्ध किया जाता है जो उत्पाद विनियमों के अनुसार दोनों विपणनयोग्य और तत्काल वसूलीयोग्य हैं।

(2) तथापि, अनुमोदित निवेशों में निवेश प्रत्येक वियोजित निधि में ऐसी निधियों के 75% से कम नहीं होगा।

(3) खंड 8 के अंतर्गत सभी विवेकपूर्ण और एक्सपोज़र मानदंड एसएफआईएन स्तर पर वैयक्तिक वियोजित निधि के स्तर पर लागू होंगे।

(4) बीमाकर्ता जारी किये गये परिपत्र / दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर पालिसीधारकों के हित के लिए अपेक्षित न्यूनतम सूचना प्रकट करेगा।

7. निवेशों का विनियमन – पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता।

अधिनियम की धाराओं 10 (2एए), 27, या 27बी तथा इन विनियमों के किसी भी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमा का व्यवसाय करनेवाला बीमाकर्ता नीचे निर्धारित तरीके से अपनी निवेश आस्तियों का निवेश करेगा और हर समय उन्हें निवेशित स्थिति में बनाया रखेगाः

सं.	निवेश का प्रकार	निवेश आस्तियों का प्रतिशत
(i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20% से अन्यून
(ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	30% से अन्यून (उपर्युक्त (i) सहित)
(iii)	खंड 8 में विनिर्दिष्ट रूप में एक्सपोज़र / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन अनुमोदित निवेश खंड 2(1) और (2) में विनिर्दिष्ट रूप में तथा अन्य निवेश धारा 27ए (2) (सबको एकसाथ लेते हुए)।	70% से अनधिक
(iv)	अन्य निवेश धारा 27ए(2) में विनिर्दिष्ट रूप में, खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सपोज़र / विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन।	15% से अनधिक
(v)	निम्नलिखित के अभिदान या क्रय के द्वारा आवास तथा आवास और अग्निशमन उपस्कर के लिए राज्य सरकार को ऋणः **क. आवास में निवेश** क. राष्ट्रीय आवास बैंक और हुडको के बांड/डिबेंचर तथा हुडको की ईक्विटी ख. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा गृहनिर्माण कार्यकलापों के लिए मान्यताप्राप्त या सरकार द्वारा विधिवत् गारंटीकृत या सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीस्) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा `एए' से अन्यून वर्तमान रेटिंग से युक्त तथा किसी सक्रिय रूप से व्यापारित आवास वित्त कंपनी/ हुडको जिस	आवास और बुनियादी संरचना में कुल निवेश (अर्थात् उपर्युक्त श्रेणियों (i), (ii), (iii) और (iv) को एकसाथ लेते हुए

	पर दस प्रतिशत से अन्यून लाभांश तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए अदा किये गये हों। ग. समय-समय पर इन विनियमों के अंतर्गत जारी किये गये दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंड पूरे करनेवाले अंतर्निहित आवास ऋणों के साथ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ। **ख. बुनियादी संरचना में निवेश** (घ) स्पष्टीकरणः बांडों/डिबेंचरों के अभिदान या खरीद, अंतर्निहित बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त ईक्विटी और आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ इस अपेक्षा के प्रयोजन के लिए अर्हता-प्राप्त होंगी। (ङ) `बुनियादी संरचना सुविदा' का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित खंड 1(6) में दिये गये रूप में होगा।  टिप्पणीः उपर्युक्त श्रेणी (i) और (ii) में किये गये निवेश आवास या बुनियादी संरचना में निवेश के रूप में माने जा सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित सरकार `बुनियादी संरचना सुविधा' के रूप में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए विशिष्ट रूप से ऐसी प्रतिभूति जारी करती है।	निवेश आस्तियों के 15% से कम नहीं होगा।

"टिप्पणी- खंड 3 से 7 तक के प्रयोजन के लिए

(I) निवेश के स्वरूप की प्रयोज्यता

निवेश का स्वरूप अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक व्यवसाय में धारित शेयरधारकों की निधियों के लिए लागू नहीं होगा, तथा शोधन-क्षमता मार्जिन के परिकलन के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसा आधिक्यः

(क) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा शोधन-क्षमता मार्जिन को निरूपित करनेवाली निधियों से आवास और बुनियादी संरचना निवेशों में निवेश का पूर्णतः अनुपालन करने के बाद बनाया जाएगा।

(ख) शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक धारित, शेयरधारकों की निधियों का ऐसा आधिक्य पहचान-योग्य स्क्रिपों के साथ एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित किया जाएगा।

(ग) ऐसे आधिक्य की निधियों का निर्धारण केवल नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित, बीमांकिक सत्यापन के बाद ही किया जाएगा तथा ऐसा मूल्यांकन प्राधिकरण के पास फाइल किया जाएगा।

(घ) तिमाहियों के बीच किया गया ऐसा अंतरण समवर्ती लेखा-परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि उपर्युक्त बिन्दु (i), (ii) और (iii) का अनुपालन किया गया है।

(ङ) `निवेशिती कंपनी', `समूह', `प्रवर्तक समूह' और `उद्योग क्षेत्र' के एक्सपोज़र मानदंड शोधन-क्षमता मार्जिन (एफआरएसएम) और अपक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन से अधिक धारित निधियों को निरूपित करनेवाली दोनों निधियों के लिए लागू होंगे।

(II) आस्तियों या लिखतों में सभी निवेश, जो बाजार व्यवहार के अनुसार रेटिंग से युक्त होने के लिए सक्षम हैं, ऐसी आस्तियों या लिखतों की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर किये जाएँगे। लिखतों में कोई अनुमोदित निवेश नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे लिखत रेटिंग किये जाने के लिए सक्षम हैं, परंतु उनकी रेटिंग नहीं की गई है।

(III) रेटिंग सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा की जानी चाहिये।

(IV) ए से अन्यून रेटिंग प्राप्त बुनियादी संरचना निवेश जो अनुमानित ईएल1 की रेटिंग से युक्त हैं, अनुमोदित निवेश के रूप में माने जाएँगे।

(V) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये किसी कर्ज लिखत की रेटिंग `एए' या उसके समकक्ष रेटिंग का होगा। यदि इस ग्रेड के निवेश निवेशकर्ता बीमा कंपनी की अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, तथा निवेशक बीमा कंपनी की निवेश समिति इसके बारे में पूर्णतः संतुष्ट है, तो निवेश समिति के कार्यवृत्त में लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से, निवेश समिति सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा `ए+' से अन्यून या उसके समकक्ष रूप में दी गई वर्तमान रेटिंग को वहन करनेवाले लिखतों में निवेशों का अनुमोदन कर सकता है क्योंकि इन्हें `अनुमोदित निवेश' के रूप में माना जाएगा।

(VI) खंड 4,5,6 और 7 के अंतर्गत अनुमोदित निवेश, जिनका ग्रेड निर्धारित न्यूनतम रेटिंग से नीचे कर दिया गया है अथवा जो लाभांश मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, स्वयमेव `अन्य निवेश' के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किये जाने चाहिए तथा विशिष्ट रूप से एक ऐसी श्रेणी में अभिनिर्धारित किये जाने चाहिए जिसका मूल्यांकन निवेश के स्वरूप के प्रयोजन के लिए तिमाही आधार पर बाजार भाव (मार्क टू मार्केट) पर किया जाएगा।

(VII) (क) जीवन बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में 75 प्रतिशत से अन्यून निवेश तथा पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) का 65 प्रतिशत से अन्यून निवेश – दीर्घावधि लिखतों के लिए सरकारी (सावरिन) कर्ज, एएए रेटिंग या उसके समकक्ष रेटिंग से युक्त तथा अल्पावधि लिखतों के लिए सरकारी (सावरिन) कर्ज, ए1+ या उसके समकक्ष रेटिंग युक्त रूप में होगा। यह यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के मामले में वियोजित निधि(यों) के लिए लागू होगा।

टिप्पणीः जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में निवेश के 75 प्रतिशत तथा पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश के 65 प्रतिशत का परिकलन करने में `कर्ज' लिखतों में निवेश, अंतर्निहित क) कारपोरेट बांड से युक्त रिवर्स रेपो, ख) बैंक मीयादी जमाराशि ग) प्रवर्तक समूह म्युचुअल फंड और रेटिंग रहित म्युचुअल फंड (फंडों) में निवेश को दोनों न्यूमरेटर और डिनामिनेटर के रूप में नहीं माना जाएगा।

(क) जीवन बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ) में खंड 3(1) और खंड 3(3) के अंतर्गत निधियों के 5 प्रतिशत से अनधिक तथा पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में कर्ज लिखतों (केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों सहित) में निवेश के 8 प्रतिशत से अनधिक के लिए दीर्घावधि के लिए ए या उससे कम अथवा उसके समकक्ष रेटिंग होगी।

(ख) खंड 3(2) के अंतर्गत निधियों से कोई निवेश अन्य निवेशों में नहीं किया जा सकता।

(ग) दीर्घावधि के लिए एए – (एए माइनस) या उससे कम रेटिंग प्राप्त कर्ज लिखतों में निवेश तथा अल्पावधि कर्ज लिखतों के लिए ए1 से नीचे या उसके समकक्ष और ए से नीचे या ईएल1 कि रेटिंग से युक्त बुनियादी संरचना कर्ज लिखत अन्य निवेशों का भाग बनेंगे।

(VIII) उपर्युक्त के बावजूद, इस बात पर बल दिया जाता है कि रेटिंग द्वारा बीमाकर्ता की ओर से उपयुक्त जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन का स्थान नहीं लिया जाना चाहिए। बीमाकर्ता को चाहिए कि वह जोखिम विश्लेषण का संचालन उत्पाद(दों) की जटिलता और उनकी धारिता के महत्व के अनुरूप करे अथवा ऐसे निवेशों से वह दूर भी रह सकता है।

8. एक्सपोज़र/विवेकपूर्ण मानदंडः

अधिनियम की धाराओं 10(2एए), 27, 27ए, 27बी और 27सी में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्रत्येक बीमाकर्ता निम्नलिखित एक्सपोज़र मानदंडों के अनुसार नियंत्रित निधियों / सभी आस्तियों के अपने निवेशों को सीमित करेगाः

(1) निम्नलिखित के लिए एक्सपोज़र मानदंडः

(i) जीवन बीमा व्यवसायः

(क) जीवन बीमा व्यवसाय की सभी निधियाँ और एक वर्षीय नवीकरणयोग्य विशुद्ध सामूहिक मीयादी बीमा व्यवसाय (ओवाईआरजीटीए) तथा यूनिट सहबद्ध जीवन बीमा व्यवसाय की सभी श्रेणियों की गैर-यूनिट आरक्षित निधियाँ;
(ख) खंड 5 के अनुसार पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय की सभी निधियाँ; तथा
(ग) खंड 6 के अनुसार यूनिट सहबद्ध निधियों, जीवन, पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक व्यवसाय तथा यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय (प्रवर्तक समूह एक्सपोज़र को छोड़कर) के अंदर प्रत्येक वियोजित निधि की सभी श्रेणियों का यूनिट आरक्षित निधियों का अंश।

(ii) साधारण बीमा व्यवसाय

(iii) पुनर्बीमा व्यवसाय

(iv) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

खंड 2(1) और 2(2) के अनुसार दोनों अनुमोदित लिखतों और धारा 27ए(2) के अंतर्गत अनुमत रूप में अन्य निवेश निम्नानुसार होंगे।

(2) ऊपर उल्लिखित (1-ii), (1-iii) और (1-iv), (बिन्दु (1(i)(क), 1((i)(ख), 1(i)(ग) को एकसाथ लेते हुए) सभी निवेश आस्तियों से एक एकल `निवेशिती' कंपनी (ईक्वीटी, कर्ज और अन्य निवेशों को एकसाथ लेते हुए) के लिए अधिकतम एक्सपोज़र सीमा निम्नलिखित में से निम्नतर से अधिक नहीं होगीः

(क) खंड 1(7) (i)(ग) को छोड़कर, खंड 1(7) के अंतर्गत निवेश आस्तियों के उचित मूल्य परिवर्तन को छोड़कर खंड 1(7)(i), खंड 1(7)(ii) के अंतर्गत निवेश आस्तियों के 10 प्रतिशत की राशि।

(ख) **निम्नलिखित सारणी** के बिन्दु (क) और (ख) के अंतर्गत परिकलित रूप में संकलित राशि।

निवेश का प्रकार	**`निवेशिती' कंपनी के लिए सीमा**	**निवेशिती कंपनी के समूचे समूह के लिए सीमा**	**उस उद्योग क्षेत्र के लिए सीमा जिससे निवेशिती कंपनी संबंधित है**
(1)	(2)	(3)	(4)
क. `ईक्विटी', अधिमानी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत* **या** उपर्युक्त 1(i)(क) या 1(i)(ख) या 1(i)(ग) [वियोजित निधि] जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में अलग से माना गया/ पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में 1(i) या 1(iii) या 1(iv) के अंतर्गत राशि **जो भी कम हो**	बिन्दु 1(i)(क) या 1(i)(ख) या 1(i)(ग) या 1(ii) या 1(iii) या 1(iv) के अंतर्गत राशि के 15 प्रतिशत से अनधिक प्रवर्तक समूह से संबंधित कंपनियों में किये गये निवेशों के लिए एक्सपोज़र खंड 8 की टिप्पणी के अंतर्गत बिन्दु (VII) के अनुसार किया जाएगा।	किसी औद्योगिक क्षेत्र में बीमाकर्ता द्वारा निवेश बिंदु 1(i)(क) या 1(i)(ख) या 1(i)(ग) या 1(ii) या 1(iii) या 1(iv) के अंतर्गत राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। **टिप्पणीः** सभी क्षेत्रों के लिए, **आवास और बुनियादी संरचना क्षेत्र को छोड़कर** औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (सभी आर्थिक कार्यकलाप) – 2008 [एनआईसी] के अनुरूप किया जाएगा। एक्सपोज़र का परिकलन ए से आर तक **मंडल** (डिविजन) के स्तर पर किया जाएगा। **वित्तीय और बीमा कार्यकलापों** के क्षेत्र के लिए एक्सपोजर का परिकलन **अनुभाग स्तर** पर किया जाएगा।
ख. कर्ज (सीपी सहित) / ऋणों और किसी अन्य अनुमत निवेशों में निवेश अधिनियम/उपर्युक्त मद `क' को छोड़कर विनियम के अनुसार।	प्रदत्त शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत* , निर्बंध आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा `निवेशिती' कंपनी के डिबेंचर/बांड (सीपी सहित) **या** जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में अलग से माने गये रूप में उपर्युक्त 1(i)(क) या 1(i)(ख) या 1(i)(ग) [वियोजित निधि] के अंतर्गत राशि का 10 प्रतिशत/ पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में 1(ii) या 1(iii) या 1(iv) के अंतर्गत राशि **जो भी कम हो।**		`बुनियादी संरचना' में निवेश नीचे उल्लिखित टिप्पणी: I, II, III और IV के अधीन हैं।

*नीचे उल्लिखित आकार के अंतर्गत खंड 1(7)(i) और 1(7)(ii) के आशय के अंदर निवेश आस्तियों से युक्त बीमाकर्ताओं के मामले में, इन विनियमों के अंतर्गत ईक्विटी, अधिमानी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, कर्ज, ऋणों या किसी अन्य अनुमति-प्राप्त निवेश में निवेश के लिए उपर्युक्त सारणी में (*) चिह्नित सीमा निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएगीः

निवेश आस्तियाँ	**`निवेशिती' कंपनी के लिए सीमा**

	ईक्विटी	कर्ज
रु.2,50,000 करोड़ या उससे अधिक	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 15 प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों/बांडों का 15 प्रतिशत
रु.50,000 करोड़ परंतु रु.2,50,000 करोड़ से कम	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 12 प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों/बांडों का 12 प्रतिशत
रु.50,000 करोड़ से कम	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों/बांडों का 10 प्रतिशत

टिप्पणीः

(I) औद्योगिक क्षेत्र मानदंड निम्नलिखित में किये गये निवेशों के लिए लागू नहीं होंगेः

(i) समय-समय पर यथासंशोधित इन विनियमों की अनुसूची III के खंड 1(6) के अंतर्गत यथापरिभाषित `बुनियादी संरचना' क्षेत्र। एनआईसी वर्गीकरण `बुनियादी संरचना सुविधा' में किये गये निवेशों के लिए लागू नहीं होगा।

(ii) `आवास क्षेत्र'। एनआईसी वर्गीकरण `आवास क्षेत्र' में किये गये निवेशों के लिए लागू नहीं होगा।

(II) आईडीएफ-एनबीएफसीएस (बुनियादी संरचना कर्ज निधि) में किये गये निवेशों की गणना निम्नलिखित शर्तों के अधीन बुनियादी संरचना में निवेशों के लिए की जाएगीः

(i) आईडीएफ-एनबीएफसी भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत है।

(ii) कर्ज प्रतिभूतियों की अवशिष्ट कालावधि 5 वर्ष से अन्यून अवधि की होगी (निवेश के समय)

(iii) सेबी के पास पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा एए अथवा उसके समकक्ष की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग अनुमोदित निवेशों के लिए पात्र होगी।

(iv) आईडीएफ-एनबीएफसी में निवेशों के लिए एक्सपोज़र सीमाएँ नीचे के नोट (III) के अनुसार हैं।

(III) किसी सार्वजनिक लिमिटेड `बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी' में एक्सपोज़र निम्नानुसार होगाः

(i) ईक्विटी के मामले में, प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी का 20 प्रतिशत (या)

(ii) कर्ज के मामले में, प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी और (प्लस) निर्बंध आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) और (प्लस) डिबेंचर/बांड एकसाथ लेते हुए, का 20 प्रतिशत (या)

(iii) खंड 8(2)(क) के अंतर्गत राशि, जो भी **कम** हो।

(iv) ऊपर उल्लिखित 20 प्रतिशत को, बीमाकर्ता के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, केवल **कर्ज** लिखतों के मामले में अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक आगे और बढ़ाया जा सकता है।

(v) इस विनियम में ऊपर की सारणी में निर्धारित एक्सपोज़र से अधिक, किसी बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी में कर्ज लिखतों में बकाया अवधि, निवेश के समय 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(vi) ईक्विटी निवेश के मामले में, किसी कारपोरेट/पीएसयू की पूर्णतः स्वामित्व प्राप्त सहायक संस्था के प्राथमिक निर्गम की स्थिति में, इन विनियमों के अनुसार लाभांश का पिछला रिकार्ड धारक कंपनी पर लागू होगा।

(vii) `बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी' में किये गये सभी निवेश सामूहिक/प्रवर्तक सामूहिक एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन होंगे।

(IV) बीमाकर्ता निवेश करते समय, सामूहिक/प्रवर्तक सामूहिक एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन, बुनियादी संरचना क्षेत्र में लगे हुए सार्वजनिक लिमिटेड विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की परियोजना लागत (एक सक्षम निकाय द्वारा यथानिर्णीत) के अधिकतम 20 प्रतिशत (या) खंड 8(2)(क) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो, का निवेश अनुमोदित निवेशों के एक भाग के रूप में कर सकता है, बशर्ते किः

(i) ऐसा निवेश कर्ज में है;

(ii) मूल कंपनी दिये गये समूचे कर्ज एवं एसपीवी के ब्याज के भुगतान की गारंटी देती है;

(iii) यदि मूल धन या ब्याज चूक की स्थिति में है तथा नियत तारीख से 90 दिन के अंदर अदा नहीं किया जाता है, तो ऐसे कर्ज को अन्य निवेशों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा;

(iv) मूल कंपनी (कंपनियों) के नवीनतम लिखत की रेटिंग एए से कम नहीं है;

(v) मूल कंपनी (कंपनियों) की दी गई ऐसी गारंटी वर्तमान गारंटियों सहित, यदि कोई हों, मूल कंपनी (कंपनियों) की निवल मालियत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(vi) यदि सूचीबद्ध नहीं हैं तो मूल कंपनी (कंपनियों) की निवल मालियत रु.500 करोड़ से कम नहीं होगी अथवा जहाँ मूल कंपनी (कंपनियाँ) राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों से युक्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है, वहाँ निवल मालियत रु. 250 करोड़ से कम नहीं होगी;

(vii) निवेश समिति को ऐसे निवेशों के जोखिम का मूल्यांकन कम से कम छमाही आवधिकता पर करना चाहिए तथा जहाँ मूल कंपनी (कंपनियाँ) एक से अधिक एसपीवी को प्रवर्तित कर रही हो, वहाँ आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करनी चाहिए;

(V) प्रतिभूतीकृत आस्तियों (बंधक समर्थित प्रतिभूतियों)(एमबीएस)/ आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस)/ प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ प्रभाव अंतरण (पास थ्रू) प्रमाणपत्रों (पीटीसी) दोनों अनुमोदित (एएए की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग के साथ) और अन्य निवेश (एएए से नीचे की क्रेडिट रेटिंग से युक्त) में निवेश जीवन बीमा कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा साधारण बीमा कंपनियों के मामले में निवेश आस्ति के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अंतर्निहित आवास या बुनियादी संरचना आस्तियों के साथ एमबीएस / एबीएस में अनुमोदित निवेश जीवन बीमा कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा साधारण बीमा कंपनियों के मामले में निवेश आस्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अंतर्निहित आवास या बुनियादी संरचना आस्तियों से युक्त कोई भी एमबीएस / एबीएस की रेटिंग, यदि एएए से नीचे या उसके समकक्ष रूप में कम की जाती है, तो अन्य निवेशों के रूप में उसका पुनःवर्गीकरण किया जाएगा।

(VI) लेखांकन मानकों के आशय के अंदर और खंड 2(1)(vi) के अंदर कवर की गई निवेश संपत्ति निवेश के समय, (क) साधारण बीमाकर्ता के मामले में निवेश आस्तियों के 5 प्रतिशत से तथा (ख) जीवन बीमाकर्ता के मामले में जीवन निधियों की निवेश आस्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। `निवेश संपत्ति' के रूप में धारित अचल संपत्ति `स्वय के उपयोग' के लिए नहीं होगी। स्वयं के उपयोग के लिए अचल संपत्ति केवल शेयरधारकों की निधियों से ही खरीदी जाएगी, तथा जारी किये गये परिपत्र/दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगी।

(VII) ऊपर की सारणी में उल्लिखित एक्सपोज़र सीमाओं के अधीन, कोई भी बीमाकर्ता प्रवर्तक समूह से संबंधित सभी कंपनियों में अपनी निवेश आस्तियों के कुल मिलाकर 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा। प्रवर्तक समूह से संबंधित सभी कंपनियों में किया गया निवेश खंड 8 की टिप्पणी XII के अंतर्गत बीमाकर्ताओं द्वारा बनाई गई कंपनियों को छोड़कर निजी स्थानन के द्वारा (बाजार कैप द्वारा शीर्षस्थ 100 सूचीबद्ध कंपनियों के क्यूआईपी और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यमों को छोड़कर) अथवा असूचीबद्ध लिखतों (ईक्विटी, कर्ज, जमा प्रमाणपत्र और किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में धारित सावधि जमाराशियाँ) में नहीं किया जाएगा;

(VIII) वित्तीय और बीमा कार्यकलापों के लिए एक्सपोज़र सीमा (समय-समय पर यथासंशोधित एनआईसी वर्गीकरण – 2008 की धारा के के अनुसार) सभी बीमाकर्ताओं के लिए निवेश आस्तियों के 30 प्रतिशत पर रहेगी। आवास वित्तपोषण कंपनियों और बुनियादी संरचना वित्तपोषण कंपनियों में निवेश (हुडको, एनएचबी के बांडों/डिबेंचरों में निवेश तथा आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किये गये एए से अन्यून रेटिंग से युक्त बांडों में निवेश, किसी सक्रिय रूप से व्यापारित आवास वित्त कंपनी के ईक्विटी शेयरों में निवेश जिनपर तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वित्तीय वर्षों में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों के लिए दस प्रतिशत से अन्यून लाभांश अदा किये गये हैं, तथा बुनियादी संरचना क्षेत्र का भाग बननेवाली समर्पित बुनियादी संरचना वित्तपोषण संस्थाओं के कर्ज, ईक्विटी में निवेश को छोड़कर) वित्तीय और बीमा कार्यकलापों में एक्सपोज़र का भाग बनेगा (एनआईसी वर्गीकरण—2008 की धारा के के अनुसार);

(IX) जहाँ कोई निवेश अंशतः प्रदत्त शेयरों में है, वहाँ ऐसे शेयरों पर माँगी न गई देयता एक्सपोज़र मानदंडों की संगणना के प्रयोजन के लिए निवेशित राशि में जोड़ी जाएगी;

(X) खंड 8(2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी कंपनी के द्वारा वर्तमान शेयरधारकों को नये शेयर जारी किये जाते हैं, जिसके वर्तमान शेयर खंड 2(1)(v) द्वारा कवर किये जाते हैं और बीमाकर्ता पहले से ही एक शेयरधारक है, वहाँ बीमाकर्ता ऐसे नये शेयरों में अभिदान कर सकता है, बशर्ते कि उसके द्वारा अभिदान किये गये नये शेयरों का अनुपात उस अनुपात से अधिक नहीं होगा जो ऐसे अभिदान से तत्काल पहले उसके द्वारा धारित शेयरों की प्रदत्त राशि ऐसे अभिदान के समय कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी को वहन करती है;

(XI) जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में किसी अनुसूचित बैंक की मीयादी जमाराशि और जमा प्रमाणपत्र में निवेश वित्तीय और बीमा कार्यकलापों में एक्सपोज़र के रूप में माना जाएगा (एनआईसी वर्गीकरण-2008 की धारा के के अनुसार)। जमाराशियों में कोई भी निवेश, प्रवर्तक समूह के अंतर्गत आनेवाली वित्तीय संस्थाओं में एफडी और सीडी सहित, नहीं किया जाएगा। एफडी में निवेश जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में नियंत्रित निधि के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा अथवा संबंधित निधि के आकार [एसएफआईएन स्तर पर पेंशन और सामान्य वार्षिकी निधि तथा यूनिट सहबद्ध निधि(याँ)] के 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा तथा पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता के मामले में खंड 1(7)(ii) के अनुसार निवेश आस्तियों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणीः एएसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन) राशि के रूप में, बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह में आनेवाले बैंकों के पास एफडीएस सहित, अन्य प्रकार से रखी गई, इस विनियम के अंतर्गत अनुमत रूप में मीयादी जमाराशियाँ संगणना की उपर्युक्त सीमाओं में शामिल नहीं की जाएँगी। एएसबीए अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए निर्दिष्ट, प्रवर्तक समूह के अंतर्गत बैंकों की एफ़डीएस, प्रवर्तक समूह में एक्सपोज़र का भाग बनेंगी;

(XII) बीमाकर्ता ऊपर खंड 8 में निर्धारित एक्सपोज़र से अधिक, नियंत्रित निधि / आस्तियों से किसी एक कंपनी के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश नहीं करेगा या उन्हें निवेशित स्थिति में नहीं रखेगा, **बशर्ते** कि इस विनियम में निहित कोई भी बात एक कंपनी होते हुए, बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाली एक सहायक कंपनी बनाने के उद्देश्य के साथ, बीमाकर्ता के द्वारा प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से किये गये किसी भी निवेश पर लागू नहीं होगी;

(XIII) आवास वित्त कंपनियों में एए+ से अन्यून रेटिंग से युक्त कर्ज एक्सपोज़र, प्रदत्त शेयर पूँजी, निर्बंध आरक्षित निधियों (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़कर) तथा डिबेंचरों / बांडों (सीपीएस सहित) अथवा खंड 8(2)(i) के अंतर्गत राशि, जो भी कम हो, के 20 प्रतिशत तक होगा। इस विनियम में यहाँ उल्लिखित 20 प्रतिशत की सीमा बीमाकर्ता के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से एक अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। समूह, प्रवर्तक समूह के लिए लागू सभी एक्सपोज़र मानदंड किसी आवास वित्त कंपनी में किये गये सभी निवेशों के लिए लागू होंगे।

भाग III

9. बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियाँ:

प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को विवरणियाँ (इलेक्ट्रानिक पद्धति) ऐसे समय के अंदर, ऐसे अंतरालों पर ऐसे तरीके से प्रस्तुत करेगा जैसा कि **आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश) विनियम, 2024** के विनियम 6(3) की अनुसूची III के अनुबंध आईएनवी III में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. अतिरिक्त सूचना माँगने की शक्तिः

सक्षम प्राधिकारी पालिसीधारकों के हित में सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा बीमाकर्ताओं से ऐसी अन्य सूचना की अपेक्षा उसमें विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से, अंतरालों पर और समय-सीमा के अंदर कर सकता है तथा अपने द्वारा उपयुक्त समझे गये रूप में बीमाकर्ताओं को निदेश जारी कर सकता है।

11. निवेश संविभाग को प्रभावित करनेवाली असाधारण घटनाओं की सूचना देने का कर्तव्यः

प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी जानकारी में आनेवाली ऐसी किसी भी घटना के प्रभाव या संभावित प्रभाव की सूचना, जिसका महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव निवेश संविभाग पर तथा परिणामतः पालिसीधारकों के लाभों की सुरक्षा पर या उनकी प्रत्याशाओं पर पड़ सकता है, तत्काल प्राधिकरण को देगा।

12. निवेश प्रबंध संबंधी उपबंध

(1) **निवेश समिति का गठनः**

(i) प्रत्येक बीमाकर्ता एक निवेश समिति का गठन कारपोरेट अभिशासन विनियमों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये परिपत्रों में उल्लिखित रूप में संरचना के साथ करेगा। निवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय अभिलिखित किये जाएँगे तथा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(2) **निवेश नीति**

(i) प्रत्येक बीमाकर्ता एक निवेश नीति (आईपी) (यूनिट-सहबद्ध बीमा व्यवसाय के मामले में निधि-वार आईपी) बनाएगा और निदेशक बोर्ड के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्रत्येक बीमाकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 का अनुपालन करते हुए निवेश परिचालनों के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध अधिकारियों के आंतरिक / वैयक्तिक व्यापार की रोक-थाम करने के लिए आदर्श आचरण-संहिता तैयार करेगा तथा निदेशक बोर्ड के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(iii) निवेश नीति बनाते समय, बोर्ड निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करेगाः

(क) चलनिधि, विवेकपूर्ण मानदंड, एक्सपोज़र सीमाएँ, प्रतिभूति व्यापार सहित हानि रोध सीमाएँ, सभी निवेश जोखिमों का प्रबंध, आस्ति-देयताओं के असंतुलन का प्रबंध, निवेश की आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षा का विस्तार, निवेश दलालों की मानदंड स्वरूप की सूचीबद्धता और समीक्षा, निवेश सांख्यिकी और निवेश परिचालनों के सभी अन्य आंतरिक नियंत्रण, बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंध तथा आईआरडीएआई (बीमांकिक, वित्त और निवेश) विनियम, उनके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों और परिपत्रों से संबंधित विषय।

(ख) पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों का पर्याप्त प्रतिलाभ, ऐसी निधि(यों) के संरक्षण, सुरक्षा और तरलता के अनुरूप सुनिश्चित करना।

(iv) पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित जीवन, साधारण बीमाकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में निवेश नीति निवेश समिति द्वारा लागू की जाएगी। बोर्ड तिमाही आधार पर निधि-वार तथा प्रत्येक उत्पाद (जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में दोनों सहभागी और लाभरहित) के संबंध में निगरानी की निम्नलिखित न्यूनतम समीक्षा करेगीः

(क) जीवन बीमाकर्ताः

i. आयोजित नये व्यवसाय का मानों की तुलना में परिपक्वता अवधि के अंत में वास्तविक स्थिति
ii. पूर्वानुमानित व्ययों की तुलना में वास्तविक स्थिति
iii. पूर्वानुमानित निरंतरता / नवीकरण प्रीमियम प्रवाहों की तुलना में वास्तविक स्थिति
iv. दावे – पूर्वानुमानित बनाम वास्तविक
v. वास्तविक प्रतिफल बनाम पूर्वानुमानित प्राप्ति या प्रतिफल
vi. कार्य योजना और अनुवर्तन की स्थिति

(ख) पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता (व्यवसाय की व्यवस्था के स्तर पर):

i. पूर्वानुमानित प्रीमियम आय का सकल स्तर बनाम वास्तविक, ऋणात्मक वृद्धि, यदि कोई हो, के लिए कारणों सहित
ii. सकल अंकित प्रीमियम की कम उपलब्धि की स्थिति में आयोजित रूप में प्राप्त व्यवसाय को सुधारने के लिए कार्रवाई
iii. आयोजित जोखिम-अंकन परिणाम बनाम प्राप्त परिमाम, ऋणात्मक विचलनों के लिए कारणों सहित
iv. दावों से संबंधित व्यय – पूर्वानुमानित बनाम वास्तविक – हानि अनुपात में वृद्धि / कमी के लिए प्रमुख कारण तथा भविष्य के लिए आयोजित सुधारात्मक कार्रवाई
v. आयोजित अधिग्रहण लागत सहित व्यय बनाम वास्तविक व्यय – अनुमत सीमाओं की तुलना में आधिक्य की स्थिति में ऐसे आधिक्य के लिए कारण तथा सीमाओं का पालन करने के लिए योजना
vi. समग्र वृद्धिशील निवेश – पूर्वानुमानित बनाम वास्तविक – नियोजित अनुवृद्धि से विचलन के लिए कारण तथा यदि वह नकारात्मक है तो इस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए कार्रवाई

(v) बोर्ड निवेश नीति और उसके कार्यान्वयन की छमाही तौर पर तथा ऐसे अल्प अंतरालों पर जैसा वह निर्णय करती है, समीक्षा करेगी तथा पालिसीधारकों के हित के संरक्षण को तथा इन विनियमों में निर्धारित निवेश के स्वरूप को और यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय के मामले में पालिसीधारकों के साथ किये गये करार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए निवेश नीति में ऐसा आशोधन करेगी जैसा कि आवश्यक हो ताकि उसे अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों में निर्धारित निवेश उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके।

(3) **निवेश परिचालन**

(i) बीमाकर्ता की निधियों का निवेश सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई नीचे के नोट के खंड 3 से 7 तक के अनुसार रेटिंग दिये गए ईक्विटी शेयरों, ईक्विटी संबंधित लिखतों, और कर्ज लिखतों में किया जाएगा और उन्हें निरंतर निवेशित स्थिति में रखा जाएगा। बोर्ड पालिसीधारकों की निधियों की सुरक्षा और तरलता को तथा उनके हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निवेश समिति द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए(2) में निर्धारित रूप में `अन्य निवेश' में निवेश करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगा।

(ii) निवेश कार्यों और परिचालनों के उचित आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ता स्पष्ट रूप से प्रारंभिक (फ्रंट), मध्य (मिड) और पश्च (बैक) कार्यालय (जैसा कि भारतीय सनदी लेखाकार संघ द्वारा जारी किये गये बीमा कंपनियों निवेश कार्यों की आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में व्यवस्थित है) के कार्यों और परिचालनों को अलग करेगा तथा प्रारंभिक, मध्य और पश्च कार्यालय निवेश कार्य (कार्यों) के अंतर्गत आनेवाले किसी भी कार्य का बाह्यस्रोतीकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, निवेश प्रबंध के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर अनुप्रयोग का प्राथमिक डेटा सर्वर देश के अंदर ही रहेगा।

(iii) बीमाकर्ता का बोर्ड अपने निवेशों के लिए अभिरक्षकीय सेवाएँ संचालित करने के लिए एक अभिरक्षक (कस्ट्रोडियन) की नियुक्ति करेगा, जो उसके प्रवर्तक `समूह' का व्यक्ति नहीं होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

(4) **जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ और उनकी समीक्षा**

(i) बोर्ड प्राधिकरण द्वारा अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाई गई निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया कार्यान्वित करेगी। इस कार्यान्वयन का प्रमाणीकरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये `बीमा कंपनियों की निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षा और प्रमाणीकरण संबंधी मार्गदर्शी नोट' में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार एक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया जाएगा।

(ii) उक्त निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की समीक्षा दो वित्तीय वर्षों में एक बार अथवा ऐसी अल्पकालिक बारंबारता के साथ की जाएगी जैसी कि बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा (ऐसी दो लेखा-परीक्षाओं के बीच का अंतराल दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए)। यह समीक्षा एक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की जाएगी तथा ऐसे सनदी लेखाकार द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पास पहली तिमाही की विवरणियों के साथ फाइल किया जाएगा।

(iii) निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया के कार्यान्वयन को प्रमाणित करने तथा उनकी समीक्षा करने के लिए सनदी लेखाकार फर्म की नियुक्ति इन विनियमों के अधीन जारी किये गये परिपत्र के अनुसार होगी।

(5) **लेखा-परीक्षा और प्रबंधन को सूचित करना**

(i) प्रत्येक बीमाकर्ता बोर्ड की एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन ऐसी संरचना के साथ करेगा जैसा कि कारपोरेट अभिशासन विनियमों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये परिपत्रों में उल्लिखित है। उक्त लेखा-परीक्षा समिति का अध्यक्ष निवेश समिति का अध्यक्ष नहीं होगा।

(ii) बीमाकर्ता इन विनियम के अंतर्गत जारी किये गये परिपत्र के अनुसार आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के द्वारा दोनों शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधियों को सम्मिलित करते हुए निवेश संबंधी लेनदेनों की लेखा-परीक्षा करवाएगा।

(iii) दोनों शेयरधारकों एवं पालिसीधारकों के निवेशों को सम्मिलित करते हुए दी गई तिमाही आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये "बीमा कंपनियों के निवेश कार्यों की आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट" के अनुसार होगी।

(iv) निवेश नीति, निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रिया की स्थिति अथवा उसकी समीक्षा आंतरिक या समवर्ती लेखा-परीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी। लेखा-परीक्षक कार्यान्वयन की स्थिति, उसकी समीक्षा तथा निवेश परिचालनों, प्रणालियों और प्रक्रिया पर उसके प्रभाव के संबंध में अपनी रिपोर्ट में अपना अभिमत प्रकट करेगा जो बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(v) बीमाकर्ता का सांविधिक लेखा-परीक्षक तिमाही आधार पर खंड 12(iv)(क) और (ख) के अनुपालन की पुष्टि करेगा तथा ऐसा पुष्टीकरण बीमाकर्ता के द्वारा आवधिक निवेश विवरणियों के साथ फाइल किया जाएगा।

(6) **निवेशों की श्रेणी**

प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी नियंत्रित निधि का निवेश समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए के अंतर्गत परिभाषित रूप में / सभी आस्तियों का निवेश उक्त अधिनियम की धारा 27(2) के अंतर्गत परिभाषित रूप में केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये उक्त दिशानिर्देशों में सूचीबद्द निवेशों की संपूर्ण सूची के अंदर ही करेगा।

13. वित्तीय व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में लेनदेन

जीवन बीमा या साधारण बीमा या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता वित्तीय व्युत्पन्नियों में लेनदेन केवल अनुमत सीमा तक और समय-समय पर इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार कर सकता है।

14. विविध

प्राधिकरण का बोर्ड किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा स्वयं ही अथवा उनको प्रस्तुत किये गये आवेदन पर किसी बीमाकर्ता के लिए खंड 3 से 9 तक की प्रयोज्यता को आशोधित या परिवर्तित कर सकता है।

अनुबंध आईएनवी-I

जीवन बीमाकर्ता

(खंड 3 से 6 देखें)

(क) यूनिट सहबद्ध व्यवसाय आवेदन का प्रसंस्करण और एनएवी की घोषणा

प्रत्येक यूनिट सहबद्ध वियोजित निधि(याँ) की पहचान उसकी वियोजित निधि पहचान संख्या (एसएफआईएन) द्वारा की जाएगी तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

1. प्रीमियम भुगतान, अंतरणों (स्विचेज़), मोचन, अभ्यर्पण, परिपक्वता दावा आदि के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर समय की मुहर लगानी चाहिए और उनपर दिनांक दर्ज करना चाहिए।

2. **"प्रीमियम भुगतान" के लिए आवेदन**

(क) स्थानीय चेकों, नकदी या प्रीमियम प्राप्त करने के स्थान पर सममूल्य पर देय माँग ड्राफ्ट के साथ कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) से पहले प्राप्त आवेदनों के लिए, लागू एनएवी उसी दिन का अंतिम एनएवी होगा।
(ख) स्थानीय चेकों, नकदी या प्रीमियम प्राप्त करने के स्थान पर सममूल्य पर देय माँग-ड्राफ्ट के साथ कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, लागू एनएवी अगले कारोबार के दिन का अंतिम एनएवी होगा।
(ग) बाहरी चेक या माँग ड्राफ्ट के साथ प्राप्त प्रीमियमों के लिए, जिस दिन उक्त चेक/ड्राफ्ट की वसूली होती है उस दिन का अंतिम एनएवी लागू होगा।

3. **प्रीमियम भुगतान से "इतर" प्रयोजन के लिए आवेदन**

(क) कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) से पहले प्राप्त आवेदनों के लिए, लागू एनएवी उसी दिन का अंतिम एनएवी होगा।
(ख) कारोबार के दिन निर्दिष्ट समय (अपराह्न 3.00 बजे) के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, लागू एनएवी अगले कारोबार के दिन का अंतिम एनएवी होगा।

4. **उत्पाद और निधि संबंधी सूचना का दैनिक प्रकटीकरण/ समाधान**

(क) यूनिट सहबद्ध व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता **उक्त प्रणाली के द्वारा** प्रत्येक उत्पाद (विशिष्ट पहचान संख्या – यूआईएन) के अंतर्गत प्राप्त (प्रदत्त प्रभारों और लाभों को घटाकर) प्रीमियम का समाधान एक एकल यूआईएन के अंतर्गत धारित सभी वियोजित निधि(यों) के मूल्य के साथ (वियोजित निधि पहचान संख्या – एसएफआईएन) निधि प्रबंध प्रभारों को घटाकर **दैनंदिन आधार पर,** फार्म डी01 के अनुसार करेगा।

(ख) बीमाकर्ता एक पोर्टल के द्वारा पालिसीधारक को एक सुरक्षित लाग-इन के माध्यम से (i) फार्म डी02 के अनुसार, उसके द्वारा धारित पालिसी-वार यूनिटों का मूल्य तथा (ii) निधि-वार एनएवी (एसएफआईएन-वार) दोनों बीमाकर्ता की वेबसाइट और जीवन परिषद वेबसाइट पर उसी दिन जानने में समर्थ बनायेगा।

प्रकटीकरण फार्मेट

सं.	फार्मेट	विवरण	आवृत्ति
01	फार्म डी01	यूलिप संविभाग का दैनिक समाधान	दिन के समापन पर (प्राधिकरण द्वारा न भरा जाए)
02	फार्म डी02	उत्पाद मूल्य का विवरण	वैयक्तिक पालिसीधारक को रक्षित लाग के द्वारा समर्थ बनाना
03		संविभाग प्रकटीकरण	जारी किये गये दिशानिर्देशों/परिपत्र के अनुसार मासिक आधार पर न्यूनतम सूचना

(ग) आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षक स्वचालित प्रणाली पर रिपोर्ट करेगा तथा यूआईएन- वार समाधान को संभालने के लिए संसाधन करेगा (जैसा कि ऊपर बिन्दु `क' पर है) तथा पालिसीधारक द्वारा धारित यूनिटों का पालिसी-वार मूल्य-निर्धारण करेगा और तिमाही आधार पर निधि-वार एनएवी का निर्धारण करेगा।

5. **वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को प्राप्त आवेदनों के लिए लागू एनएवी।**

(क) वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य-दिवस को अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त आवेदनों के लिए अंतिम कार्य-दिवस के एनएवी के साथ प्रसंस्करण किया जाएगा (इस बात का विचार किये बिना कि भुगतान लिखत स्थानीय है या बाहरी)।

(ख) अंतिम कार्य-दिवस को अपराह्न 3.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों के लिए, वह अगले वित्तीय वर्ष तिमाही में जाएगा तथा तत्काल अगले कार्य-दिवस का एनएवी लागू होगा।
(ग) बीमाकर्ता तिमाही के अंतिम कार्य-दिवस के लिए एनएवी घोषित करेगा, भले ही वह कारोबार का दिन न हो।

6. यूनिटों के आबंटन के लिए, लागू एनएवी नई पालिसी संविदाओं के लिए पालिसी के प्रारंभ की तारीख के अनुसार होगा तथा नवीकरणों के लिए प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख।

(क) किसी नई पालिसी संविदा को यूनिटों के आबंटन के लिए, एनएवी पालिसी संविदा के प्रारंभ की तारीख की स्थिति के अनुसार होगा। ऐसी स्थिति में प्रीमियम पालिसी संविदा के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

(ख) वर्तमान पालिसियों के नवीकरणों के लिए, एनएवी नवीकरण की तारीख की स्थिति के अनुसार होगा जहाँ नियत तारीख को या उससे पहले प्रीमियमों की प्राप्ति की गई है तथा एनएवी प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख की स्थिति के अनुसार होगा जहाँ प्रीमियम नवीकरण की नियत तारीख के बाद प्राप्त की गई है।

(ग) पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) के लिए, पुनःप्रवर्तन की तारीख यूनिटों के आबंटन के द्वारा एनएवी को लागू करने के लिए संदर्भ तारीख होगी।

(घ) ऐसे कारणों से जैसे टाप-अप या संबंधित पालिसी की शर्तों के अनुसार नियमित भुगतान कार्यक्रम से अलग, प्रीमियम के भुगतान के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई हो, वहाँ प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख एनएवी लागू करने के लिए संदर्भ तारीख होगी।

7. बीमाकर्ता की पालिसी प्रबंध प्रणाली (पीएएस), बीच में बंद की गई पालिसियों के संबंध में `पालिसी-वार' सूचना प्राप्त (ट्रैक) करने के लिए `स्वचालित' होगी जिसके साथ विशिष्ट यूलिप निधि की सूचना भी प्राप्त की जा सकती है जिसके साथ वह संबंधित है।

8. आस्ति आबंटन और वियोजित निधि के लिए एक्सपोज़र मानदंड उसके प्रारंभ से पहले छह महीनों के लिए लागू नहीं होंगे या पहली बार जब वियोजित निधि रु. 5 करोड़ के आकार प्राप्त करेगी, जो भी पहले हो। छह महीनों के समाप्त होने पर प्रत्येक ऐसी वियोजित निधि विनियमन 41 के अंतर्गत सभी एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन करेगी। जहाँ किसी वियोजित निधि के मामले मे वह रु. 5 करोड़ से नीचे पहुँचती है, वहाँ बीमाकर्ता पालिसीधारक को सूचित करने के बाद उसी प्रकार की निधि के उद्देश्य/ जोखिम प्रोफाइल से युक्त एक अन्य निधि में एक मुक्त अंतरण (स्विच) उन्हीं या उससे कम निधि प्रबंध प्रभारों के साथ उपलब्ध करा सकता है।

9. जहाँ कोई वियोजित निधि (यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत समाप्त पालिसी निधि को छोड़कर अन्य) का निवेश म्युचुअल फंड, विनिमय व्यापारित निधि (सीपीएसई ईटीएफ को छोड़कर) अथवा बैंक की मीयादी जमाराशि (निवेश रखने के समय 91 दिन से कम अवधि के लिए) में किया जाता है, वहाँ उनमें निवेशित निधियों का मूल्य, निधि प्रबंधन प्रभारों (एफएमसी) की संगणना करने के लिए घटाया जाएगा। यह उपबंध वियोजित निधि प्रारंभ करने की तारीख से प्रथम छह महीने के लिए अथवा पहली बार वियोजित निधि के रु. 5 करोड़ के आकार तक पहुँचने तक, जो भी पहले हो, लागू नहीं होगा।

10. समाप्त पालिसी निधि के मामले में, खजाना बिलों में निवेश को केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के भाग के रूप में माना जाएगा।

11. सभी बीमाकर्ता निम्नलिखित के अनुपालन के लिए आंतरिक/समवर्ती लेखा-परीक्षक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र फाइल करेंगेः

(क) प्रत्येक वियोजित निधि के स्तर पर सभी एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन, तिमाही आधार पर।
(ख) म्युचुअल फंड, विनिमय व्यापारित निधि अथवा बैंक सावधि जमाराशि (91 दिन से कम अवधि के लिए) में निवेश की गई निधियों का मूल्य तिमाही आधार पर एफएमसी संगणना में घटाया गया था।
(ग) आवेदनों के लिए लागू एनएवी के संबंध में ऊपर बिन्दु 5 पर जारी किया गया प्रत्येक निदेश अंतिम कार्य-दिवस को प्राप्त किया गया।
(घ) सांविधिक लेखा-परीक्षक भी वार्षिक लेखों में ऊपर `ग' की पुष्टि करते हैं।

टिप्पणीः

1. **कार्य-दिवस** से अभिप्रेत है छुट्टियों को छोड़कर अन्य दिन जहाँ शेयर बाजार (मुहूरत व्यापार दिन को छोड़कर) राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों के साथ व्यापार के लिए खुले रहते हैं (उस दिन को छोड़कर जब शेयर बाजार परीक्षण के लिए खुले रहते हैं) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य-दिवस के रूप में घोषित कोई भी दिन।

2. बीमाकर्ता केवल ऐसे ही निवेशों में निवेश करता है जिनके लिए दैनंदिन मूल्यांकन उपलब्ध है तथा तत्काल वसूलीयोग्य हैं। किसी भी निधि या निधियों में या फिर ऐसी निधि में कोई निवेश नहीं किया जा सकता जिसके लिए दैनंदिन आधार पर एनएवी उपलब्ध नहीं है।

(ख) निधि प्रबंध

1. (क) जीवन निधि, (ख) पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधियों के मामले में बीमाकर्ता सहभागी और लाभरहित निधियों के लिए पहचानयोग्य प्रतिभूतियों के साथ अलग उप-अभिरक्षा अनुरक्षित करेगा।

2. प्रत्येक बीमाकर्ता के पास रु.10000 करोड़ के निधि आकार (दोनों शेयधारक और पालिसीधारक निधियों को एकसाथ लेते हुए) तक कर्ज और ईक्विटी के लिए एक अलग निधि प्रबंधक होगा। जब पहली बार उक्त निधि का आकार रु. 10000 करोड़ होता है, तब प्रत्येक निधि [(क) जीवन निधि (ख) पेंशन, वार्षिकी और सामूहिक निधि (ग) यूनिट सहबद्ध वियोजित निधि(यों)] के लिए अभिज्ञेय निधि प्रबंधक होगा। कोई भी निधि प्रबंधक (क) जीवन निधि, पेंशन और सामूहिक निधि तथा (ख) यूनिट सहबद्ध निधि(यों) के बीच सामान्य (एक ही व्यक्ति) नहीं होगा।

अनुबंध आईएनवी-II

(खंड-7 देखें)

पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता

(क) निवेश के स्वरूप की प्रयोज्यता

जहाँ बीमाकर्ता खंड 1(7) के अनुसार पालिसीधारकों के लिए और उनकी ओर से समूची निवेश आस्तियाँ धारित करता है, वहाँ निवेश का स्वरूप समूची निवेश आस्तियों के लिए (दोनों शेयरधारकों और पालिसीधारकों की निधियों को एकसाथ लेते हुए) लागू होता है तथा निवेश आस्तियाँ एक एकल अभिरक्षा खाते में अनुरक्षित की जा सकती हैं।

(ख) विविध

खंड-7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आवास और बुनियादी संरचना में अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) न्यूनतम निवेश स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं पर लागू नहीं है।

अनुबंध आईएनवी-III

(1) सभी बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार प्राधिकरण को विवरणियां प्रस्तुत करें। हालांकि, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए विवरण की अवधिकता अर्ध-वार्षिक है। यदि किसी विशेष बिंदु के लिए कोई सूचना लागू नहीं होती है तो बीमाकर्ता को प्राधिकरण के पास दायर विवरणियों से उक्त बिंदु को हटाने के स्थान पर 'लागू नहीं' अथवा 'शून्य', जैसा भी मामला हो, इंगित करना चाहिए।

सं.	फार्म	विवरण	विवरणी की आवधिकता	प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा	सत्यापनकर्ता/ प्रमाणकर्ता
1	फार्म 1	निवेश और निवेश पर आय का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
2	फार्म 2 (भाग क, ख, ग)	ग्रेड घटाये गये निवेशों का विवरण, रेटिंग प्राप्त लिखतों का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
3	फार्म 3क (भाग क,ख, ग,घ,ङ)	निवेश आस्तियों का विवरण (जीवन बीमाकर्ता)	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
4	फार्म 3ख (भाग क,ख)	निवेश आस्तियों का विवरण (पुनर्बीमा या स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
5	फार्म 4 (भाग ख)	निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ – कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी आंतरिक/समवर्ती लेखा- परीक्षक का प्रमाणपत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	इस विनियम के अधीन नियुक्त आंतरिक/ समवर्ती लेखा- परीक्षक
6	फार्म 4क (भाग क, ख, ग, घ)	निवेश का विवरण एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन – निवेशिती कंपनी, समूह, प्रवर्तक समूह, उद्योग क्षेत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
7	फार्म 5	निवेश समाधान का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)
8	फार्म 6	धारा 27ए (5) के अधीन प्रमाणपत्र	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	अध्यक्ष, निदेशक1, निदेशक2, प्रधान अधिकारी
9	फार्म 7	अनर्जक आस्तियों का विवरण	तिमाही	तिमाही की समाप्ति से 30 दिन के अंदर	प्रधान अधिकारी / निवेश का प्रमुख / प्रमुख (वित्त)

टिप्पणीः

1. पिछली तिमाही की आंतरिक / समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, उक्त रिपोर्ट में `बहुत गंभीर', `गंभीर' बिन्दुओं पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति की टिप्पणियों के साथ (भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमा कंपनियों के निवेश कार्यों की आंतरिक/ समवर्ती लेखा-परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार), तथा लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति वर्तमान तिमाही विवरणियों के साथ प्राधिकरण के पास फाइल की जाएगी।
2. मार्च के साथ समाप्त तिमाही के लिए सभी विवरणियाँ ऊपर निर्धारित अवधि के अंदर अनंतिम आंकड़ों के साथ फाइल की जाएँगी तथा बाद में निदेशक बोर्ड के द्वारा लेखों के अंगीकरण से 15 दिन के अंदर लेखा-परीक्षित आंकड़ों के साथ पुनः प्रस्तुत की जाएँगी।

फार्म - 1
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नामः
पंजीकरण संख्याः
विवरण की स्थिति की तारीखः **निधि का नाम _____**
निवेश और निवेश पर आय का विवरण
प्रस्तुति की आवधिक: तिमाही

करोड़ रुपये:

सं.	**निवेश की श्रेणी**	**श्रेणी कूट**	**वर्तमान तिमाही**				**अद्यावधि तक (इयर टू डेट) (चालू वर्ष)**				**अद्यावधि तक (इयर टू डेट) (पिछला वर्ष)[3]**			
			निवेश (रुपये)[1]	**निवेश पर आय (रुपये)**	**सकल प्रतिफल (%)[1]**	**निवल प्रतिफल (%)[2]**	**निवेश (रुपये)[1]**	**निवेश पर आय (रुपये)**	**सकल प्रतिफल (%)[1]**	**निवल प्रतिफल (%)[2]**	**निवेश (रुपये)[1]**	**निवेश पर आय (रुपये)**	**सकल प्रतिफल (%)[1]**	**निवल प्रतिफल (%)[2]**
	कुल													

<u>प्रमाणीकरण</u>
प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है अथवा गुप्त नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर

दिनांकः

पूरा नाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणीः
निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी
1. निवेशों के दैनिक साधारण औसत पर आधारित
2. 'प्रतिफल कर के लिए समायोजित
3. 'पिछले वर्ष के स्तंभ में, तदनुरूपी वर्ष के आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष की तारीख तक दर्शाये जाएँगे
4. फार्म-1 प्रत्येक निधि के लिए तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 1 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
5. 'वाईटीडी निवेश पर आय का समाधान पी & एल और राजस्व खाते में स्थित आंकड़ों के साथ किया जाएगा।

फार्म - 2

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें) **भाग - क**

बीमाकर्ता का नामः

पंजीकरण संख्याः

विवरण की स्थिति की तारीखः **निधि का नाम:**

ग्रेड कम किये गये निवेशों का विवरण प्रस्तुति की आवधिकताः तिमाही

करोड़ रुपये

सं.	प्रतिभूति का नाम	सीओआई	राशि	खरीदने की तारीख	रेटिंग एजेंसी	मूल ग्रेड	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड घटाने की पिछली तारीख	टिप्पणी
क.	**तिमाही के दौरान [1]**								
ख.	**आज की तारीख को [2]**								

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर:

दिनांकः

पूरा नाम और पदनाम

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणीः

1 तिमाही के दौरान ग्रेड कम किये गये निवेशों का विवरण प्रस्तुत करें।

2 वर्तमान में ग्रेड बढ़ाये गये, पिछली तिमाही में ग्रेड घटाये गये रूप में सूचीबद्ध निवेश संचयी सूचीबद्धता से हटाये जाएँगे।

3 फार्म-2 प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 2 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।

4 निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 2
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नाम:

भाग - ख

पंजीकरण संख्याः

निवेश आस्तियाँ - रेटिंग रूपरेखा

निधि का नामः _____ करोड़ रुपये

सं.	निवेशों का प्रकार	राष्ट्रिक (सावरिन) लिखतों में निवेश		एएए या समकक्ष		एए+ या एए		एए- या ए+ तक कम या समकक्ष		ए या ए से कम या समकक्ष		रेटिंग रहित		अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)		ईक्विटी और अन्य लिखत		कुल बीवी
		बीवी	निवेश आस्तियों का %	बीवी	निवेश आस्तियों का %	बीवी	निवेश आस्तियों का %	बीवी	निवेश आस्तियों का %	बीवी	निवेश आस्तियों का %	बीवी	निवेश आस्तियों का %	बीवी	निवेश आस्तियों का %	बीवी	निवेश आस्तियों का %	
		(क)		(ख)		(ग)		(घ)		(ङ)		(च)		(छ)		(ज)		(झ)
i	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ																	
ii	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ																	
iii	**(क) आवास क्षेत्र**																	
	(1) कर्ज लिखत																	
	(2) ऋण																	
	(3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																	
	(ख) बुनियादी संरचना क्षेत्र																	
	(1) कर्ज लिखत																	
	(2) ईक्विटी लिखत																	
	(3) ऋण																	
	(4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																	
	(ग) अनुमोदित निवेश																	
	(1) कर्ज लिखत																	
	(2) ईक्विटी लिखत																	
	(3) ऋण																	
	(4) निवेश संपत्ति - अचल																	
	(5) म्युचुअल फंड																	
	(6) मुद्रा बाजार																	

	(7) निवल चालू आस्तियाँ																	
	(8) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																	
iv	अन्य निवेश																	
	(1) कर्ज लिखत																	
	(2) ईक्विटी लिखत																	
	(3) ऋण																	
	(4) निवेश संपत्ति - अचल																	
	(5) म्युचुअल फंड																	
	(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																	
	निवेश आस्तियाँ:																	

कर्ज' लिखतों में निवेश	**अंकित मूल्य (जीवन, पेंशन निधि और साधारण बीमाकर्ता)**	**बाज़ार मूल्य (यूलिप निधियों के लिए)**	**%**
राष्ट्रिक (सावरिन) लिखतों में निवेश			
अनुमोदित निवेश			
एएए			
एए+ से एए या समकक्ष तक			
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश			
अन्य निवेश			
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष			
रेटिंग रहित, ऋण, अन्य - अन्य निवेश			
कुल कर्ज निवेश (स्तंभ [क] से [छ] तक)			

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी मे सम्मिलित विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित श्रेणियों के अंदर हैं।

हस्ताक्षरः
पूरा नामः
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणीः

1. स्तंभ (i) में दिये गये आंकड़े अवश्य फार्म 3ए (भाग क) / फार्म 3बी के साथ मेल खाने चाहिए (प्रत्येक प्रकार के निवेश के लिए)

2. अनर्जक निवेश आस्तियाँ रेटिंग का विचार किये बिना अलग से दर्शाई जाएँगी।
3. संबद्ध व्यवसाय के लिए निवेशों के मूल्य बाजार मूल्य पर होंगे
4. 'ईक्विटी समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के अंतर्गत अनुमत रूप में होगी
5. 'फार्म - 2 (भाग ख) प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 2 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
6. निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 2

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नामः **भाग - ग**

पंजीकरण संख्याः

निवेश आस्तियाँ एवं आवास और बुनियादी संरचनागत निवेश - रेटिंग रूपरेखा निधि का नाम _____

खंड - 1

निवेश आस्तियाँ	**करोड़ रुपये**	**निवेश आस्तियों का %**
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ + अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
कुल (1)		
अनुमोदित निवेश		
एएए अथवा एए या समकक्ष तक		
ईक्विटी - अनुमोदित निवेश		
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश		
कुल (2)		
अन्य निवेश		
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष		
ईक्विटी - अन्य निवेश		
रेटिंग रहित, अनर्जक आस्तियाँ, ऋण, अन्य - अन्य निवेश		
कुल (3)		
कुल निधि (1+2+3)		
खंड - 2		
आवास और बुनियादी संरचना निवेश		
अनुमोदित निवेश		
एएए अथवा एए या समकक्ष तक		
ईक्विटी - अनुमोदित		
एमएम, ऋण, अन्य - अनुमोदित निवेश		
कुल (i)		
अन्य निवेश		
एए-, ए, ए से कम या समकक्ष		
ईक्विटी - अन्य निवेश		
ऋण, अनर्जक आस्तियाँ, अन्य - अन्य निवेश		
कुल (ii)		
कुल बुनियादी संरचनागत निवेश (i + ii)		

<u>प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी में सम्मिलित विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित श्रेणियों **के अंदर** हैं।

हस्ताक्षरः

पूरा नामः

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

<u>टिप्पणीः</u>

1. स्तंभ (i) में दिये गये आंकड़े अवश्य फार्म 3ए (भाग क) / फार्म बी के साथ (निवेश के प्रत्येक प्रकार के लिए) मेल खाने चाहिए।
2. फार्म- 2 (भाग ग) जीवन निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा।
3. ' निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3ए
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नामः
पंजीकरण संख्याः **भाग - क**
विवरण की स्थिति की तारीखः
निवेश आस्तियों का विवरण (जीवन बीमाकर्ता)
(भारत के अंदर व्यवसाय)
प्रस्तुति की आवधिकताः तिमाही करोड़ रुपये

खंड I

सं.	विवरण	अनुसूची	राशि	निवेश आस्तियों का समाधान 'कुल निवेश आस्तियाँ (तुलन-पत्र के अनुसार)निम्नलिखित का तुलन-पत्र मूल्यः	
1	निवेश (शेयरधारक)	8			
	निवेश (पॉलिसीधारक)	8क		क. जीवन निधि	
	निवेश (संबद्ध देयताएँ)	8ख		ख. पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय	
2	ऋण	9		ग. यूनिट सहबद्ध निधियाँ	
3	अचल आस्तियाँ	10			**0**
4	चालू आस्तियाँ				
	क. नकदी और बैंक शेष	11			
	ख. अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12			
5	चालू देयताएँ				
	क. चालू देयताएँ	13			
	ख. प्रावधान	14			
	ग. विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15			
	घ. लाभ और हानि लेखे का नामे शेष				
	तुलन-पत्र के अनुसार निधियों का उपयोग (क)		**0**		

	घटाएँ : अन्य आस्तियाँ	**अनुसूची**	**राशि**
1	ऋण (यदि कोई हों)	9	
2	अचल आस्तियाँ (यदि कोई हों)	10	

3	(क) 'नकदी और बैंक शेष (यदि कोई हो)	11	
4	(ख) 'अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (यदि कोई हों)	12	
5	चालू देयताएँ	13	
6	प्रावधान	14	
7	विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
8	भारत के बाहर धारित निवेश		
9	लाभ और हानि लेखे का नामे शेष		
		कुल (ख)	**0**
	निवेश आस्तियाँ	**(क-ख)**	**0**

खंड II क

असंबद्ध व्यवसाय

क. जीवन निधि			**विनियम के अनुसार %**	**एसएच**		**पीएच**			**बही मूल्य (एसएच+पीएच)**	**वास्तविक %**	**एफवीसी राशि**	**कुल निधि**	**बाजार मूल्य**
				शेष	**एफआरएसएम+**	**यूएल-गैर यूनिट रिज़**	**सहभागी**	**लाभरहित**					
				(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**	**(ङ)**	**(च) = [क+ख+ग+घ+ङ]**	**(छ) = [(च) - (क)]%**	**(ज)**	**(झ)=(च+ज)**	**(ञ)**
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		25% से अन्यून										
2	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ,राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)		50% से अन्यून										
3	**एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश**												
	क.	बुनियादी संरचना/ सामाजिक/ आवास क्षेत्र	15% से अन्यून										
		i) अनुमोदित निवेश											
		ii) अन्य निवेश											

	ख.	i) अनुमोदित निवेश	35% से अनधिक										
		ii) अन्य निवेश											

कुल जीवन निधि **100%**

खंड II ख बुनियादी ढाँचा मिलान

क: जीवन निधि	विनियम के अनुसार %	एसएच		पीएच			बही मूल्य (एसएच+पीएच)	वास्तविक %	एफवीसी राशि	कुल निधि	बाजार मूल्य
		शेष	एफ आरए सएम +	यूएल नॉन यूनिट रु	सहभागी	लाभरहित					
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)=(क+ख+ग+घ+ङ)	(छ) = (च-क)	(ज)	(झ)=(क+ङ+ज़)	(ञ)
3 क. (ii) + 3 ख. (ii) उपरोक्त	15% से अनधिक										
1, 2 और 3 से कुल आवास और बुनियादी ढाँचा	15% से अन्यून										

ख. पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय			विनियम के अनुसार %	पीएच		बही मूल्य	वास्तविक %	एफवीसी राशि	कुल निधि	बाजार मूल्य
				सहभागी	लाभरहित					
				(क)	(ख)	(ग)= (क+ख)	(घ)	(ङ)	(च)=(ग+ङ)	(छ)
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ		20% से अन्यून							
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)		40% से अन्यून							
3	अनुमोदित निवेश में शेष		60% से अनधिक							
	कुल पेंशन, सामान्य वार्षिकी निधि		**100%**							

<u>संबद्ध व्यवसाय</u>

ग. संबद्ध निधियाँ	विनियम के अनुसार %	पीएच	`कुल निधि	

			सहभागी	लाभरहित		वास्तविक %
			(क)	(ख)	(ग)= (क+ख)	(घ)
1	अनुमोदित निवेश	75% से अन्यून				
2	अन्य निवेश	25% से अनधिक				
	कुल संबद्ध बीमा निधि	**100%**				

<u>प्रमाणीकरणः</u>

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है

हस्ताक्षरः _____

दिनांकः

पूरा नामः

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. '(+) एफआरएसएम से 'ऋण शोधन क्षमता सीमा का निरूपण करनेवाली निधियाँ' निर्दिष्ट हैं।
2. 'ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक निधियों का एक अलग अभिरक्षा खाता होगा।
3. 'अन्य निवेशों की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा27ए (2) के अनुसार दी जाएगी।
4. 'निवेश का स्वरूप दोनों ऋण शोधन क्षमता सीमा का निरूपण करनेवाली शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों पर लागू होगा।
5. 'अनावरण मानदंड शोधन क्षमता सीमा मार्जिन से अधिक धारित, एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित निधियों पर लागू होंगे।
6. निवेश की श्रेणी (सीओआई) समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म 3ए
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

यूनिट सहबद्ध बीमा व्यवसाय

भाग - ख

बीमाकर्ता का नामः
पंजीकरण संख्या

फार्म 3ए (भाग क) की मद 'ग' के साथ संबद्ध करें

प्रस्तुति की आवधिकताः तिमाही
विवरण की स्थिति की तारीखः

करोड़ रुपये

विवरण	एसएफआईएन 1	एसएफआईएन 2	एसएफआईएन 'एन'	सभी निधियों का जोड़
प्रारंभिक शेष (बाजार मूल्य)				
जोड़ें: तिमाही के दौरान अंतर्वाह				
वृद्धि / (कमी) निवेश का मूल्य [निवल]				
घटाएँ: तिमाही के दौरान बहिर्वाह				
कुल निवेशयोग्य निधियाँ (बाजार मूल्य)				

यूनिट निधि का निवेश	एसएफआईएन 1		एसएफआईएन 2		एसएफआईएन 'एन'		सभी निधियों का जोड़	
	वास्तविक निवेश	% वास्तविक	वास्तविक निवेश	% वास्तविक	वास्तविक निवेश	% वास्तविक	वास्तविक निवेश	% वास्तविक
अनुमोदित निवेश (>=75%)								
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ								
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ								
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ								
निगमित बांड								
बुनियादी संरचना बांड								
ईक्विटी								
मुद्रा बाजार निवेश								
म्युचुअल फंड								
बैंकों के पास जमा								
उप जोड़ (क)								
चालू आस्तियाँ:								
उपचित ब्याज								
प्राप्य लाभांश								
बही शेष								
निवेशों की बिक्री के लिए प्राप्य								
अन्य चालू आस्तियाँ (निवेशों के लिए)								
घटाएँ: चालू देयताएँ								
निवेशों के लिए देय								
देय निधि प्रबंध प्रभार								

अन्य चालू देयताएँ (निवेशों के लिए)								
उप जोड़ (ख)								
अन्य निवेश (<=25%)								
निगमित बांड								
बुनियादी संरचना बांड								
ईक्विटी								
म्युचुअल फंड								
अन्य								
उप जोड़ (ग)								
कुल (क + ख + ग)								
आगे ले जाई गई निधि (एलबी2 के अनुसार)								

दिनांक:

हस्ताक्षर:
पूरा नाम:
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सभी वियोजित यूनिट-निधियों के कुल योग का समाधान दोनों सहभागी और लाभरहित व्यवसाय के लिए फार्म 3ए (भाग क) की मद ग के साथ होना चाहिए।
2. बीमांकिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए कुल व्यय का विवरण "बीमाकर्ता द्वारा अपने यूनिट लिंक्ड व्यवसाय के लिए बनाए गए अलग-अलग फंडों के लिए शुद्ध संपत्ति मूल्यों का विवरण" फॉर्म 3 ए (भाग बी) के साथ मिलान किया जाएगा।
3. समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए(2) के अंतर्गत अन्य निवेश की अनुमत रूप में है।
4. निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3ए
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या: **भाग - ग**
फार्म 3ए (भाग ख) के साथ संबद्ध करें
विवरण की संबंधित अवधिः
प्रस्तुति की आवधिकताः तिमाही
वियोजित निधियों के एनएवी का विवरण

करोड़ रुपये

सं.	निधि का नाम	एसएफआईएन	प्रारंभ का दिनांक	सहभागी/गैर-सहभागी	उपर्युक्त दिनांक को प्रबंध के अंतर्गत आस्तियाँ	एलबी 2 के अनुसार एनएवी	उपर्युक्त दिनांक * को एनएवी	पिछली तिमाही का एनएवी	दूसरी पिछली तिमाही का एनएवी	तीसरी पिछली तिमाही का एनएवी	चौथी पिछली तिमाही का एनएवी	प्रतिलाभ/प्रतिफल	3 वर्षीय आवर्ती सीएजीआर	प्रारंभ के बाद उच्चतम एनएवी
1	वियोजित निधि 1													
2	वियोजित निधि 2													
3	वियोजित निधि एन													
					कुल									

<u>प्रमाणीकरण</u>
प्रमाणित किया जाता है कि सभी वियोजित निधियों के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करने के बाद बोर्ड द्वारा उसकी समीक्षा की गई है। यहाँ दी गई सारी सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात नहीं छिपाई गई है अथवा गुप्त रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:
पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. ** एनएवी प्रकाशित एनएवी को सूचना देने की तारीख को प्रतिबिंबित करना चाहिए।*
2. *एनएवी 4 दशमलव तक होना चाहिए।*
3. *निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।*

फार्म - 3ए
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें) **भाग - घ**
बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या: **फार्म 3ए (भाग क) के साथ संबद्ध करें**
विवरण की स्थिति की तारीख:
निधियों में वृद्धि का विवरण
(भारत के अंदर व्यवसाय)
'प्रस्तुति की आवधिकता : तिमाही

करोड़ रुपये

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष (1)	कुल का % (क)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि (2)	कुल वृद्धि में से %	कुल (1+2)	कुल का % (1+2)
क	**जीवन निधि**							
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	25% से अन्यून						
2	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	50% से अन्यून						
3	**एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश**							
	क. आवास और बुनियादी संरचना	15% से अन्यून						
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ख. (i) अनुमोदित निवेश	35% से अनधिक						
	(ii) अन्य निवेश (15% से अधिक न हों)							

कुल (क) _____

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष (1)	कुल का % (ख)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि (2)	कुल वृद्धि का %	कुल (1+2)	कुल का % (1+2)
ख	**पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय**							
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20% से अन्यून						
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)	40% से अन्यून						
3	अनुमोदित निवेश में शेष	60% से अनधिक						

कुल (ख) _____

सं.	निवेशों की श्रेणी	पीओआई	प्रारंभिक शेष (1)	कुल का % (ग)	तिमाही के लिए निवल वृद्धि (2)	कुल वृद्धि का %	कुल (1+2)	कुल का % (1+2)
ग	**संबद्ध निधियाँ**							
1	अनुमोदित निवेश	75% से अन्यून						
2	अन्य निवेश	25% से अनधिक						
		कुल (ग)	**100%**					

<u>प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:
पूरा नाम:
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें) **भाग - ङ**

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

वियोजित निधियों में यूलिप उत्पादों के निवेश का विस्तृत विवरण

(भारत के अंदर व्यवसाय) करोड़ रुपये

`प्रस्तुति की आवधिकता : तिमाही

वियोजित निधियों [एसएफआईएन] में "यूलिप" उत्पादों [यूआईएन] के निवेश का विस्तृत विवरण				
अंतर्वाह	**यूआईएन1**	**यूआईएन2**	**यूआईएन एन**	**'एन' में से कुल यूआईएन `1'**
प्रीमियम				
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
कुल (क)				
बहिर्वाह				
कमीशन				
प्रभार				
दावे				
अन्य				
कुल (ख)				
कुल ग = (क-ख)				
उपर्युक्त "ग" पर पॉलिसी निधियाँ निम्नलिखित को आबंटित				
एसएफआईएन 1				
एसएफआईएन 2				
एसएफआईएन एन				
कुल (घ)				
अंतर (यदि कोई हो) ङ = (ग-घ)				

प्रमाणीकरण:

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात नहीं छिपाई गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1.यूआईएन यूलिप उत्पादों के अंतर्गत अनुमोदित "फाइल एण्ड यूज़" के अनुसार विशिष्ट उत्पाद संख्या को निरूपित करती है।
2. एसएफआईएन उत्पाद अनुमोदन समिति द्वारा यथाअनुमोदित वियोजित निधि पहचान संख्या को निरूपित करती है।
3. निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3बी
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या:
विवरण की स्थिति की तारीख **भाग - क**
निवेश आस्तियों का विवरण (पुनर्बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता)
(भारत के अंदर व्यवसाय)
प्रस्तुति की आवधिकता: तिमाही खंड I
करोड़ रुपये

सं.	विवरण	अनुसूची ++	राशि
1	निवेश (शेयरधारक)	8	
	निवेश (पॉलिसीधारक)	8क	
2	ऋण	9	
3	अचल आस्तियाँ	10	
4	चालू आस्तियाँ		
	क. नकदी और बैंक शेष	11	
	ख. अग्रिम और अन्य आस्तियाँ	12	
5	चालू देयताएँ		
	क.चालू देयताएँ	13	
	ख. प्रावधान	14	
	ग. विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
	घ. लाभ और हानि लेखे का नामे शेष		
	तुलन-पत्र के अनुसार निधियों का उपयोग (क)		**0**

सं.	**घटाएँ: अन्य आस्तियाँ**	अनुसूची ++	राशि
1	ऋण (यदि कोई हों)	9	
2	अचल आस्तियाँ (यदि कोई हों)	10	
3	नकदी और बैंक शेष (यदि कोई हो)	11	
4	अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (यदि कोई हों	12	
5	चालू देयताएँ	13	
6	प्रावधान	14	
7	विविध व्यय, नहीं अपलिखित	15	
8	भारत के बाहर धारित निवेश		
9	लाभ और हानि लेखे का नामे शेष		
	ख	**कुल**	**0**
		(ख)	———
	फार्म 3बी के अनुसार `निवेश आस्तियाँ'	**(क-ख)**	**0**

खंड II

सं.	**'निवेश' निम्न रूप में निरूपित**	विनियम %	एसएच		पीएच	बही मूल्य (एसएच + पीएच)	% वास्तविक	एफ वीसी राशि	कुल	बाजार मूल्य (ज)
			शेष	एफआरएसएम+						
			(क)	(ख)	(ग)	घ = (क+ख+ग)	ङ = (घ-क) %	(च)	(छ)=(घ+च)	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20% से अन्यून								
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य	30% से अन्यून								

	अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)									
3	**एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश**									
	क. आवास और एफईई के लिए एसजी को आवास / बुनियादी संरचना और ऋण	15% से अन्यून								
	1. अनुमोदित निवेश									
	2. अन्य निवेश									
	ख. अनुमोदित निवेश	55% से अनधिक								
	ग. अन्य निवेश									
	निवेश आस्तियाँ	**100%**								

आवास और बुनियादी ढांचा आवासीय एवं क्षेत्र में निवेश सुलह

'निवेश' निम्न रूप में निरूपित	**विनियम के अनुसार %**	**एसएच**		**पी एच**	**बही मूल्य (एसएच + पीएच)**	**% वास्तविक**	**एफ वीसी राशि**	**कुल**	**बाजार मूल्य (ज)**
		शेष	**एफआरएसएम+**						
		(क)	**(ख)**	**(ग)**	**घ = (क+ख+ग)**	**ङ = (घ-क) %**	**(च)**	**(छ)=(घ+च)**	
3 क. (2) + 3 ग उपरोक्त	15% से अनधिक								
1, 2 और 3 से कुल आवास और बुनियादी ढाँचा	15% से अन्यून								

प्रमाणीकरण:
प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है और गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:
पूरा नाम:
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. (+) एफआरएसएम 'ऋण शोधन क्षमता सीमा को निरूपित करने वाली निधियों' को द्योतित करता है।
2. अन्य निवेशों को समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम 1938 के 27ए (2) के अंतर्गत अनुमति दी गई है।
3. निवेश का स्वरूप दोनों ऋण शोधन क्षमता सीमा को निरूपित करनेवाली शेयरधारकों की निधियों और पॉलिसीधारकों की निधियों पर लागू है।
4. एक्सपोज़र मानदंड ऋण शोधन क्षमता सीमा से अधिक धारित, एक अलग अभिरक्षा खाते में धारित निधियों पर लागू होंगे।
5. अनुसूची(++) विनियम के अनुसार तैयार किये गये तुलन-पत्र की अनुसूचियों का द्योतन करती है।
6. निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 3बी
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नामः **भाग - ख**

पंजीकरण संख्याः

विवरण की स्थिति की तारीखः

आस्तियों की वृद्धि का विवरण

(भारत के अंदर व्यवसाय) करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवधिकताः तिमाही

सं.	**निवेशों की श्रेणी**	**सीओआई**	**प्रारंभिक शेष**	**प्रारंभिक शेष का %**	**तिमाही के लिए निवल वृद्धि**	**कुल उपचय का %**	**कुल**	**कुल का %**
			(क)		**(ख)**		**(क+ख)**	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ							
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपर्युक्त (i) सहित)							
3	**एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश**							
	क. आवास और एफएफई के लिए एसजी को आवास और ऋण							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ख. बुनियादी संरचना निवेश							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ग. अनुमोदित निवेश							
	घ. अन्य निवेश (15% से अनधिक)							
	कुल							

प्रमाणीकरणः

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

पूरा नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. कुल (क+ख), निधि वार फार्म 3बी (भाग क) में दर्शाये गये आंकड़ों के साथ मेल खाना चाहिए।
2. निवेश की श्रेणी (सीओआई) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

फार्म - 4
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नामः
पंजीकरण संख्याः **भाग ख**
विवरण की स्थिति की तारीखः

निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों पर आंतरिक/ समवर्ती लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र - कार्यान्वयन की स्थिति

सं.	अनुबंध संदर्भ	लेखापरीक्षा उद्देश्य	लेखापरीक्षा टिप्पणी	अननुपालन की गंभीरता	अनुपालन के लिए की गई कार्रवाई	अपेक्षा का पालन करने के लिए आईआरडीएआई को बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा प्रतिबद्ध एमएमएम/वाईवाईवाईवाई	अपेक्षा का पालन करने के लिए लेखापरीक्षक को बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया (या) प्रदर्शित किया गया प्रमाण	प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने के संबंध में आईआरडीएआई को सूचित निर्धारित `समय-सीमा' के अननुपालन पर बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	**पिछली तिमाही (तिमाहियों) के विषय**							
ख	**वर्तमान तिमाही में अनुपालन किये जानेवाले विषय**							

<u>प्रमाणपत्र</u>

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त तिमाही के लिए निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा पिछली तिमाही (तिमाहियों) के लंबित विषयों के कार्यान्वयन पर आईआरडीएआई को सूचित किये जानेवाले सभी विषय [आईआरडीएआई को प्रतिबद्ध रूप में] जारी किये गये सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध रूप में उपर्युक्त सारणी में सम्मिलित किये गये हैं।

सनदी लेखाकार
(आंतरिक/समवर्ती लेखापरीक्षक)

स्थान:
दिनांक:

<u>टिप्पणी:</u>
1. सं. (उपर्युक्त सारणी में स्तंभ 1 के अंतर्गत) निवेश जोखिम प्रबंध प्रणालियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र के अनुबंध (अनुबंधों) के अनुसार होगा।
2. यदि सभी विषयों का अनुपालन किया गया हो और सूचित करने के लिए कोई विषय न हो, तो एक शून्य (निल) रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए।

फार्म - 4ए
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें) **भाग क**
बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख: फार्म 3ए/3बी के अनुसार तिमाही के लिए कुल निवेश आस्ति:

एक्सपोज़र मानदंड अनुपालन - निवेशिती कंपनी

करोड़ रुपये

सं.	निवेशिती कंपनी	इनमें से क्या है (ईक्विटी/ कर्ज)	ईक्विटी		कर्ज + अन्य		ईक्विटी+ कर्ज+ अन्य		विचलन राशि		
			विनियम 6 (3) के खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा	वास्तविक	विनियम 6 (3) के खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा	वास्तविक	विनियम 6 (3) के खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा	वास्तविक	ईक्विटी	(कर्ज+ अन्य)	ईक्विटी + कर्ज+ अन्य

प्रमाणीकरण :
प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर:

दिनांक: **पूरा नाम:**

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग तथा प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग रूप से और प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।
2. केवल ऋणात्मक विचलनों की ही सूचना दी जानी चाहिए।
3. एक्सपोज़र गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

फार्म - 4ए
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नाम: **भाग ख**
पंजीकरण संख्या:

फार्म3ए/3बी के अनुसार तिमाही के लिए कुल निवेश आस्ति:

विवरण की स्थिति की तारीख: करोड़ रुपये

एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन - प्रवर्तक समूह

सं.	समूह कंपनी का नाम	विनियम 6 (3) के खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा	वास्तविक निवेश	वास्तविक निवेश (संचयी)	विचलन
क	ख	ग	घ	ङ	च=ग-ङ

<u>प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर:
दिनांक: **पूरा नाम:**
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सारणी का संकलन उसके कुल निवेशों के कुल योग में किया जाएगा।
2. एक्सपोज़र गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

फार्म - 4ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें) **भाग ग**

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख:

करोड़ रुपये

फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश आस्ति:

एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन - सामूहिक

सं.	**समूह कंपनी का नाम**	**विनियम 6 (3) के खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा**	**वास्तविक निवेश**	**विचलन**
क	ख	ग	घ	ङ=ग-घ

कुल

<u>प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर:

दिनांक: **पूरा नाम:**

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1.उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग तथा प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग से और उसकी कुल निवेश आस्तियों के संदर्भ में प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।

2. एक्सपोज़र गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य के आधार पर तथा यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

3. स्तंभ 'घ' के कुल योग का फार्म 3ए के अनुसार कुल निवेश आस्तियों के साथ समाधान होना चाहिए।

फार्म - 4ए

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)

बीमाकर्ता का नाम: **भाग घ**

पंजीकरण संख्या:

विवरण की स्थिति की तारीख: करोड़ रुपये

फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश आस्ति:

उद्योग क्षेत्र में एक्सपोज़र

सं.	**उद्योग क्षेत्र का नाम (विनियमों के अनुसार)**	**विनियम 6 (3) के खंड 8 के अनुसार पात्रता की सीमा**	**वास्तविक निवेश**	**विचलन**
क	ख	ग	घ	ङ=ग-घ

कुल

<u>प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है।

हस्ताक्षर:

दिनांक: **पूरा नाम:**

वित्त का प्रमुख

<u>टिप्पणी:</u>

1.उपर्युक्त सारणी का संकलन जीवन, पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक व्यवसाय के लिए अलग-अलग एवं प्रत्येक वियोजित निधि (एसएफआईएन) के लिए अलग से और उसकी कुल निवेश आस्तियों के संदर्भ में प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर किया जाएगा।

2. एक्सपोज़र गैर-यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बही मूल्य पर और यूनिट सहबद्ध निधियों के लिए बाजार मूल्य पर होगा।

3. स्तंभ 'घ' के कुल योग का समाधान फार्म 3ए के अनुसार निवेश आस्तियों के साथ होना चाहिए।

फार्म - 5
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या:
विवरण की स्थिति की तारीख:
निवेश समाधान का विवरण **निधि का नाम:** _____

(भारत के अंदर व्यवसाय)

करोड़ रुपये

प्रस्तुति की आवधिकता : तिमाही

सं.	निवेशों की श्रेणी	सीओआई	प्रारंभिक शेष		अवधि के लिए खरीद		अवधि के लिए बिक्री		समायोजन		अंतिम शेष			कुल का % (1+2+3)
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ													
										कुल (1)				
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ													
										कुल [1+2]				
3	**एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश**													
	(क) आवास/एफएफई के लिए राज्य सरकार को आवास और ऋण													
	1. अनुमोदित निवेश													
	2. अन्य निवेश													
										कुल [3(क)]				
	(ख) बुनियादी संरचना निवेश													
	1. अनुमोदित निवेश													
	2. अन्य निवेश													
										कुल [3(ख)]				
	(ग) अनुमोदित निवेश													
										कुल [3(ग)]				

	(घ) अन्य निवेश													
										कुल (3(घ))				
										कुल [3 (क+ख+ग+घ)]				
	कुल									कुल (1+2+3)				

<u>प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शेयर बाजार पर निष्पादित सभी नकदी बाजार लेनदेन केवल वितरण के आधार पर ही किये गये हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर _____
पूरा नाम और पदनाम
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त प्रत्येक प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत वैयक्तिक श्रेणियों को श्रेणी कूट के साथ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
2. फार्म-5 प्रत्येक निधि के संबंध में तैयार किया जाएगा। यूलिप के मामले में फार्म 5 वियोजित निधि (एसएफआईएन) स्तर पर और समेकित स्तर पर भी तैयार किया जाएगा।
3. फार्म-5 का प्रत्येक उप-जोड़ फार्म 3ए/ फार्म 3बी के भाग-क में उसके तदनुरूपी शीर्ष के साथ संबद्ध किया जाएगा।
4. समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए(2) के अंतर्गत अन्य निवेशों की अनुमत है।
5. 'कुल का **%** ' स्तंभ, असंबद्ध निधियों के मामले में बही मूल्य पर संगणित किया जाएगा तथा संबद्ध निधियों के मामले में इसकी संगणना बाजार मूल्य के साथ होगी।

फार्म - 6
(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)
बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या: निधि का नाम: _____
विवरण की स्थिति की तारीख:
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27क(6) के अंतर्गत प्रमाणपत्र करोड़ रुपये
प्रस्तुति की आवधिकता : तिमाही

सं.	निवेश का विवरण	निम्नलिखित की अभिरक्षा में						
		बैंक / अभिरक्षा (रुपये)		स्वयं (रुपये)		अन्य (रुपये)		कुल (रुपये)
		शेयरधारक	पॉलिसीधारक	शेयरधारक	पॉलिसीधारक	शेयरधारक	पॉलिसीधारक	शे.धा. + पॉ.धा.
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ							
2	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ							
3	एक्सपोज़र मानदंडों के अधीन निवेश							
	क. आवास और एफएफई के लिए राज्य सरकार को आवास और ऋण							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ख. बुनियादी संरचना निवेश							
	1. अनुमोदित निवेश							
	2. अन्य निवेश							
	ग. अनुमोदित निवेश							
	घ. अन्य निवेश							
	कुल							

<u>प्रमाणपत्र</u>
हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त प्रतिभूतियाँ उपर्युक्त तारीख को किसी भारग्रस्तता, प्रभार, दृष्टिबंधक, अथवा ग्रहणाधिकार (लियन) से मुक्त रूप में धारित हैं।

हस्ताक्षर: **हस्ताक्षर:** **हस्ताक्षर:** _____
पूरा नाम: _____ **पूरा नाम:** _____ **पूरा नाम:** _____
अध्यक्ष_____ **निदेशक 1** _____ **निदेशक 2** _____

हस्ताक्षर:
पूरा नाम:
प्रधान अधिकारी

टिप्पणी:
1. अभिरक्षक को यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसे समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 1996 के अधीन निरर्हित नहीं किया गया है।
2. जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, फार्म-6 प्रत्येक निधि के संबंध में तथा वियोजित निधियों के लिए कुल मिलाकर तैयार किया जाएगा।
3. प्रमाणपत्र के अंतर्गत मूल्यों को खरीदे गये और निपटान के लिए प्रतीक्षित निवेशों की खरीद / बिक्री के लिए समायोजित किया जाना चाहिए। इस आशय का समाधान प्रमाणपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

फार्म 7

(अनुसूची III के भाग III के खंड 9 के साथ पढ़ें)) **निधि का नाम**

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण संख्या:

(करोड़ रुपये)

सं.	विवरण	बांड / डिबेंचर		ऋण		अन्य कर्ज लिखत		सभी अन्य आस्तियाँ		कुल	
		वाईटीडी (अद्यतन स्थिति)	पिछला वित्तीय वर्ष (31 मार्च को .....)	वाईटी डी (अद्यत न स्थिति)	पिछला वित्तीय वर्ष (31 मार्च को.....)	वाईटी डी (अद्यत न स्थिति)	पिछला वित्तीय वर्ष (31 मार्च को .....)	वाईटी डी (अद्यत न स्थिति)	पिछला वित्तीय वर्ष (31 मार्च को.....)	वाईटी डी (अद्यतन स्थिति)	पिछला वित्तीय वर्ष (31 मार्च को .....)
1	निवेश आस्तियाँ (फार्म 5 के अनुसार)										
2	सकल अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)										
3	निवेश आस्तियों पर सकल एनपीए का % (2/1)										
4	एनपीए के संबंध में किये गये प्रावधान										
5	एनपीए के % के रूप में प्रावधान (4/2)										
6	मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान										
7	निवल निवेश आस्तियाँ (1-4)										
8	निवल एनपीए (2-4)										
9	निवल निवेश आस्तियों से निवल एनपीए का % (8/7)										
10	अवधि के दौरान किया गया अपलेखन										

<u>प्रमाणीकरण</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार इसमें दी गई सूचना सही और संपूर्ण है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि किये गये और विवरणी में समाविष्ट विभिन्न निवेश समय-समय पर यथासंशोधित निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में व्यवस्थित संपूर्ण श्रेणियों के अंदर हैं।

हस्ताक्षर: _____

पूरा नाम:

वित्त का प्रमुख

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त विवरण, 'जीवन' बीमाकर्ताओं के मामले में 'निधि-वार' अर्थात्. जीवन निधि, पेंशन और सामूहिक निधि, यूलिप निधि तथा प्रबंध के अधीन आस्तियों के स्तर पर भी तैयार किया जायेगा।

2. कुल निवेश आस्तियों को फार्म 3ए / 3बी में दर्शाये गये आंकड़ों के साथ समाधान करना चाहिए।
3. सकल एनपीए किन्हीं प्रावधानों के पहले एनपीए के रूप में वर्गीकृत निवेश हैं।
4. 'मानक आस्तियों' के संबंध में किया गया प्रावधान समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र: 32/2/एफ एण्ड ए/परिपत्र/ 169/जन./2006-07 के अनुसार होगा।
5. निवल निवेश आस्तियाँ 'प्रावधानों' को घटाकर हैं।
6. निवल एनपीए प्रावधानों को घटाकर सकल एनपीए हैं।
7. अपलेखन बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में है।

बीमाकर्ता का नाम: **फार्म - डी01**

पंजीकरण संख्या: **रिपोर्ट की तारीखः**

यूलिप संविभाग का दैनिक समाधान

विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)	उत्पाद का नाम	वियोजित निधि पहचान संख्या (एसएर्फआईएन)	निधि का नाम	जीवन/ सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली					
				प्रारंभिक यूनिट पूँजी (दिन के प्रारंभ में) (राशि रुपये में)	प्रारंभिक यूनिट (दिन के प्रारंभ में) (यूनिटों की संख्या)	दिन के लिए संगृहीत अथवा प्रतिदत्त निवल राशि (प्रभारों को घटाकर) (राशि रुपयों में)	दिन के लिए आबंटित अथवा प्रतिदत्त निवल यूनिट (यूनिटों की संख्या)	अंतिम यूनिट पूँजी (दिन की समाप्ति पर) (राशि रुपयों में)	अंतिम यूनिट (दिन की समाप्ति पर) (यूनिटों की संख्या)
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ) = (क) + (ग)	(च) = (ख) + (घ)
एक्स	ए	एक्सवाईजेड	निधि का नाम 1						
वाई	बी								
जेड	सी								
			उप जोड़						
एल	डी	एबीसी	निधि का नाम 'एन'						
एम	ई								
			उप जोड़						

निवेश प्रबंध प्रणाली										
एसएफआईएन	निधि का नाम	प्रारंभिक निधि मूल्य (दिन के प्रारंभ में)	प्रारंभिक यूनिट (दिन के प्रारंभ में) (यूनिटों की संख्या)	दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त निधि मूल्य	दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त यूनिट	दिन के लिए निवेश आय (अप्राप्त लाभ/हानि सहित)	दिन के लिए घटाये गये एफएमसी प्रभार	अंतिम निधि मूल्य (दिन की समाप्ति पर)	अंतिम यूनिट (दिन की समाप्ति पर) (यूनिटों की संख्या)	प्रति यूनिट घोषित एनएवी
		(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ट)	(ठ)	(ड) = (छ)+(झ)+(ट)-(ठ)	(ढ) = (ज) + (ञ)	(ण) = (ड) / (ढ)
	निधि 1									
	निधि 2									
	निधि 'एन'									

टिप्पणियाँ:

1. पिछले एनएवी दिन की जीवन/सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक यूनिट [(ख) देखें] निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ज) देखें]
2. निवेश प्रबंध प्रणाली में दिन के लिए निर्मित या प्रतिदत्त अतिरिक्त निधि या यूनिट [(झ) और (ञ) देखें] जीवन/सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार संगृहीत या प्रतिदत्त निवल राशि या यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ग) और (घ) देखें]

3. पिछले एनएवी दिन की जीवन/ सामूहिक पॉलिसी प्रबंध प्रणाली के अनुसार अंतिम यूनिट [(च) देखें] निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार अंतिम यूनिटों के साथ समाधान करेंगे [(ढ) देखें]
4. प्रति यूनिट घोषित एनएवी [(ण) देखें] अवश्य जीवन बीमा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रति यूनिट एनएवी के साथ समाधान करेगा।
5. जीवन/सामूहिक प्रबंध प्रणाली में दिन "टी" में यूनिट की घट-बढ़ एक कार्यदिवस अर्थात् टी+1 के अधिकतम समयांतर के साथ निवेश प्रबंध प्रणाली में प्रवाहित होगी।

एक्सवाईजेड जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
उत्पाद मूल्य का विवरण
पंजीकरण संख्या: **फार्म - डी02**

पॉलिसीधारक आईडी लाग-इन तारीख दिन/माह/वर्ष
पॉलिसीधारक का नाम
पता:

भाग - क

उत्पाद	**यूआईएन**	**प्रीमियम टॉप-अप सहित (रुपये)**	**प्रीमियम आबंटन प्रभार (रुपये)**	**आबंटित निधियाँ (रुपये)**	**पॉलिसी प्रबंध प्रणाली (पीएएस) के अनुसार यूनिट**	**प्रति यूनिट मूल्य (रुपये)**	**उत्पाद मूल्य (रुपये)**
जेडएक्सवाई प्रीमियम प्लस							

[क]

भाग - ख **रुपये**

विवरण	**एसएफआईएन.....**	**एसएफआईएन.....**	**Σ एसएफआईएन**
निधि का नाम	**निधि एक्स**	**निधि वाई**	**कुल**
यूनिट (निवेश प्रबंध प्रणाली के अनुसार)			
आबंटन का प्रतिशत (लाग-इन तारीख को)	**%**	**%**	**%**
आबंटित निधियाँ			
स्विच इन			
स्विच आउट			
आहरण			
प्रभार			
आबंटन प्रभार			
स्विच प्रभार			
पॉलिसी प्रबंध प्रभार			
मृत्यु-दर प्रभार			
अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट करें)			
जीएसटी			
वियोजित निधियों में निवेशित कुल राशि			
वर्तमान एनएवी			
लाग-इन तारीख को निधि मूल्य:			

[ख]

भाग - ग (उत्पाद सांख्यिकी)

दिन/माह/वर्ष से दिन/माह/वर्ष तक अंतरिम रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बीमा रक्षा	
प्रारंभ से अदा किया गया कुल प्रीमियम	
बीमा रक्षा के लिए, प्रारंभ से कुल जोखिम प्रीमियम	
लाग-इन तारीख तक आबंटन प्रभार सहित मृत्यु-दर को छोड़कर कुल प्रभार और कटौतियाँ (सेवा प्रभार सहित)	
(ख) और (ग) के बीच अंतर (अप्राप्त लाभ / हानि)	
विनियमों में निर्धारित रूप में निम्नतर दर पर लाभ निदर्शन के अनुसार निवल निवेश पर संविभाग मूल्य	
विनियमों में निर्धारित उच्चतर दर से लाभ निदर्शन के अनुसार निवल निवेश पर संविभाग मूल्य	

टिप्पणी:

1. उत्पाद संविभाग मूल्य उत्पाद में सभी निधि मूल्यों का कुल योग होगा।
2. प्रति यूनिट उत्पाद मूल्य प्रारंभिक यूनिटों द्वारा कुल निधि मूल्य को विभाजित करने के बाद प्राप्त किया जाएगा।
3. समेकित उत्पाद मूल्य, उत्पाद मूल्यों का पूर्ण योग करने तथा उसे समेकित प्रारंभिक यूनिटों से विभाजित करने के द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
4. उत्पाद मूल्य सभी वर्तमान प्रकटीकरणों और परिकलनों के अतिरिक्त होगा।
5. वर्तमान निर्धारित प्रथाएँ जारी रहेंगी।

अनुबंध बीमांकन - 1

फार्म एच

(अनुसूची I के भाग III (बी) के विनियम 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ____
को मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण

बीमाकर्ता का नामः फार्म कूटः पंजीकरण की तारीखः
पंजीकरण संख्याः

मद सं.	प्रकार	व्यवसाय की श्रेणी	गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत सहित)
(1)		(2)	(3)
		भारत के अंदर व्यवसायः	
01	**सहभागी**	असंबद्ध व्यवसाय	
02		सहबद्ध व्यवसाय	
03		वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय	
04		वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय	
05		कुल (मद (1) से (4) तक का योग)	
06	**लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)**	असंबद्ध व्यवसाय	
07		सहबद्ध व्यवसाय	
08		वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय	
09		वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय	
10		कुल (मद (6) से (9) तक का योग)	
11		**कुल जोड़ (मद (5) और (10) का योग)**	
		कुल व्यवसायः	
12	**सहभागी**	असंबद्ध व्यवसाय	
13		सहबद्ध व्यवसाय	
14		वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय	
15		वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय	
16		कुल (मद (12) से (15) तक का योग)	
17	**लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)**	असंबद्ध व्यवसाय	
18		सहबद्ध व्यवसाय	
19		वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय	
20		वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय	
21		कुल (मद (17) से (20) तक का योग)	
22		**कुल जोड़ (मद (16) से (21) तक का योग)**	

टिप्पणीः

1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए

2 गणितीय रिज़र्व स्तंभ (3) में आबंटित बोनसों की लागत सहित दिये जाएँगे

फार्म एनएलबी

अनुबंध बीमांकन- 1 (जारी) **(अनुसूची I के भाग III (बी) के विनियम 2 (2) देखें)**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024
निम्नलिखित तारीख को पॉलिसियों का सारांश और मूल्यांकन
31 मार्च _____

बीमाकर्ता का नामः पंजीकरण की तारीखः फार्म कूटः
वर्गीकरणः पंजीकरण संख्याः वर्गीकरण कूटः
प्रकारः प्रकार कूटः

मद सं.	उप-वर्ग	विवरण	पॉलिसियों संबंधी ब्योरा								मूल्यांकन विवरण											
			पॉलिसियों की संख्या	जीवनों की संख्या	मृत्यु पर बीमित राशि / अनुवृद्धि	परिपक्वता पर बीमित राशि	निहित बोनस	वार्षिकी प्रति वर्ष	अन्य, यदि कोई हो	वार्षिकीकृत प्रीमियम	सभी लाभ (उदा. मृत्यु, परिपक्वता, गारंटीकृत परिवर्धन आदि)	वार्षिकी	निहित बोनस	भावी बोनस	आबंटित बोनस की लागत	अंतिम बोनस	व्यय और कमीशन	भावी प्रीमियम	गणितीय रिज़र्व (समायोजन से पूर्व)	ऋणात्मक रिज़र्व समायोजन	अभ्यर्पण मूल्य न्यूनता आरक्षित	समायोजित गणितीय रिज़र्व
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		वैयक्तिक व्यवसाय																				
01	जीवन व्यवसाय	पुनर्बीमा से पहले																				
02		पुनर्बीमा के बाद																				

03	पेंशन	पुनर्बीमा से पहले																					
04		पुनर्बीमा के बाद																					
05	सामान्य वार्षिकी	पुनर्बीमा से पहले																					
06		पुनर्बीमा के बाद																					
07	स्वास्थ्य	पुनर्बीमा से पहले																					
08		पुनर्बीमा के बाद																					
		सामूहिक व्यवसाय																					
	जीवन व्यवसाय	**एक वर्ष के लिए गारंटीकृत प्रीमियमः**																					
09		पुनर्बीमा से पहले																					
10		पुनर्बीमा के बाद																					
		एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियमः																					
11		पुनर्बीमा से पहले																					
12		पुनर्बीमा के बाद																					
13	पेंशन	पुनर्बीमा से पहले																					
14		पुनर्बीमा के बाद																					
15	सामान्य वार्षिकी	पुनर्बीमा से पहले																					
16		पुनर्बीमा के बाद																					
17	स्वास्थ्य	पुनर्बीमा से पहले																					
18		पुनर्बीमा के बाद																					
		कुल व्यवसाय																					
19	कुल जोड़	पुनर्बीमा से पहले																					
20		पुनर्बीमा के बाद																					

टिप्पणियाँ:

1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए

2 स्तंभ(19) = स्तंभ (11) + स्तंभ(12) + स्तंभ (13) + स्तंभ (14) + स्तंभ (15) + स्तंभ(16) + स्तंभ (17) - स्तंभ (18)

3	स्तंभ (22) = स्तंभ (19) + स्तंभ (20)+ स्तंभ (21)

फार्म एलबी

अनुबंध बीमांकन- 1 (जारी) **(अनुसूची I के भाग III (बी) के विनियम 2 (2) देखें)**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च _____

को पॉलिसियों का सारांश और मूल्यांकन

बीमाकर्ता का नामः पंजीकरण की तारीखः

वर्गीकरणः पंजीकरण संख्याः फार्म कूटः

प्रकारः वर्गीकरण कूटः

प्रकार कूटः

श्रेणी कूटः

श्रेणीः

मद सं.	उप-वर्ग	विवरण	पॉलिसियों संबंधी ब्योरा						मूल्यांकन विवरण							
			पॉलिसियों की संख्या	जीवनों की संख्या	मृत्यु पर देय लाभ / अनुवृद्धि लाभ	परिपक्वता लाभ	अन्य लाभ	वार्षिक प्रीमियम	यूनिटों की संख्या	यूनिटों का मूल्य	गैर-यूनिट मूल्य / सामान्य निधि आरक्षित	बोनस की लागत	ऋणात्मक रिज़र्वों से पहले एमआर	ऋणात्मक रिज़र्व समायोजन	अभ्यर्पण मूल्य न्यूनता आरक्षित	कुल रिज़र्व

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		वैयक्तिक व्यवसाय														
	जीवन	गारंटियों के साथः														
01	व्यवसाय	पुनर्बीमा से पहले														
02		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
03		पुनर्बीमा से पहले														
04		पुनर्बीमा के बाद														
	पेंशन	गारंटियों के साथः														
05		पुनर्बीमा से पहले														
06		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
07		पुनर्बीमा से पहले														
08		पुनर्बीमा के बाद														
	सामान्य	गारंटियों के साथः														
09	वार्षिकी	पुनर्बीमा से पहले														
10		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिना														
11		पुनर्बीमा से पहले														
12		पुनर्बीमा के बाद														
	स्वास्थ्य	गारंटियों के साथः														
13		पुनर्बीमा से पहले														
14		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
15		पुनर्बीमा से पहले														
16		पुनर्बीमा के बाद														
		सामूहिक व्यवसाय														
	जीवन	गारंटियों के साथः														
17	व्यवसाय	पुनर्बीमा से पहले														
18		पुनर्बीमा के बाद														

		गारंटियों के बिनाः														
19		पुनर्बीमा से पहले														
20		पुनर्बीमा के बाद														
	पेंशन	गारंटियों के साथः														
21		पुनर्बीमा से पहले														
22		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
23		पुनर्बीमा से पहले														
24		पुनर्बीमा के बाद														
	सामान्य	गारंटियों के साथ														
25	वार्षिकी	पुनर्बीमा से पहले														
26		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
27		पुनर्बीमा से पहले														
28		पुनर्बीमा के बाद														
	स्वास्थ्य	गारंटियों के साथः														
29		पुनर्बीमा से पहले														
30		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
31		पुनर्बीमा से पहले														
32		पुनर्बीमा के बाद														
		कुल व्यवसाय														
	कुल	गारंटियों के साथः														
33	जोड़	पुनर्बीमा से पहले														
34		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
35		पुनर्बीमा से पहले														
36		पुनर्बीमा के बाद														

टिप्पणियाँ :

1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए

2 स्तंभ (14) = स्तंभ (11) + स्तंभ (12) + स्तंभ (13)

3	स्तंभ (17) = स्तंभ (14) + स्तंभ (15) + स्तंभ(16)

फार्म वीआईपीएनएलबी

अनुबंध बीमांकन- 1 (जारी)

(अनुसूची I के भाग III (बी) के विनियम 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च _____

को पॉलिसियों संबंधी सारांश और मूल्यांकन

बीमाकर्ता का नामः	पंजीकरण की तारीखः	फार्म कूटः
वर्गीकरणः	पंजीकरण संख्याः	वर्गीकरण कूटः
प्रकारः		प्रकार कूटः
श्रेणीः		श्रेणी कूटः

मद सं.	उप-वर्ग	विवरण	पॉलिसियों संबंधी ब्योरा								मूल्यांकन विवरण											
			पॉलिसियों की संख्या	जीवनों की संख्या	मृत्यु पर बीमित राशि / अनुवृद्धि	परिपक्वता पर बीमित राशि	निहित बोनस	वार्षिकी प्रति वर्ष	अन्य, यदि कोई हो	वार्षिकीकृत प्रीमियम	सभी लाभ (उदा. मृत्यु, परिपक्वता, गारंटीकृत परिवर्धन आदि)	वार्षिकी	निहित बोनस	भावी बोनस	आबंटित बोनस की लागत	अंतिम बोनस	व्यय और कमीशन	भावी प्रीमियम	गणितीय रिज़र्व (समायोजन से पूर्व)	ऋणात्मक रिज़र्व समायोजन	अभ्यर्पण मूल्य न्यूनता आरक्षित	समायोजित गणितीय रिज़र्व
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	13)	(14)	(15)	16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

		वैयक्तिक व्यवसाय																				
01	जीवन व्यवसाय	पुनर्बीमा से पहले																				
02		पुनर्बीमा के बाद																				
03	पेंशन	पुनर्बीमा से पहले																				
04		पुनर्बीमा के बाद																				
05	सामान्य वार्षिकी	पुनर्बीमा से पहले																				
06		पुनर्बीमा के बाद																				
07	स्वास्थ्य	पुनर्बीमा से पहले																				
08		पुनर्बीमा के बाद																				
		सामूहिक व्यवसाय																				
	जीवन व्यवसाय	**एक वर्ष के लिए गारंटीकृत प्रीमियमः**																				
09		पुनर्बीमा से पहले																				
10		पुनर्बीमा के बाद																				
		एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियमः																				
11		पुनर्बीमा से पहले																				
12		पुनर्बीमा के बाद																				
13	पेंशन	पुनर्बीमा से पहले																				
14		पुनर्बीमा के बाद																				
15	सामान्य वार्षिकी	पुनर्बीमा से पहले																				
16		पुनर्बीमा के बाद																				
17	स्वास्थ्य	पुनर्बीमा से पहले																				
18		पुनर्बीमा के बाद																				
		कुल व्यवसाय																				
19	कुल जोड़	पुनर्बीमा से पहले																				
20		पुनर्बीमा के बाद																				

टिप्पणियाँ :

1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए

स्तंभ(19)= स्तंभ (11) + स्तंभ(12) + स्तंभ(13) + स्तंभ (14) + स्तंभ (15)+ स्तंभ (16) +

2 स्तंभ (17) - स्तंभ (18)

3 स्तंभ(22)= स्तंभ (19) + स्तंभ(20) + स्तंभ(21)

फार्म वीआईपीएलबी

अनुबंध बीमांकन- 1 (जारी) **(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ___

को पॉलिसियों का ब्योरा और मूल्यांकन विवरण

बीमाकर्ता का नामः	पंजीकरण की तारीखः पंजीकरण	फार्म कूटः
वर्गीकरणः	संख्याः	वर्गीकरण कूटः प्रकार
प्रकारः		कूटः
श्रेणीः		श्रेणी कूटः

मद सं.	उप-वर्ग	विवरण	पॉलिसियों संबंधी ब्योरा						मूल्यांकन विवरण						
			पॉलिसियों की संख्या	जीवनों की संख्या	मृत्यु पर देय लाभ / अनुवृद्धि लाभ	बीमित परिपक्वता लाभ	अन्य लाभ	वार्षिकीकृत प्रीमियम	पॉलिसी खाता मूल्य	गैर-पॉलिसी खाता मूल्य / सामान्य निधि मूल्य	बोनस की लागत	ऋणात्मक रिज़र्वों से पहले एमआर	ऋणात्मक रिज़र्व समायोजन	अभ्यर्पण मूल्य न्यूनता आरक्षित	कुल रिज़र्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		वैयक्तिक व्यवसाय													
		गारंटियों के साथः													

01	जीवन व्यवसाय	पुनर्बीमा से पहले														
02		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
03		पुनर्बीमा से पहले														
04		पुनर्बीमा के बाद														
	पेंशन	**गारंटियों के साथः**														
05		पुनर्बीमा से पहले														
06		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
07		पुनर्बीमा से पहले														
08		पुनर्बीमा के बाद														
	सामान्य वार्षिकी	**गारंटियों के साथः**														
09		पुनर्बीमा से पहले														
10		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
11		पुनर्बीमा से पहले														
12		पुनर्बीमा के बाद														
	स्वास्थ्य	**गारंटियों के साथः**														
13		पुनर्बीमा से पहले														
14		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
15		पुनर्बीमा से पहले														
16		पुनर्बीमा के बाद														
		सामूहिक व्यवसाय														
	जीवन व्यवसाय	**गारंटियों के साथः**														
17		पुनर्बीमा से पहले														
18		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
19		पुनर्बीमा से पहले														
20		पुनर्बीमा के बाद														
	पेंशन	**गारंटियों के साथः**														
21		पुनर्बीमा से पहले														

22		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
23		पुनर्बीमा से पहले														
24		पुनर्बीमा के बाद														
	सामान्य	**गारंटियों के साथः**														
25	वार्षिकी	पुनर्बीमा से पहले														
26		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
27		पुनर्बीमा से पहले														
28		पुनर्बीमा के बाद														
	स्वास्थ्य	**गारंटियों के साथः**														
29		पुनर्बीमा से पहले														
30		पुनर्बीमा के बाद														
		गारंटियों के बिनाः														
31		पुनर्बीमा से पहले														
32		पुनर्बीमा के बाद														
		कुल व्यवसाय														
		गारंटियों के साथः														
33		पुनर्बीमा से पहले														
34	कुल	पुनर्बीमा के बाद														
	जोड़	**गारंटियों के बिनाः**														
35		पुनर्बीमा से पहले														
36		पुनर्बीमा के बाद														

टिप्पणियाँ :

1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए

2 स्तंभ (14) = स्तंभ (11) + स्तंभ (12) + स्तंभ (13)

3 स्तंभ (17) = स्तंभ (14) + स्तंभ (15) + स्तंभ (16)

अनुबंध बीमांकन - 2

फार्म आईए (लाभरहित) (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)
(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च _____
को मूल्यांकन परिणाम

बीमाकर्ता का नामः
वर्गीकरणः
प्रकारः

पंजीकरण की तारीखः
पंजीकरण संख्याः

फार्म कूटः
वर्गीकरण कूटः
प्रकार कूटः

मद सं.		विवरण	तुलन-पत्र में दर्शाया गया निधि शेष	गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत को छोड़कर)	अधिशेष
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01		**भारत के अंदर व्यवसा**			
		असंबद्ध			
	क	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	ख	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
	ग	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी			
	घ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य			
		संबद्ध			
	ङ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	च	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
	छ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी			
	ज	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य			
		वीआईपी			
	झ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	ञ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			

02		**कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ - भारत के अंदर**			
03		**कुल व्यवसाय**			
		असंबद्ध			
	क	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	ख	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
	ग	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी			
	घ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य			
		संबद्ध			
	ङ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	च	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
	छ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी			
	ज	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य			
		वीआईपी			
	झ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन			
	ञ	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन			
04		**कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ**			

टिप्पणियाँ:

1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए

2 स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4)

अनुबंध बीमांकन - 3

फार्म आईए (सहभागी)

(अनुसूची I के भाग III (बी) के विनियम 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ___ **को मूल्यांकन परिणाम**

बीमाकर्ता का नामः
वर्गीकरणः
प्रकारः

पंजीकरण की तारीखः
पंजीकरण संख्याः
प्रकार कूटः

फार्म कूटः
वर्गीकरण कूटः

मद सं.		विवरण	तुलन-पत्र में दर्शाया गया निधि शेष	गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत को छोड़कर)	अधिशेष
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01		**भारत के अंदर व्यवसायः**			
		असंबद्ध			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		असंबद्ध वीआईपी			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		सहबद्ध			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		संबद्ध वीआईपी			
	क	जीवन			

	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
02		**कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ - भारत के अंदर**			
03		**कुल व्यवसाय**			
		असंबद्ध			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		असंबद्ध वीआईपी			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		सहबद्ध			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
		संबद्ध वीआईपी			
	क	जीवन			
	ख	पेंशन			
	ग	वार्षिकी			
	घ	स्वास्थ्य			
04		**कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ**			

टिप्पणियाँ :

1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
2 स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4)

अनुबंध बीमांकन - 4

फार्म आई
(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024
31 मार्च ___ को मूल्यांकन परिणाम

बीमाकर्ता का नामः
वर्गीकरणः

पंजीकरण की तारीखः
पंजीकरण संख्याः

फार्म कूटः
वर्गीकरण कूटः

मद सं.		विवरण	तुलन-पत्र में दर्शाया गया निधि शेष	गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत को छोड़कर)	अधिशेष
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01		**भारत के अंदर व्यवसाय**			
	क	सहभागी पॉलिसियाँ			
	ख	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ			
02		**कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ - भारत के अंदर**			

	03		**कुल व्यवसाय**			
		क	सहभागी पॉलिसियाँ			
		ख	लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ			
	04		**कुल - पॉलिसीधारक निधियाँ**			

टिप्पणियाँ :

1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए।
2 स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4)
3 स्तंभ (3) में दर्शाये गये आंकड़ों में पॉलिसीधारक निधि में अधिशेष शामिल है; यह शेयरधारक निधि में किसी अंतरण के किये जाने से पहले आस्तियों की तुलन-पत्र स्थिति है।
4 (3) में दर्शाये गये आंकड़ों और (5) में दर्शाये गये अधिशेष में भी कुछ खंडों में कमी पूरी करने के लिए पॉलिसीधारक निधि में शेयरधारक अंतरण शामिल है।
5 सममूल्य व्यवसाय के लिए स्तंभ (3) में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक को अदा किये गये अंतरिम और अंतिम बोनस की राशि शामिल नहीं है जो रुपये X है।

अनुबंध बीमांकन - 5

फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए
(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024
31 मार्च _____ को आस्तियों का विवरण

बीमाकर्ता का नामः
वर्गीकरणः

पंजीकरण की तारीखः
पंजीकरण संख्याः

फार्म कूटः
वर्गीकरण कूटः

फार्म एए

ब्योरा (राशि 000' में)	पॉलिसीधारकों का खाता	शेयरधारकों का खाता	कुल
निवेश			
निवेश शेयरधारक अनुसूची 8 .....(ए)			
पॉलिसीधारक अनुसूची- 8ए..... (बी)			
संबद्ध देयताओं की व्यवस्था हेतु धारित आस्तियाँ अनुसूची-8बी.....(सी)			
बीएस# के अनुसार कुल निवेश---------- (डी)=(ए)+(बी)+(सी)			
अस्वीकार्य निवेश आस्तियाँ***.....**(ई)**			
अचल आस्तियाँ			
बीएस के अनुसार अचल आस्तियाँ ---------- (एफ)			
अस्वीकार्य अचल आस्तियाँ*** ---------- (जी)			
चालू आस्तियाँ			
बीएस के अनुसार नकदी और बैंकों में शेष ---------- (एच)			
बीएस के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियाँ ---------- (आई)			
बीएस के अनुसार कुल चालू आस्तियाँ---------- (जे) = (एच) + (आई)			
अस्वीकार्य चालू आस्तियाँ*** ---------- (के)			

चालू देयताएँ और प्रावधान			
बीएस के अनुसार चालू देयताएँ---------- (एल)			
बीएस के अनुसार प्रावधान---------- (एम)			
कुल चालू देयताएँ और प्रावधान ----- (एन) = (एल) + (एम)			
पॉलिसी ऋण			
बीएस के अनुसार पॉलिसी और अन्य स्वीकार्य ऋण ---------- (ओ)			
न्यूनतम शून्य के अधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता----------(पी)			
बीएस के अनुसार कुल आस्तियाँ ---------- (क्यू) = (डी) + (एफ) + (जे) - (एन) + (ओ)			
कुल अस्वीकार्य आस्तियाँ ---------- (आर) = (ई) + (जी) + (के) + (पी)			
शोधन क्षमता के लिए कुल स्वीकार्य आस्तियाँ----(क्यू)-(आर)			

टिप्पणीः पॉलिसीधारक की आस्ति (अनुसूची 8ए) में संबद्ध व्यवसाय की सामान्य निधि देयताओं का समर्थन करनेवाली आस्तियाँ शामिल की जानी चाहिए। तथापि, अनुसूची 8बी में केवल देयताओं और पॉलिसी खाते का समर्थन करनेवाली आस्तियाँ ही शामिल की जाएँगी।
***इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III ए के खंड 1 के अनुसार अग्राह्य परिसंपत्तियां।
'बीएस' 'तुलन-पत्र' को निर्दिष्ट करता है

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च _____को गणितीय आरक्षित निधियों और जोखिम पर राशि के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन

बीमाकर्ता का नामः पंजीकरण की तारीखः फार्म कूटः

वर्गीकरणः पंजीकरण संख्याः वर्गीकरण कूटः

मद सं.	विवरण	पुनर्बीमा से पहले गणितीय रिज़र्व	पुनर्बीमा के बाद गणितीय रिज़र्व	के1	पुनर्बीमा से पहले जोखिम पर राशि	पुनर्बीमा के बाद जोखिम पर राशि	के2	पहला कारक	दूसरा कारक	अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन
(1)	(2).	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	**लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)**									
	असंबद्ध									
	.....द्वारा भाग/ उप-वर्ग/ समूह	_	_	_	_	_	_	_	_	_

	संबद्ध									
	.....द्वारा भाग/ उप-वर्ग/ समूह									

	वीआईपी असंबद्ध									
	.....द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह									

	वीआईपी संबद्ध									
	.....द्वारा भाग / उप-वर्ग/ समूह									

	कुल - लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)									
02	**सहभागी**									
	असंबद्ध									
	.....द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह	_	_	_	_	_	_	_	_	_

	संबद्ध									
	.....द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह									

	वीआईपी असंबद्ध									
	.....द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह									

	वीआईपी संबद्ध									
	.....द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह									

	कुल - सहभागी									
	कुल जोड़									

1 के1 = 0.85 अथवा (गणितीय रिज़र्व पुनर्बीमा के बाद / गणितीय रिज़र्व पुनर्बीमा से पहले), जो भी उच्चतर हो।

2 के2 = 0.5 अथवा (पुनर्बीमा के बाद जोखिम पर राशि/पुनर्बीमा से पहले जोखिम पर राशि), जो भी उच्चतर हो।

3 स्तंभ (11) = [स्तंभ (3) x स्तंभ (5) x स्तंभ (9)] + [स्तंभ (6) x स्तंभ (8) x स्तंभ (10)]

4 जोखिम पर कुल राशि के परिकलन में, उन संविदाओं की उपेक्षा करें जिनके लिए जोखिम पर राशि एक ऋणात्मक अंक हो अथवा उसका अस्तित्व न हो।
5 पहला और दूसरा घटक क्रमशः एक्स% और वाई% हैं।
6 प्रत्येक पंक्ति के लिए के1 और के2 का परिकलन अलग से किया जाएगा।

अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन (आरएसएम) कारक		
	पहला कारक	**दूसरा कारक**
1. प्रकार: लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)		
1.1. श्रेणी : असंबद्ध:		
1.1.1. भाग - वैयक्तिक		
1.1.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
1.1.1.1.क. टर्म को छोड़कर अन्य	3.00%	0.30%
1.1.1.1.ख. पूर्णतः टर्म	3.00%	0.10%
1.1.1.1.ग. आरओपी के साथ टर्म	3.00%	0.10%
1.1.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी	3.00%	0.00%
1.1.1.3. उप-वर्ग - पेंशन	3.00%	0.30%
1.1.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य	3.00%	0.00%
1.1.2. भाग: सामूहिक व्यवसाय:		
1.1.2.1. उप-वर्ग: जीवन व्यवसाय :		
1.1.2.1.क. एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम	1.00%	0.10%
1.1.2.1.ख. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम	1.00%	0.10%
1.1.2.1.ग. निधि आधारित लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)	1.00%	0.10%
1.1.2.1.घ. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	1.00%	0.05%
1.1.2.2. उप-वर्ग: सामान्य वार्षिकी	3.00%	0.00%
1.1.2.3. उप-वर्ग: पेंशन	3.00%	0.10%

1.1.2.4. उप-वर्ग- स्वास्थ्य	3.00%	0.00%
1.2. श्रेणी: संबद्ध :		
1.2.1. भाग - वैयक्तिक		
1.2.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
1.2.1.1.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.1.1.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी		
1.2.1.2.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.1.2.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.1.3. उप-वर्ग- पेंशन		
1.2.1.3.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.1.3.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य		
1.2.1.4. क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.00%
1.2.1.4. ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.00%
1.2.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय :		
1.2.2.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
1.2.2.1.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.2.1.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.2.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी		
1.2.2.2.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.2.2.ख गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.2.3. उप-वर्ग - पेंशन		
1.2.2.3.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
1.2.2.3.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
1.2.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य		
1.2.2.4.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.00%
1.2.2.4.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.00%

2. प्रकार : सहभागी		
2.1. श्रेणी : असंबद्ध :		
2.1.1. भाग - वैयक्तिक		
2.1.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय	3.00%	0.30%
2.1.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी	3.00%	0.00%
2.1.1.3. उप-वर्ग - पेंशन	3.00%	0.10%
2.1.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य	3.00%	0.00%
2.1.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय :		
2.1.2.1. उप-वर्ग : जीवन व्यवसाय :		
2.1.2.1.क. एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम	1.00%	0.10%
2.1.2.1.ख. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम	1.00%	0.10%
2.1.2.1.गc. निधि आधारित सहभागिता	1.00%	0.10%
2.1.2.2. उप-वर्ग : सामान्य वार्षिकी	3.00%	0.00%
2.1.2.3. उप-वर्ग : पेंशन	3.00%	0.10%
2.1.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य	3.00%	0.00%
2.2. श्रेणी: संबद्ध :		
2.2.1. भाग - वैयक्तिक		
2.2.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
2.2.1.1.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.1.1.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी		
2.2.1.2.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.1.2.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.1.3. उप-वर्ग - पेंशन		
2.2.1.3.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.1.3.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य		
2.2.1.4.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.00%

2.2.1.4.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.00%
2.2.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय :		
2.2.2.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय		
2.2.2.1.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.2.1.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.2.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी		
2.2.2.2.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.2.2.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.2.3. उप-वर्ग - पेंशन		
2.2.2.3.क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.20%
2.2.2.3.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.20%
2.2.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य		
2.2.2.4. क. गारंटियों के साथ	1.80%	0.00%
2.2.2.4.ख. गारंटियों के बिना	0.60%	0.00%

टिप्पणियाँ:

(1) समायोजनों के लिए लागू कारक आधारभूत उत्पादों के स्वरूप के अनुसार होंगे।

(2) अनुवृद्धियों (राइडर्स) के लिए लागू कारक नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे:

अनुवृद्धियों	पहला कारक	दूसरा कारक
स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धि के लिए	3.00%	0.00%
स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धि को छोड़कर अन्य के लिए	3.00%	0.10%

अनुबंध बीमांकन - 7

फार्म केटी-2

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

पॉलिसीधारकों की निधियों की आस्तियों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन

31 मार्च _____

बीमाकर्ता का नामः	पंजीकरण की तारीखः	फार्म कूटः
वर्गीकरणः	पंजीकरण संख्याः	वर्गीकरण कूटः

मद सं.	आस्ति की श्रेणी	टिप्पणियाँ	राशि (नीचे की टिप्पणियाँ देखें) रु.	तीसरा कारक %	अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	गैर-अधिदेशात्मक निवेश				
	कॉरपोरेट बॉण्ड				
01	एएए अथवा समतुल्य				
02	एए अथवा समतुल्य				
03	ए अथवा समतुल्य				
04	बीबीबी अथवा समतुल्य				
05	बीबी अथवा समतुल्य				
06	बी अथवा समतुल्य				
07	बी से निम्नतर				
08	अनिर्धारित (अनरेटेड)				
	बंधक				
09	आवासीय				
10	वाणिज्यिक				
	स्थावर संपदा (रियल एस्टेट)				
11	आवासीय				
12	वाणिज्यिक				
	अधिमानी शेयर				
13	सूचीबद्ध अधिमानी शेयर				
14	असूचीबद्ध अधिमानी शेयर				

	ईक्विटी				
15	सूचीबद्ध साधारण शेयर				
16	असूचीबद्ध साधारण शेयर				
17	कुल				

टिप्पणियाँ : (1) स्तंभ (5) = स्तंभ (3) X स्तंभ (4)
(2) स्तंभ (4) = प्राधिकरण से अगली सूचना प्राप्त होने तक शून्य
(3) इस सारणी में स्तंभ (3) में वह राशि दर्शानी चाहिए जो उपर्युक्त श्रेणी की आस्ति के संबंध में तुलन-पत्र मूल्य हो (जहाँ तुलन-पत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अनुसार तैयार किया गया हो)

अनुबंध बीमांकन - 8

फार्म केटी-3

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ___ को उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन और शोधन क्षमता अनुपात

बीमाकर्ता का नामः
वर्गीकरणः

पंजीकरण की तारीखः
पंजीकरण संख्याः

फार्म कूटः
वर्गीकरण कूटः

मद	**विवरण**	**टिप्पणियाँ सं. ...**	**समायोजित मूल्य**
(1)	(2)	(3)	(4)
01	पॉलिसीधारकों की निधि में उपलब्ध आस्तियाँ	2	
	घटाएँ :		
02	गणितीय आरक्षित निधियाँ	3	
03	अन्य देयताएँ	4	
04	**पॉलिसीधारकों की निधियों में आधिक्य (01-02-03)**		
05	शेयरधारकों की निधि में उपलब्ध आस्तियाँ :	5	

	घटाएँ:		
06	शेयरधारकों की निधि की अन्य देयताएँ :	4	
07	**शेयरधारकों की निधियों में आधिक्य (05-06)**		
08	कुल एएसएम (04)+(07)		
09	कुल आरएसएम	6	
10	**शोधन क्षमता अनुपात (एएसएम/ आरएसएम)**		

प्रमाणीकरणः

मैं,..... , नियुक्त बीमांकक, प्रमाणित करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीए के अनुसार तैयार किये गये हैं; तथा इनमें उल्लिखित राशियाँ मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य और उचित हैं।

स्थानः
दिनांकः

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर **मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर**

टिप्पणियाँ :

1. सभी आंकड़े हजारों में होंगे;
2. मद सं. 1 पॉलिसीधारकों के खाते में फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए में उल्लिखित रूप में शोधन क्षमता हेतु कुल स्वीकार्य आस्तियों की राशि होगी;
3. मद सं. 02 फार्म एच में उल्लिखित रूप में गणितीय आरक्षित निधियों (रिज़र्वों) की राशि होगी;
4. मद सं. 03 और 06 तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में अन्य देयताओं की राशि होगी;
5. मद सं. 05 शेयर धारकों के खाते में फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए में यथाउल्लिखित शोधन क्षमता हेतु कुल स्वीकार्य आस्तियों की राशि होगी;
6. मद सं. 09 इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग III (बी) के फॉर्म केटी-1 एवं केटी-2 के तहत निर्दिष्ट तरीके से प्राप्त आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन का कुल योग होगा।

फार्म एस

(अनुसूची- I के भाग III (बी) के खंड 2 (2) देखें)

अनुबंध बीमांकन - 9

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

31 मार्च ___ को अधिशेष की संरचना और वितरण

बीमाकर्ता का नामः
वर्गीकरणः
प्रकारः

पंजीकरण की तारीखः
पंजीकरण संख्याः

फार्म कूटः
वर्गीकरण कूटः
प्रकार कूटः

अधिशेष की संरचना						
		जीवन	**पेंशन**	**सामान्य वार्षिकी**	**स्वास्थ्य**	**कुल**
01	वर्ष में निकला हुआ अधिशेष					

02	अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतरिम बोनस					
03	अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतिम बोनस					
04	अंतर-मूल्यांकन अवधि में प्रदत्त निष्ठा परिवर्धन या अन्य प्रकार के बोनस, यदि कोई हो					
05	अंतर-मूल्यांकन अवधि में शेयरधारकों की निधि से अंतरित राशियाँ					
06	पिछले मूल्यांकन से आगे लाई गई, पॉलिसीधारकों की निधियों से अधिशेष की राशि					
07	कुल अधिशेष [2] (मद 1 से 6 तक की राशि)**					
अधिशेष का वितरण						
		जीवन	**पेंशन**	**सामान्य वार्षिकी**	**स्वास्थ्य**	**कुल**
01	प्रदत्त अंतरिम बोनसों के लिए					
02	अंतिम बोनसों के लिए					
03	निष्ठा परिवर्धनों या किसी अन्य प्रकार के बोनसों के लिए, यदि कोई हो					
04	तत्काल सहभागिता सहित पॉलिसीधारकों के बीच					
05	आस्थगित सहभागिता से युक्त पॉलिसीधारकों के बीच					
06	रियायती बोनस वर्ग या नकद बोनस में पॉलिसीधारकों के बीच					
07	प्रत्येक आरक्षित निधि या अन्य निधि या खाते के लिए					
08	अविनियोजित और आगे ले जाये गये रूप में					

	09	शेयरधारकों की निधियों में (अंतर मूल्यांकन अवधि में उक्त खातों के द्वारा अंतरित ऐसी कोई भी राशियाँ अलग से बताई जाएँ)					
	10	आबंटित कुल अधिशेष (मद 1 से 9 तक का योग) **					

अनुबंध बीमांकन – 10

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए
(अनुसूची I के भाग IV का खंड 5 देखें)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024
31 मार्च, ... स्थिति के अनुसार स्वीकार्य आस्तियों का विवरण

बीमाकर्ता का नामः पंजीकरण संख्याः पंजीकरण की तारीखः वर्गीकरणः भारत के अंदर व्यवसाय / कुल व्यवसाय

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

विवरण	पॉलिसीधारकों का खाता	शेयरधारकों का खाता	कुल
निवेश			
निवेश शेयरधारक अनु. 8 (ए1)			
पॉलिसीधारक अनु. 8ए (ए2)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल निवेश -------- (ए) = (ए1) + (ए2)			
अस्वीकार्य निवेश आस्तियाँ[1] ---------- (बी)			
अचल आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार अचल आस्तियाँ (बीएस) ---------(सी)			
अस्वीकार्य अचल आस्तियाँ[1] ----------(डी)			
चालू आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार नकदी और बैंक शेष (बीएस) ---------(ई)			
तुलन-पत्र के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (बीएस) -------- (एफ)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल चालू आस्तियाँ (बीएस) ---------- (जी) = (ई) + (एफ)			
अस्वीकार्य चालू आस्तियाँ ---------- (एच)			
ऋण			
तुलन-पत्र के अनुसार ऋण (आई)			
न्यूनतम शून्य के अधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता ---------- (जे)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल आस्तियाँ (बीएस) ---------- (के) = (ए) + (सी) + (जी) + (आई) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			
कुल अस्वीकार्य आस्तियाँ ---------- (एल) = (बी)+ (डी) + (एच) + (जे)			

ऋण शोधन क्षमता के लिए कुल स्वीकार्य आस्तियाँ --------- (के)–(एल) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण इन विनियमों की **अनुसूची I के भाग IV** के अनुसार तैयार किया गया है।

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थानः
दिनांकः

टिप्पणियाँ:

1. अस्वीकार्य आस्तियाँ वे परिसंपत्तियां होंगी जिन्हें इन विनियमों की अनुसूची I के भाग IV के अनुसार शून्य मूल्य के साथ रखा गया है।

अनुबंध बीमांकन – 11

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर
(अनुसूची I के भाग IV का खंड 5 देखें)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024
31 मार्च ..... की स्थिति के अनुसार देयताओं का विवरण

बीमाकर्ता का नामः
पंजीकरण संख्याः
पंजीकरण की तारीखः
वर्गीकरणः भारत के अंदर व्यवसाय/ कुल व्यवसाय:

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

आरक्षित निधि (रिज़र्व)	सकल आरक्षित निधि	निवल आरक्षित निधि
अनर्जित प्रीमियम आरक्षित निधि (यूपीआर) ..... (ए)		
प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) ..... (बी)		
असमाप्त जोखिम आरक्षित निधि ..... (सी)=(ए)+(बी)		
बकाया दावा आरक्षित निधि (आईबीएनआर आरक्षित निधि को छोड़कर अन्य) ----- (डी)		
आईबीएनआर आरक्षित निधि ..... (ई)		

तकनीकी देयताओं के लिए कुल आरक्षित निधियाँ ..... (एफ)=(सी)+(डी)+(ई)		

प्रमाणीकरण

(1) सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमाकर्ता की देयताओं का निरूपण करता है जिनका निर्धारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में निर्धारित तरीके से किया गया है तथा ऐसी देयताओं की राशियाँ उचित और युक्तिसंगत हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण में सांविधिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए अनुमानित बकाया दावा आरक्षित निधियों, पीडीआर और आईबीएनआर आरक्षित निधियों का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा किया गया है तथा उनका प्रमाणपत्र इसके नीचे प्रस्तुत है।

अर्हताऐं (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों (देयताओं के निर्धारण के संबंध में)

स्थान:
दिनांक:

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

(2) नियुक्त बीमांकक से प्रमाणीकरण:

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि मैंने अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार डेटा की जाँच की है तथा मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त डेटा सुसंगत, विश्वसनीय और संपूर्ण है। **इसके अतिरिक्त मैं आगे यह भी प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि** उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई बकाया आरक्षित निधियाँ जिनका अनुमान सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग करके किया गया है, पीडीआर और आईबीएनआर आरक्षित निधियाँ बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में निर्धारित तरीके से निश्चित की गई हैं। ये आरक्षित निधियाँ, जो ..... (जाँच-पड़ताल का वर्ष) के मार्च के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार अनुमानित हैं, मेरी राय में प्रत्याशित भावी अनुभव का निरूपण करती हैं।

अर्हताऐं (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों :

बीमाकर्ता का नामः

स्थानः
दिनांकः

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

(3) प्रधान अधिकारी से प्रमाणीकरणः

मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि

(1) 20XX के मार्च के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार तकनीकी आरक्षित निधियों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नियुक्त बीमांकक <बीमांकक का नाम> को प्रत्येक पॉलिसी और दावे का संपूर्ण और सही ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।
(2) नियुक्त बीमांकक को उपलब्ध कराया गया डेटा मार्च 20XX के 31वें दिन की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षित वित्तीय आंकड़ों के साथ सुसंगत है।
(3) बीमाकर्ता द्वारा अनुसरण किये जाने वाले जोखिम-अंकन, दावों और पुनर्बीमा पॉलिसियों तथा प्रथाओं से संबंधित समस्त सूचना से नियुक्त बीमांकक को अवगत कराया गया है।

अर्हताऐं (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों :

बीमाकर्ता का नामः
स्थानः
दिनांकः

प्रधान अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

(4) मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरणः

मैं प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि यूपीआर का निर्धारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 की अनुसूची II के भाग II के खंड 4 के अनुसार किया गया है।

अर्हताऐं (क्वालिफिकेशन्स), यदि कोई हों (यूपीआर के निर्धारण के संबंध में):

बीमाकर्ता का नामः
स्थनः
दिनांकः

मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

अनुबंध बीमांकन – 12

फार्म आईआरडीएआई-जीआई-एसएम
(अनुसूची I के भाग IV का खंड 5 देखें)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

सारणी I
31 मार्च, ... की स्थिति के अनुसार ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का विवरण

बीमाकर्ता का नामः पंजीकरण संख्याः पंजीकरण का दिनांकः वर्गीकरणः भारत में व्यवसाय / कुल व्यवसाय

सारणी I ए: निवल प्रीमियम और निवल उपगत दावों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

मद सं.	व्यवसाय की श्रेणी	सकल प्रीमियम	निवल प्रीमियम	सकल उपगत दावे	निवल उपगत दावे	आरएसएम 1	आरएसएम 2	आरएसएम	कारक ए	कारक बी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	अग्नि								0.50	0.50
02	मरीन कार्गो								0.60	0.60
03	मरीन - मरीन कार्गो के अतिरिक्त								0.50	0.50

04	मोटर								0.75	0.75
05	इंजीनियरिंग								0.50	0.50
06	विमानन								0.50	0.50
07	देयता								0.75	0.75
08	स्वास्थ्य								0.75	0.75
09	विविध								0.70	0.70
10	फसल बीमा								0.70	0.70
	कुल									

टिप्पणियाँ :

(3) = सकल लिखित प्रीमियम आवक पुनर्बीमा सहित
(4) = निवल लिखित प्रीमियम
(5) = सकल उपगत दावे सकल आईबीएनआर के प्रभाव सहित
(6) = निवल उपगत दावे निवल आईबीएनआर के प्रभाव सहित
(3) और (4) का परिकलन 'अनुगामी 12 महीने के डेटा' के रूप में की जाती है
(5) और (6) की परिकलन मूल्यांकन तिथि से अधिकतम 'अनुगामी 12 महीने के डेटा' और 'अनुगामी 36 महीने के डेटा को 3 से विभाजित करके' के रूप में की जाती है।
(7) उपर्युक्त सारणी में आरएसएम 1 से निवल प्रीमियमों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा इसका निर्धारण उस राशि के बीस प्रतिशत (20%) के रूप में किया जाएगा जो सारणी 1(ए) में विनिर्दिष्ट रूप में कारक ए द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों तथा निवल प्रीमियमों में से जो भी उच्चतर हो।
(8) उपर्युक्त सारणी में आरएसएम 2 से निवल उपगत दावों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा इसका निर्धारण उस राशि के तीस प्रतिशत (30%) के रूप में किया जाएगा जो उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में कारक बी द्वारा गुणा किये गये सकल निवल उपगत दावों तथा निवल उपगत दावों में से जो भी उच्चतर हों।
(9) आरएसएम से अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन अभिप्रेत है तथा यह प्रत्येक एलओबी के लिए अलग-अलग वह राशि होगी जो आरएसएम 1 और आरएसएम 2 की राशियों में से उच्चतर हो।

अनुबंध बीमांकन – 12 (जारी)

सारणी I बीः उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन और ऋण शोधन क्षमता अनुपात

बीमाकर्ता का नामः
पंजीकरण संख्याः
पंजीकरण की तारीखः
वर्गीकरणः भारत के अंदर व्यवसाय / कुल व्यवसाय

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

(1)	(2)	(3)
मद सं.	**विवरण**	**राशि**
(क)	पॉलिसीधारकों की निधियाँ	
	उपलब्ध आस्तियाँ (फार्म जीआई-टीए-आईआरडीएआई के अनुसार)	
	घटाएँ :	
(ख)	तुलन-पत्र के अनुसार चालू देयताएँ	
(ग)	तुलन-पत्र के अनुसार प्रावधान	
(घ)	अन्य देयताएँ	
(ङ)	पॉलिसीधारकों की निधियों में आधिक्य (क)-(ख)-(ग)-(घ)	
	शेयरधारकों की निधियाँ	
(च)	उपलब्ध आस्तियाँ	

	घटाएँ :	
(छ)	अन्य देयताएँ	
(ज)	शेयरधारकों की निधियों में आधिक्य (च-छ)	
(झ)	कुल एएसएम (ङ+ज)	
(ञ)	कुल आरएसएम	
(ट)	ऋण शोधन क्षमता मार्जिन (कुल एएसएम / कुल आरएसएम)	

प्रमाणीकरण:

मैं _____, सांविधिक लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार तैयार किये गये हैं, तथा उनमें उल्लिखित राशियाँ मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

स्थान:
दिनांक:

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

निम्नलिखित द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

प्रधान अधिकारी नियुक्त बीमांकक मुख्य वित्तीय अधिकारी

<u>टिप्पणियाँ:</u>

1. मद (क) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में उल्लिखित रूप में पॉलिसीधारकों की निधियों के संबंध में आस्तियों के समायोजित मूल्य की राशि होगी।
2. मद (ख) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीआर में उल्लिखित रूप में कुल देयताओं की राशि होगी।
3. मद (ग) पॉलिसीधारकों की निधियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली अन्य देयताओं की राशि होगी तथा तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में होगी।
4. मद (ङ) फार्म आईआरडीएआई-जीआई-टीए में उल्लिखित रूप में शेयरधारकों की निधियों के संबंध में कुल आस्तियों की राशि होगी।
5. मद (च) शेयरधारकों की निधियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली अन्य देयताओं की राशि होगी तथा तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में होगी।

अनुबंध बीमांकन – 13

फार्म आईआरडीएआई-आरआई-टीए
(अनुसूची I के भाग IV का खंड 5 देखें)
<u>भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024</u>
31 मार्च, ... स्थिति के अनुसार स्वीकार्य आस्तियों का विवरण

पुनर्बीमाकर्ता का नाम:
पंजीकरण संख्या:
पंजीकरण की तारीख:
वर्गीकरण: भारत के अंदर व्यवसाय / कुल व्यवसाय:

(सभी राशियाँ लाख रुपये में)

विवरण	**पॉलिसीधारकों का खाता**	**शेयरधारकों का खाता**	**कुल**

निवेश			
निवेश शेयरधारक अनु. 8			
पॉलिसीधारक अनु. 8ए			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल निवेश -------- (ए)			
अस्वीकार्य निवेश आस्तियाँ[1] ---------- (बी)			
अचल आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार अचल आस्तियाँ (बीएस) -------(सी)			
अस्वीकार्य अचल आस्तियाँ[1] ----------(डी)			
चालू आस्तियाँ			
तुलन-पत्र के अनुसार नकदी और बैंक शेष (बीएस) -----(ई)			
तुलन-पत्र के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (बीएस) --------(एफ)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल चालू आस्तियाँ (बीएस) ----------(जी) = (ई) + (एफ)			
अस्वीकार्य चालू आस्तियाँ ---------- (एच)			
ऋण			
तुलन-पत्र के अनुसार ऋण (आई)			
न्यूनतम शून्य के अधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता ----------(जे)			
तुलन-पत्र के अनुसार कुल आस्तियाँ (बीएस) ----------(के) = (ए) + (सी) + (जी) + (आई) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			
कुल अस्वीकार्य आस्तियाँ ---------- (एल) = (बी)+ (डी) + (एच) + (जे)			
ऋण शोधन क्षमता के लिए कुल स्वीकार्य आस्तियाँ ---------(के)–(एल) (चालू देयताओं और प्रावधानों को छोड़कर)			

हम प्रमाणित करते हैं कि विवरण इन विनियमों की अनुसूची I के भाग V के खंड 3 के अनुसार तैयार किया गया है।

नियुक्त बीमांकक / बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर**

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थानः
दिनांकः

टिप्पणियाँ:

1. अस्वीकार्य आस्तियाँ वे आस्तियाँ होंगी जिन्हें इन विनियमों के भाग V के अनुसार शून्य मूल्य पर रखा गया है।
2. **एफआरबी की रिपोर्टें प्रमाणित करनेवाले बीमांकक के हस्ताक्षर

अनुबंध बीमांकन – 14

फार्म आईआरडीएआई-आरआई-एसएम
(अनुसूची I के भाग IV का खंड 5 देखें)
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन और शोधन-क्षमता अनुपात का विवरण
31 मार्च..... की स्थिति के अनुसार

पुनर्बीमाकर्ता का नामः
पंजीकरण संख्याः
पंजीकरण की तारीखः
वर्गीकरणः भारत के अंदर व्यवसाय/कुल व्यवसायः

(सभी राशियाँ लाख रुपयों में)

मद सं.	विवरण	राशियाँ
	पालिसीधारकों की निधियाँ	
(क)	उपलब्ध आस्तियाँ (`फार्म आईआरडीएआई-आरआई-टीए' के अनुसार)	
	घटाएँ :	
(ख)	तुलन-पत्र (बीएस) के अनुसार चालू देयताएँ	
(ग)	तुलन-पत्र के अनुसार प्रावधान	
(घ)	तुलन-पत्र के अनुसार गणितीय आरक्षित निधियाँ	
(ङ)	तुलन-पत्र के अनुसार अन्य देयताएँ	
(च)	पालिसीधारकों की निधियों में अधिशेष (क)-(ख)-(ग)-(घ)	
	शेयरधारकों की निधियाँ	
(छ)	उपलब्ध आस्तियाँ (`फार्म आईआरडीएआई-आरआई-टीए' के अनुसार)	
	घटाएँ :	
(ज)	तुलन-पत्र के अनुसार अन्य देयताएँ	
(झ)	शेयरधारकों की निधियों में अधिशेष (छ) – (ज)	
(ञ)	कुल एएसएम (च) + (झ)	
(ट)	आरएसएम (जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय)	
(ठ)	आरएसएम (साधारण पुनर्बीमा व्यवसाय)	
(ड)	कुल आरएसएम (ट) + (ठ)	
(ढ)	शोधन-क्षमता अनुपात (कुल एएसएम / कुल आरएसएम)	

प्रमाणीकरणः

मैं _____, सांविधिक लेखा-परीक्षक इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा उनमें उल्लिखित राशियाँ मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं।

स्थानः
दिनांकः

सांविधिक लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरितः

नियुक्त बीमांकक/बीमांकक** मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रधान अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

<u>टिप्पणियाँ :</u>

1. **एफआरबी की रिपोर्टों का प्रमाणीकरण करनेवाले बीमांकक के हस्ताक्षर
2. मद (ख) और (ग) साधारण पुनर्बीमाकर्ता व्यवसाय के लिए लागू हैं।
3. मद (घ) जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए लागू है।
4. मद (ट) का निर्धारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के भाग III (ख) के फार्म केटी-1 और केटी-2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट तरीके से गणना किये गये अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिनों का कुल जोड़ होगा।
5. मद (ठ) का निर्धारण इन विनियमों की अनुसूची-I के भाग V के खंड 2 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

अनुसूची IV: बीमा कंपनियों द्वारा ऋण और अग्रिम

1. परिभाषाएँ :

क) "अधिकारी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(59) में परिभाषित अधिकारी अभिप्रेत है, परंतु इसमें गैर पूर्णकालिक निदेशक शामिल नहीं है

ख) "पूर्णकालिक कर्मचारी" से बीमाकर्ता के सभी कर्मचारी अभिप्रेत हैं तथा इनमें बीमाकर्ता के अधिकारी शामिल हैं

2. ऋण या अस्थायी अग्रिमः

(क) कोई बीमाकर्ता किसी अधिकारी, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, को अधिनियम की धारा 29(1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर, संपत्ति के दृष्टिबंधक पर या वैयक्तिक जमानत पर या अन्य प्रकार से कोई ऋण या अस्थायी अग्रिम प्रदान नहीं करेगा।

(ख) कोई बीमाकर्ता अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों को अधिनियम की धारा 29(1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर, संपत्ति के दृष्टिबंधक पर या वैयक्तिक जमानत पर या अन्य प्रकार से कोई ऋण या अस्थायी अग्रिम प्रदान नहीं करेगा

बशर्ते कि बीमाकर्ता अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों को केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऋण या अस्थायी अग्रिम प्रदान कर सकता हैः

(i) कार और / या दुपहिया वाहन खरीदने के लिए ऋण
(ii) निजी कंप्यूटर खरीदने के लिए और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों के लिए ऋण
(iii) फर्नीचर खरीदने के लिए ऋण
(iv) निजी उपयोग के लिए मकान का निर्माण करने/ अधिग्रहण करने के लिए ऋण
(v) कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण
(vi) त्योहार के लिए अग्रिम
(vii) इस संबंध में इस नीति में विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य प्रयोजन जो बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो

परंतु यह भी शर्त है कि एक पूर्णकालिक कर्मचारी के द्वारा लिये गये सभी ऋणों का कुल योग एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा तथा इसे कर्मचारियों के नियत पारिश्रमिक के साथ संबद्ध किया जाएगा।

3. बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतिः

प्रत्येक बीमाकर्ता जो अपने कर्मचारियों को ऋण और अस्थायी अग्रिम प्रदान करता है, उपर्युक्त ऋण और अस्थायी अग्रिम प्रदान करने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक योजना लागू करेगा।

4. निबंधन और शर्तें :

विनियम 2 में बताये गये ऋण और अस्थायी अग्रिम निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगेः

(क) ऋण और अग्रिम निदेशक बोर्ड अथवा बोर्ड की नामांकन और परिश्रमिक समिति, जिसे इस प्रकार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों, जैसी स्थिति हो, द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति / पारिश्रमिक नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति / पारिश्रमिक पैकेज का भाग बनेंगे।

(ख) इस प्रकार के ऋणों अथवा अग्रिमों की शर्तें बोर्ड द्वारा अथवा बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जिसे ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित की जा सकती हैं। बशर्ते कि पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य अधिकारियों को प्रदत्त ऋणों अथवा अस्थायी अग्रिमों पर प्रभारित ब्याज दर बीमाकर्ता के अपने कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों अथवा अस्थायी अग्रिमों पर प्रभारित दर से कम नहीं हो सकती।

(ग) ऐसे सभी ऋण और अग्रिम उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

अनुसूची-V: विवरणियों का निरीक्षण और आपूर्ति

1. विवरणियों का निरीक्षण और आपूर्तिः

अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन किसी विवरणी के निरीक्षण अथवा किसी विवरणी की प्रति की अपेक्षा करनेवाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. बीमाकर्ता द्वारा संस्था के बहिर्नियमों (एमओए) और अंतर्नियमों (एओए) की प्रति की आपूर्तिः

(क) अधिनियम की धारा 20(3) के अधीन संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति की अपेक्षा करनेवाला बीमाकर्ता का पालिसीधारक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) बीमाकर्ता संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर प्रदान करेगा।

****